खण्ड-225, अंक-6
मंगलवार, 17 श्रावण, शक संवत् 1883
(8 अगस्त, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 225 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५०७–५११
प्रश्नोत्तर	५११–५२७
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	५२७–५२८
जिला अलीगढ़ में बढ़ती हुई कत्लों की संख्या के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५२८–५३१
ग्राम ददुआ, जिला चमोली में जमीन धंसने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ का वक्तव्य	५३१–५३५
उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम प्रतिवेदन (उपस्थापित किया गया)	५३५
इंडियन टरपेंटाइन व रोजिन कम्पनी से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति का १९ वां प्रतिवेदन (उपस्थापित किया गया)	५३६
उत्तरप्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	५३६–५३७
अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में जानकारी	५३७
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	५३७–५५६
क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचार जारी) ..	५५६–५८४
नत्थियां	५८५–५८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ८ अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असलम, खां श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद , श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल , श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल , श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खाँ, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—वित्त मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा स्वशासन राज्य मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ८ अगस्त, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सिंचाई दर में छूट की वापसी का आदेश

**१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तीन आने रुपया की जो आबपाशी की छूट किसानों को सन् १९५४ से दी हुई थी उसे वापस लेने के आदेश सरकार द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—सिंचाई दर में दी गई छूट को वापस लेने के लिए आदेश २१ मार्च, १९६१ को जारी किये गये ।

**२—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि यह उपरोक्त छूट किसानों पर कब से लागू की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—छूट की वापसी १ अप्रैल, १९६१ से लागू की गई है।

सासनी थाना कम्पाउण्ड में बंजारे की कथित हत्या

**३—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सासनी थाना (जिला अलीगढ़) में जुलाई के द्वितीय सप्ताह में किसी दिन ५२ हजार रुपये लिये बैलों का रोजगार करने वाले दो बंजारे, जब अपनी सुरक्षितता के खयाल से थानाध्यक्ष की आज्ञा से थाना कम्पाउन्ड में ठहरे थे तो उनमें से एक की हत्या रात में उस समय करके सारा रुपया ले लिया गया और लाश थाना कम्पान्ड में ही गाड़ दी गई जब दूसरा बंजारा बाजार खाने-पीने का सामान लाने गया था ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—जी नहीं। अलीगढ़ जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

**४—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या लाश जिलाधीश महोदय के प्रयास से मिल गई है ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता ।

**५—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस पूरे काण्ड में वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—प्रश्न नहीं उठता ।

ट्यूबवेल कन्ट्रैक्ट के सम्बंध में श्री ओ० डी० शर्मा को अमेरिका भेजने पर आपत्ति

**६—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अमेरिका से ट्यूबवेल के सम्बन्ध में कन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिये जुलाई, १९६१ में किन व्यक्तियों को भेजा गया तथा वे ट्यूबवेल के विशेषज्ञ थे या नहीं ?

श्री राममूर्ति—राज्य सरकार की ओर से केवल एक टेक्निकल (Technical) अधिकारी को भेजा गया है जो प्रदेश के सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं ।

**७—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से ट्यूबवेल के सम्बन्ध में कुछ विशेषज्ञ अमेरिका भेजे गये हैं ? यदि हां, तो फिर प्रान्तीय सरकार ने अपने अधिकारियों को क्यों अमेरिका भेजा ?

श्री राममूर्ति—भारत सरकार की ओर से विशेषज्ञ अमेरिका गये हैं अथवा नहीं इसकी सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । प्रदेश सरकार के विशेषज्ञ को अमेरिका भारत सरकार के अनुरोध पर भेजा गया है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीयमंत्री जी कृपया स्पष्ट करेंगे कि जो एक व्यक्ति भेजा गया है वह ट्यूबवेल का विशेषज्ञ है या नहीं, दूसरे उसके अतिरिक्त कोई नान-टेक्निकल आदमी भी भेजा गया है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एक एसोसियेशन है, जो कि वर्ल्ड बैंक की ऐफीलिएटेड बाडी है । कुछ दिनों पहले उसकी एक टीम हिन्दुस्तान में आयी थी । उसने उत्तर प्रदेश का भी दौरा किया । विशेष कर उसने यहां के ट्यूबवेल्स और रिजर्वायर्स का मुआयना किया और यहां के काम से खुश हुई, उन्होंने यहां पर इस बात को कहा कि वे आगे चल कर एक मीटिंग बुलायेंगे । वे उत्तर प्रदेश के ट्यूबवेलों के काम से खुश थे और कहा कि वे कोशिश करेंगे कि कोई लोन ऐसा दे दें जो सस्ते रेट पर हो ताकि यहां के कार्यों को प्रोत्साहन मिले । उन्होंने एक आध रिजर्वायर भी छांटा । जब वह चले गये तो उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा । उसके मातहत यू० पी० सरकार से कहा गया कि आप अपने दो आफिसर भेजें । यू० पी० सरकार ने अपने एक सेक्रेटरी और एक इंजीनियर को छांटा । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने फारेन एक्सचेंज की कठिनाइयों की वजह से यह कहा कि आपका सेक्रेटरी नहीं जायगा, खाली एक टेक्निकल आदमी जायगा । उन्होंने अपने यहां के सेक्रेटरी मिस्टर दामले को भेजा और हमारे यहां इंजीनियर को भेजा । हमारे यहां के चीफ इंजीनियर ५८ साल के करीब के हो गये हैं । यह समझ कर कि किसी यंगर आदमी को भेज दिया जाय जो सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर की हैसियत का हो, उनको वहां भेज दिया गया ।

जहां तक उनकी योग्यता का प्रश्न है, जितने सिविल इंजीनियर्स हैं, वे सिविल का भी काम करते हैं और ट्यूबवेल का भी काम करते हैं और वह उस काम से अच्छी तरह से परिचित होते हैं, जैसे एक सर्किल में एक सिविल इंजीनियर सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर हैं और दूसरे में जो मेकैनिकल इंजीनियर हैं वह सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं । इस तरह से हमारी दो जगहों पर दो आदमी हैं । मगर जो ऐसा काम करने के लिए सिविल इंजीनियर्स रखे जाते हैं वह इन चीजों से भली-भांति परिचित होते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह भी स्पष्ट करेंगे कि जिन सज्जन को भेजा गया है उनके अतिरिक्त वहीं पर दूसरे इंजीनियर जो ट्यूबवेल के जानकार हैं और जिन्होंने ट्यूबवेल में काम किया है, वह मौजूद थे, उनको न भेजकर इनको भेजने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—मैंने हर बात एक्सप्लेन कर दी। अब इसके बारे में कोई ज्यादा गुंजायश तो रही नहीं जब मैंने यह कह दिया कि सिविल इंजीनियर्स भी उतने ही काम्पीटेंट हैं इस काम के लिए जितने की मेकैनिकल इंजीनियर्स वगैरह हैं और मैंने यह भी अर्ज कर दिया कि वह वहां पर कोई इसलिए नहीं गये हैं कि कोई उनकी टेक्निकल नालेज की जांच की जायगी।

श्री अध्यक्ष—यह सवाल नहीं है। वह यह चाहते हैं कि इस पर्टीकुलर आदमी को जो सेलेक्ट किया गया तो यह सेलेक्शन जो है, यह किसी सेलेक्शन कमेटी से हुआ या कहीं और से हुआ और इन्हीं को क्यों सेलेक्ट किया ?

श्री राममूर्ति—जब मंत्रालय से उसके बारे में राय ली और उसकी राय इनके बारे में हुई तो इनको भेज दिया गया।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी सदन की जानकारी के लिए यह बतायेंगे कि जिन महानुभाव को भेजा गया है वह इस डिपार्टमेंट में कितने दिन से काम कर रहे थे ?

श्री राममूर्ति—वह सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की हैसियत के आदमी हैं। कम से कम १६, १७, १८ साल की सर्विस उनकी डिपार्टमेंट में जरूर होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ट्यूबवेल के एक्सपर्ट इंजीनियर मौजूद थे तो सिविल इंजीनियर क्यों सेलेक्ट किये गये ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने कहा कि मंत्रालय की राय से उनको सेलेक्ट किया और यह भी बता दिया कि वह यह काम भी जानते हैं।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विभाग के अन्य इंजीनियर्स को भी यह बताया गया कि अमेरिका एक अच्छे आदमी को भेजना है और उनके भी प्रार्थनापत्र चुनाव करने से पहले लिये गये ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना-पत्र का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता कि चीफ इंजीनियर से सलाह ली गई, उन्होंने एक आदमी का नाम भेज दिया, कोई कमीशन इत्यादि के जरिये तो चुनाव होना नहीं था कि प्रार्थना-पत्र मांगे जाते। ट्यूबवेल के सम्बन्ध में कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए एक आदमी की जरूरत थी, उसके लिए जिसे अच्छा समझा गया, जिसका गेटअप वगैरह अच्छा था उसे भेज दिया।

श्री प्रताप सिंह—क्या सिंचाई मंत्री जी फिर स्पष्ट करेंगे कि वह कौन व्यक्ति हैं जिनको भेजा गया और जब ट्यूबवेल के एक्सपर्ट की जरूरत थी तो उसे न भेजकर इनके पास वह कौन सी विशेष योग्यता थी कि इनको भेजा गया ?

श्री अध्यक्ष—ट्यूबवेल की विशेष योग्यता की बात कहां लिखी है ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, वह मेरे प्रश्न में ही है। मैंने प्रश्न में ही यह पूछा है कि अमेरिका से ट्यूबवेल के सम्बन्ध में कन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिये जुलाई, १९६१ में किन व्यक्तियों को भेजा गया तथा वे ट्यूबवेल के विशेषज्ञ थे या नहीं ?

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन महानुभाव को अमेरिका भेजा गया उनका नाम क्या है और जब ट्यूबवेल के मामले में जानकर इंजीनियर की मांग थी तो एक नानटेक्निकल आदमी जो कि ट्यूबवेल के बारे में नहीं जानता है, उसके पास वह कौन सी विशेष योग्यता थी जिसके कारण उसे भेजा गया ?

श्री राममूर्ति—नाम है, इनका श्री ओ० डी० शर्मा जो यहां पर चीफ इंजीनियर के पी०ए० हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उसके बाद सेलेक्शन कमेटी ने सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के लिये इनको छांट लिया। दूसरी बात का जवाब मैंने दे दिया है कि सिविल इंजीनियर्स भी वही काम करते हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स किया करते हैं। वहां पर कोई ट्यूबवेल की बोरिंग वगैरह का सवाल नहीं था बल्कि ट्यूबवेल के कान्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना था।

श्री प्रताप सिंह—क्या यह ओ०डी० शर्मा वही हैं जिनके नेतृत्व में दोहरा डैम बना और जिस समय वह बन रहा था उस समय उनके सम्बन्ध में कई शिकायतें यहां आई ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, यह बिलकुल गलत है। उन्होंने कोई दोहरा डैम नहीं बनाया। उनकी वहां पर उस डिवीजन में कभी नियुक्ति ही नहीं हुई।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि यही पी०एच० जो हैं इन्हीं में ऐसे भी पी० ए० मौजूद थे जो ट्यूबवेल में कई वर्ष तक काम कर चुके थे और जिनको उसका काफी तजुर्बा भी था तो उनको न चुनकर.....

श्री अध्यक्ष—अब इसका तो जवाब वह दे चुके।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेलेक्शन कमेटी के सामने कितने अभ्यर्थी आये ?

श्री अध्यक्ष—कोई सेलेक्शन कमेटी के बारे में उन्होंने ऐडमिट ही नहीं किया है।

श्री उग्रसेन—सेलेक्शन कमेटी उन्होंने कहा है।

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी नहीं कहा कि सेलेक्शन कमेटी के जरिये से कोई बात हुई। मैंने कहा कि डिपार्टमेंट के जरिये मंत्रालय से बात हुई।

श्री उग्रसेन—आपने कहा कि सेलेक्शन कमेटी के अन्दर ऐसा किया गया।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैंने उनसे पूछा था कि क्या कोई सेलेक्शन कमेटी के जरिये से यह चुनाव किया गया ? उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने उनके बारे में राय दी थी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार का वह पत्र, जिसमें उस ने यहां की सरकार को एक इंजीनियर भेजने के लिये आमंत्रित किया था, पढ़ने की कृपा करेंगे और यह भी बतायेंगे कि वह पत्र कब भेजा गया ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। उसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि आप अपने यहां से चीफ इंजीनियर या किसी इंजीनियर को भेजिये और एक सेक्रेटरी हमने यहां से सेक्रेटरी और एक इंजीनियर का नाम भेज दिया। बाद में वहां के फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने हमसे कहा कि फारेन एक्सचेन्ज की डिफिकल्टी रहती है इसलिये एक टेक्निकल आदमी को लेंगे और एक आदमी सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का भेजेंगे। लिहाजा उन दोनों नामों को मैंने बतला दिया मिस्टर डामले और मिस्टर शर्मा, जिनको भेजा गया।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

खिरसौली ग्रामवासियों का नहरी पानी निकालने के लिये प्रार्थना-पत्र

*१—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खिरसौली, तहसील इग्लास, जिला अलीगढ़ के लोगों ने सरकार के पास बहुत से प्रार्थना-पत्र भेजे हैं कि वहां की जमीन माइनर रजावल मौट ब्रांच द्वारा पानी से भरी पड़ी रहती है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पानी को निकालने के लिये क्या-क्या किया है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, ऐसे कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं। इस माइनर के टेल के पास का क्षेत्र नशेबी है और कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें मामूली वर्षा से ही पानी भरा रहता है। इस क्षेत्र को जलमग्न होने से बचाने के लिये १९६० में मंगरा नाला बनाया जा चुका है।

*२—श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार उपर्युक्त पानी को निकालने के लिये ऐसी कोई कार्यवाही कर रही है जिसमें मौजूदा फसल खरीफ की बच जाय ?

श्री राममूर्ति—माइनर के बेशी पानी को इस नशेबी क्षेत्र में आने से रोकने के लिये एक टेल स्केप शीघ्र ही बनाने का विचार है।

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह टेल जो इसमें बनने जा रही है यह कितने दिनों में बन जायगी ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मंगरा नाला बनकर तैयार हो गया है लेकिन ऐसा होता है कि कभी-कभी एकदम पानी की मांग कम हो जाती है तो उस रजबहे और माइनर में जो पानी रहता है वह ड्रेन के जरिये से निकाला जाया करता है। यह १३५ एकड़ का नशेबी क्षेत्र है जिसमें कभी-कभी पानी भर जाया करता है। हमने सोच रखा है कि माइनर के जरिये से एक स्केप बना दिया जाय और इसको मंगरे नाले में मिला दिया जाय तो इस नशेबी क्षेत्र में जो पानी भर जाता है वह पानी निकल जायेगा।

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस जगह पर जब पानी भरता है तो वहां जो टेल है उसको आगे मंगरा ड्रेन में मिला दिया जाय तो उससे पानी भरना बन्द हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि जब माइनर से डाइरेक्ट टेल स्केप बनाकर मंगरा नाले में डाल दिया जायगा तो नशेबी क्षेत्र में फिर पानी नहीं भरा करेगा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पानी के भर जाने की वजह से फसल का कितना नुकसान हो जाता है ?

श्री राममूर्ति—उसमें कुल क्षेत्र १३५ एकड़ का है। मैं इस वक्त नहीं कह सकता कि कितना नुकसान फसल का होता होगा क्योंकि वे आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नशेबी क्षेत्र में पानी भर जाने की वजह से लगान और आबपाशी दोनों वहां माफ कर दिये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—यदि वर्षा के दिनों में वहां पानी भरा रहता होगा तो मैं समझता हूं सिंचाई विभाग उसको माफ नहीं करता है लेकिन अगर सिंचाई विभाग के टेल या माइनर के जरिये पानी भरता होगा तो उसके बारे में किसानों ने प्रार्थना की होगी और उसको जरूर माफ कर दिया गया होगा क्योंकि इस प्रकार का कायदा है।

[८ अगस्त, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

खाकसारों का कानपुर में अखिल भारतीय सम्मेलन

*१—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि मई, १९६१ में "खाकसार आन्दोलन" का कानपुर में एक बिशाल सम्मेलन और सैनिक प्रशिक्षण हुआ तथा सैनिक वर्दीधारी खाकसारों का एक जलूस निकाला गया ? यदि हां, तो उस सम्मेलन व प्रशिक्षण में क्या प्रस्ताव पास हुये, कितने लोगों ने भाग लिया तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में कितनी गिरफ्तारियां कीं ?

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)—खाकसार जमात का अखिल भारतीय सम्मेलन दिनांक १९ मई से २१ मई, १९६१ तक कानपुर में हुआ। किन्तु इस सम्बन्ध में किसी सैनिक प्रशिक्षण होने की कोई सूचना नहीं है। सम्मेलन में एक कैम्प अवश्य लगा था जिसमें खाकसार रीति के अनुसार परेड भी हुई। कोई व्यवस्थित एवं अनुशासित ढंग से जलूस नहीं निकाला गया परन्तु १९ मई को लगभग ३० खाकसारों ने जिनमें अधिकतर वर्दी धारण किये हुये थे पटकापुर मस्जिद् में जाकर नमाज पढ़ी। इनमें से ८ या १० के पास बेलचे भी थे। सम्मेलन में शामिल होने वालों की संख्या लगभग १०० थी। इस सम्बन्ध में पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की। सम्मेलन में पास किये गये प्रस्तावों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५८५ पर)

*२—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में खाकसारों की संख्या क्या है ?

श्री नवलकिशोर—जहां तक सरकार को ज्ञात है उत्तर प्रदेश में सक्रिय खाकसारों की संख्या १००–१५० के बीच में है।

*३—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि उक्त सम्मेलन में यह कहा गया था कि "हिन्दुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को आजाद करने के लिये और उन्हें जिस्मानी तौर पर तैयार करने के लिये इस आन्दोलन को पुनर्जीवित किया जा रहा है व सियासी मामलात में 'जमीयत–इस्लामी' व दिल्ली में होने वाली मुसलिम लेजिस्लेटर्स कनवेन्शन भी इससे सम्बन्धित है ?"

श्री नवलकिशोर—सरकार के पास इस प्रकार के कथन की कोई सूचना नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार को ज्ञात है कि खाकसार पार्टी पहले जब पंजाब में बनी थी तो ब्रिटिश सरकार ने भी उसको बैन कर दिया था तो इस समय उस पार्टी को बैन करना क्यों नहीं उचित समझा गया ?

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। क्या आप कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, इसलिये यह सरकार भी करे ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जी हां, यह सरकार बैन करना क्यों नहीं उचित समझती ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आर्गूमेंट है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं जानना चाहता हूं कि इस पार्टी पर कोई प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी इस पार्टी की ओर से कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जो कांस्टीटयूशन और मौजूदा कवानीन के खिलाफ हो, इसलिये प्रतिबन्ध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपकी इजाजत से यह बतला दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने नहीं इस कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने उस पर प्रतिबन्ध लगाया था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने ब्रिटिश गवर्नमेन्ट कह दिया। क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब कांग्रेस सरकार ने अपनी नीति परिवर्तित कर दी है ?

श्री अध्यक्ष—आप यह पूछें कि क्यों उसे बैन किया था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इन खाकसारों ने यह प्रस्ताव पास किया है कि जब यहां कम्युनल दंगे हों, उसकी जांच में दोनों देशों के प्रेसीडेंट रहें ? ऐसा भी भाषण वहां दिया गया था कि पाकिस्तान के प्रेसीडेंट यहां के दंगों की जांच करेंगे ?

श्री चरणसिंह—क्या व्याख्यान दिये गये थे यह तो गवर्नमेंट को नहीं मालूम, लेकिन जो प्रस्ताव पास हुआ है उसकी एक कापी माननीय मित्र के पास है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कानपुर के सम्मेलन में जो १०० के लगभग खाकसार आये थे वे किस-किस जिले से आये थे और कौन व्यक्ति थे ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट ऐसे मामलों में जहां तक मुमकिन हो सकता है, जानकारी रखती है, लेकिन किस-किस जिले से कौन-कौन आये थे और कहां-कहां से नहीं आये, मैं नहीं समझता कि इस सिलसिले में कोई बात कहना जनहित में होगा।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतलायेगी कि खाकसार संगठन पर जो प्रतिबन्ध लगाने की बात अभी मंत्री जी ने कही है वह प्रतिबन्ध किस कारण से लगाया गया था ?

श्री चरणसिंह—तात्कालिक परिस्थितियों के बमूजिब।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतलायेगी कि जमीयत-इस्लामी नाम की जो संस्था है उसके बारे में जितनी सूचना आदि उपलब्ध है उसके आधार पर सरकार का क्या विचार है कि वह कोई राजनीतिक संस्था है, धार्मिक संस्था है या सोशल संस्था है ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न था वह खाकसार जमाअत के सिलसिले में है और माननीय मित्र जमीयत-इस्लामी के सिलसिले में प्रश्न कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाब दूं।

श्री झारखंडेराय—प्रश्न ३ में उसका जिक्र है और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया है। तो उस संस्था के बारे में जो उनके पास सूचनायें हैं उनके आधार पर वे उसको एक सोशल संस्था समझते हैं या रिलीजियस समझते हैं ? यह एक जनरल प्रश्न है।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ३ में तो यह पूछा गया है कि क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि उक्त सम्मेलन में यह कहा गया था कि "हिन्दुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को आजाद करने के लिये और उन्हें जिस्मानी तौर पर तैयार करने के लिये इस आन्दोलन को पुनर्जीवित किया जा रहा है वह सियासी मामलात में 'जमीयत-इस्लामी' व दिल्ली में होने वाली मुस्लिम लेजिस्लेचर्स कनवेन्शन भी इससे सम्बन्धित है ? बस इतना सवाल है, उसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष—वह यह जानना चाहते हैं कि यह सियासी मामलात में 'जमीयत-इस्लामी व' दिल्ली में होने वाली मुसलिम लेजिस्लेटर्स कनवेन्शन भी इससे सम्बन्धित है या नहीं? आप यह बतायें कि यह खाकसार उससे सम्बन्धित हैं या नहीं ?

श्री चरणसिंह—जवाब दे दिया गया है कि मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ऐसी कोई स्पीच हुई या नहीं। जमीयत-इस्लामी का क्या करेक्टर है, यह दूसरी बात है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार खाकसार आन्दोलन को राष्ट्र की सुरक्षा के लिये खतरनाक और साम्प्रदायिकता का विष फैलाने वाली संस्था समझती है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, आज नहीं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खाकसारों ने अपना सम्मेलन करने के लिये वहां के जिला अधिकारियों से तथा सम्बन्धित अधिकारियों से इजाजत ले ली थी ?

श्री चरणसिंह –मुझे इसका इल्म नहीं है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, उन्होंने झारखंडे राय जी के प्रश्न को दूसरे ढंग से समझ लिया है । उन्होंने यह समझ लिया कि शायद सम्मेलन में भी यही भाषण किया गया था, किन्तु यह प्रश्न नहीं है । प्रश्न तो यह है कि खाकसारों का सम्बन्ध कुछ जमीयत इस्लामी और मुस्लिम लेजिस्लेचर्स कन्वेन्शन से भी है ?

श्री अध्यक्ष---तीसरा प्रश्न इस प्रकार है---क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि उक्त सम्मेलन में यह कहा गया था कि "हिन्दुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को आजाद करने के लिये और उन्हें जिस्मानी तौर पर तैयार करने के लिये इस आंदोलन को पुनर्जीवित किया जा रहा है व सियासी मामलात में 'जमीयत-इस्लामी' व दिल्ली में होने वाली मुस्लिम लेजिस्लेटर्स कन्वेन्शन भी इससे सम्बन्धित है ?" यह आखिर तक इनवर्टेड कामाज में है और वह भाषण का अंश इसमें दिया है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि खाकसारों की जो सभा हुई और मुस्लिम लेजिस्लेचर्स की कान्फ्रेन्स हुई और 'जमीअत-इस्लामी' का जो कुछ हो रहा है, इसके बारे में उन तीनों चीजों के पहले कोई पूजा स्थलों में मीटिंग्स हुईं रात को गुप्त रूप से, तब तय हुआ और तब तीन फ्रंट पर अलग-अलग काम चालू किया गया ?

श्री चरणसिंह---यह बात ठीक है कि मुसलमानों की बहुत सी जमाअतों की मीटिंगें होती हैं---कुछ सीक्रेट, कुछ ओपिन, जिस-तरह कि दूसरी और जमाअतों की भी होती हैं ।

श्री नेकराम शर्मा---प्रदेश के कितने जिलों में खाकसार आन्दोलन का कार्य शुरू हो गया है ?

श्री चरणसिंह---तीन, और चार भी कहा जा सकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या उन तीन चार स्थानों में, जो सरकार ने बताये, यह कानपुर का स्थान केन्द्र स्थान बन गया है ?

श्री चरणसिंह---नहीं, केन्द्र है लखनऊ ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---यह खाकसार आन्दोलन किसी नये पैटर्न पर है या पुराने ही पैटर्न पर है ?

श्री चरणसिंह---पैटर्न वही है, लेकिन अमेंडेड (संशोधित) है ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खाकसार जो हैं ये राजनीतिक संस्था हैं या सम्प्रदायवादी हैं ?

श्री चरणसिंह---वह अभी राजनीतिक नहीं हैं, क्योंकि वह तो वर्ल्ड ब्रादरहुड की बात करते हैं । जहां तक सिद्धांतों का सम्बन्ध है, खाकसार आन्दोलन साम्प्रदायिक है या नहीं, यह कहना मुश्किल होगा ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या मंत्री जी उन जिलों के नाम बतायेंगे, जिन तीन-चार की संख्या बतलाई, जहां खाकसार आन्दोलन जोरों से शुरू हो गया है ?

श्री चरणसिंह—एक तो माननीय सदस्य का जिला है अलीगढ़, एक झांसी, एक लखनऊ और कुछ-कुछ कानपुर ।

श्री अध्यक्ष—दूसरा जिला आपने कौन-सा बताया ?

श्री चरणसिंह—पहला तो माननीय सदस्य का जिला अलीगढ़ और दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय का जिला है, झांसी ।

श्री अध्यक्ष—मैंने सुना नहीं था, आपने धीरे से कहा। यह मुझे अभी खबर मिली।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह वही खाकसार आन्दोलन है जिसकी हैदराबाद शाखा ने पुलिस से काफी समय तक संघर्ष किया था और जिसके बारे में मंत्री जी ने कहा कि अब उन्होंने अपने नियमों में परिवर्तन कर लिया है तो उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है ?

श्री चरणसिंह—ऐसा मालूम पड़ता है माननीय मित्र रजाकार और खाकसार दोनों को एक ही समझ रहे हैं। अब मुझे केवल जो उत्तर प्रदेश में खाकसार पार्टी थी उसका थोड़ा सा आभास है, हैदराबाद में उसने क्या रूप धारण किया इसको मैं नहीं कह सकता। जब मैंने उत्तर प्रदेश की खाकसार पार्टी के विवरण को देखा तो उसमें २४ उसूल उनके पाये उसमें पहले जहां एक लफ्ज आया था "मुसलमानों की बहबूदी" के लिये वहां अब "मुसलमानों" की जगह "इंसान" कर दिया गया है ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री-जी यह बतायेंगे कि यह खाकसार क्या जमाअत है और उसकी पालिसी क्या है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी से उनके कमरे में पूछ लीजिए, क्योंकि उन्होंने उसके २४ सिद्धांत बताये हैं ।

श्री झारखंडेराय—माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि यह कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी पोलिटिकल और कौन सी रिलीजस है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई लिस्ट मेंनटेन करती है या नहीं जिससे यह मालूम हो सके कि कौन सी संस्था प्रदेश में कम्युनल है या कौन सी पोलीटिकल है और खाकसार उस लिस्ट में किसमें है ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट तो जो कदम उठाती है या कोई काम करती है उसमें वह ज्यादा आयडोलोजीकल झगड़ों में नहीं पड़ती बल्कि जो कान्क्रीट रिजलट्स होते हैं उनके ऊपर ऐक्शन लेती है । क्योंकि बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं जो अपने को पोलीटिकल कहती हैं लेकिन कभी-कभी वे ऐसा काम करती हैं जो कम्युनल हो जाता है और दो जातियों के बीच के रिश्ते को गड़बड़ कर देता है । अब ऐसी संस्था के बारे में क्या कहा जाय ?

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उन्होंने प्रदेश की जनता को आगाह करने के लिये कोई ऐसी लिस्ट बनायी है जिसमें ऐंटी नेशनल और कम्युनल संस्थाओं के नाम की जानकारी हो सके ?

श्री चरणसिंह—जानकारी होने का सबसे बड़ा साधन तो यह सदन ही है । प्रश्नों के जरिये से जानकारी होती ही रहती है । गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा कोई केम्पेन इस बाबत हो, मैं समझता हूं, उसकी आवश्यकता नहीं है । वैसे गवर्नमेंट की पालिसीज का रूलिंग पार्टी के लोगों की ओर से बाहर भी प्रचार होता रहता है । इस सिलसिले में गवर्नमेंट पार्टी और विरोधी पार्टियों में कोई अन्तर नहीं है ।

***४-६—श्री झारखंडेराय**—[२२ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

रामपुर मथुरा ब्लाक में 'प्रदर्शन कृषि फार्म हेतु' भूमि खरीदने की सिफारिश की नामंजूरी

*७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि सीतापुर जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय द्वारा दिनांक २९ सितम्बर, १९५९ को पत्र-संख्या ९४७०/१३-प्रयोजल/एफ० सी० कृषि उप-निदेशक लखनऊ क्षेत्र को रामपुर, मथुरा ब्लाक (सीतापुर) के अन्तर्गत 'प्रदर्शन कृषि फार्म' खोले जाने हेतु भूमि के क्रय किये जाने से संबंधित लिखा गया था ?

श्री नवल किशोर—जी हां ।

*८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सरकार के हाथ विक्रय के हेतु प्रस्तावित भूमि प्रस्तावक श्री मृत्युंजय बख्श सिंह के कब्जे में प्रस्तावित दिनांक ५ मई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक नहीं रही है ? यदि हां, तो यह भूमि किस प्रकार तथा किस अधिकारी द्वारा क्यों सरकार के सम्मुख सर्व प्रथम प्रस्तुत की गई ?

श्री नवलकिशोर—प्रश्न के प्रथम भाग का आशय स्पष्ट नहीं है । यह भूमि कृषि विभाग के कब्जे में कभी नहीं रही । इन्तखाब में श्री मृत्युन्जय बख्श सिंह का नाम दर्ज है । जिला कृषि अधिकारी से परामर्श करके कृषि निदेशक को यह जमीन लेने के लिये इस उद्देश्य से सिफारिश की थी कि गांजर क्षेत्र में एक फार्म खुले । कृषि निदेशक ने इसकी स्वीकृति नहीं दी । अतः यह जमीन नहीं ली गई ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी ने किस अधिकारी से परामर्श किया कि वह जमीन क्रय किये जाने के लिये कृषि निदेशक को सिफारिश भेजी गयी ?

श्री नवलकिशोर—जिला कृषि अधिकारी ने उपसंचालक कृषि के पास अपनी सिफारिश भेजी और उन्हें लिखा कि फार्म खोलने के लिये एक जमीन मिल रही है, उसे ले लिया जाय, लेकिन उसके बाद जब हमारे कृषि निदेशक ने वहां जाकर उसकी जांच की तो उन्होंने महसूस किया कि यह जमीन कृषि के लिये उपयुक्त नहीं है, इसलिये उन्होंने उसको लेना स्वीकार नहीं किया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—श्रीमन्, मैंने प्रश्न नं० ८ में पूछा था कि प्रस्तावित दिनांक ५ मई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक जमीन प्रस्तावक के कब्जे में ही नहीं रही है ? तो इसका मुझे जवाब दिया गया कि इन्तखाब में नाम दर्ज है, तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है ?

श्री नवलकिशोर—जैसा कि मैंने कहा—चूंकि कृषि विभाग की वह जमीन नहीं है, इसलिये हमारे पास उसका कोई रेकर्ड तो है नहीं, लेकिन जो रेकार्ड है उससे पता चलता है कि इंतखाब में श्री मृत्युंजय बख्शसिंह के नाम से दर्ज है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या यह सत्य है कि इस जमीन का निरीक्षण उप-निदेशक ने किया था और उन्होंने सिफारिश की थी कि यह जमीन खरीद ली जाय ?

श्री नवलकिशोर—उन्होंने इसका निरीक्षण किया था या नहीं, यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह सही है कि उन्होंने इस प्रकार का एक पत्र हमारे कृषि निदेशक को लिखा था कि यह जमीन ले ली जाय ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बी० डी० ओ० रामपुर से यह प्रस्ताव आया था कि यह जमीन खरीद ली जाय जबकि सैकड़ों किसान वर्षों से उस पर काबिज रहे हैं और मेरे पास खसरा भी मौजूद है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, यह तो सरकार को सूचना नहीं है कि किसके कब्जे में है, लेकिन वाकयात यह है कि श्री मृत्युंजय बख्शीसिंह ने इस बात के लिये बी०डी०ओ० को एप्रोच किया कि उनकी जमीन फार्म के लिये ले ली जाय। बी०डी०ओ० ने इसके लिये कृषि उपसंचालक से कहा और उन्होंने डाइरेक्टर से कहा। अन्त में डाइरेक्टर ने इसको नामंजूर कर दिया।

पुलिस अधीक्षक, सीतापुर द्वारा 'जानकारी प्रतियोगिता' योजना का प्रसार

*९—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि सीतापुर जिले के सुपरिन्टेंडेंट पुलिस द्वारा मार्च, १९६१ में जरायम की स्थिति के सुधार के लिये जानकारी प्रतियोगिता नामक योजना और नवीन आदेश प्रसारित किये गये हैं जो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं? यदि हां, तो वह क्या हैं और क्या इन्हें सारे प्रदेश में लागू किये जाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे?

श्री नवलकिशोर—पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने मार्च, १९६१ में अपने जिले में 'जानकारी प्रतियोगिता' के नाम से एक योजना प्रसारित की है जिसकी रूपरेखा संलग्न तालिका में दी हुई है। यह अभी नहीं कहा जा सकता कि यह योजना कहां तक सफल हुई है। इसलिये इसे प्रदेश में लागू करने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५८६ पर)

कुरावली थानान्तर्गत जी० टी० रोड पर ठेलेवालों की कथित लूट

*१०—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के थाना कुरावली के अन्तर्गत जी०टी०रोड पर मार्च या अप्रैल, १९६१ में दो मोटर ठेले वालों को मारपीट कर के कई हजार का माल तथा काफी रुपया लूट लिया गया?

श्री नवलकिशोर—६/७ अप्रैल, १९६१ की रात में उक्त रोड पर २ मोटर ठेले वालों को मारपीट कर लगभग ८५० रुपये का कुल माल लूटा गया।

*११—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या इसके कारण करीब ६ सौ मोटर ठेले कई घंटे तक घटनास्थल पर जमा रहे और सब यह कोशिश करते रहे कि थाने में रिपोर्ट लिख जाय पर उनकी बताई रिपोर्ट न लिख कर एक कोर्ट इन्स्पेक्टर पुलिस की बताई रिपोर्ट लिख ली गई और जब इसकी शिकायत फोन द्वारा कप्तान पुलिस मैनपुरी को की गई तो उनके आने पर मोटर ठेले वालों ने नोट कराया और बयान दिये कि और भी कई बार हम लोगों के ठेले लूटे जा चुके हैं पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई है? इस मामले में क्या हो रहा है?

श्री नवल किशोर—जी नहीं, लगभग ८०,९० ट्रक ड्राइवर एस०पी० से मिलने की इच्छा से सड़क रोके खड़े थे। सूचना मिलने पर एस०पी० तुरन्त मौके पर पहुंचे और जमा हुए लोगों से बात की। जहां तक ए०पी०पी० द्वारा रिपोर्ट लिखाये जाने का प्रश्न है, असलियत यह है कि एक ए०पी०पी० खुद एक ट्रक पर सफर कर रहे थे और वे भी लूटे गये थे। इन ए०पी०पी० ने लूटे हुए दोनों ट्रकों के ड्राइवरों की राय से, एक रिपोर्ट थाने में पर लिखाई थी।

कुछ लोगों ने एस०पी० से यह कहा कि, वे इसी जगह पर पहले भी लूटे गये थे और रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इस पर एस० पी० ने तुरन्त ही आवश्यक जांच प्रारम्भ की जिससे ज्ञात हुआ कि दी हुई सूचना बिल्कुल गलत थी।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब मोटर ठेले वालों की राय से ए०पी०पी० ने रिपोर्ट लिखाई तो कप्तान पुलिस को फोन करा बुला की क्या जरूरत आ पड़ी थी?

श्री नवलकिशोर—जैसा कि मैंने कहा, रिपोर्ट लिखा दी गई थी उसके बाद जरूरत यह थी कि वह एस०पी० से कहना चाहते थे कि ऐसा वाकया पहले भी हुआ है, यही कारण बुलाने का था।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ए०पी०पी० ठेले में सफर कर रहे थे वह अपना माल लाद कर ले जा रहे थे या वैसे ही जा रहे थे ?

श्री नवलकिशोर—वह छुट्टी पर अपने घर जा रहे थे।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ए०पी०पी० ने जो रिपोर्ट लिखाई वह अपने नाम से लिखाई या जो लूटे गये उनके नाम की? और उन्होंने अपने नाम की क्यों नहीं लिखाई ?

श्री नवल किशोर—जो वाकया हुआ उन्होंने उसकी रिपोर्ट लिखाई ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस अधिकारी की रिपोर्ट पर यह कहा जा रहा है कि मोटर वालों का कहना गलत है और उन अधिकारी ने वह जांच किस प्रकार की ?

श्री नवलकिशोर—जब एस०पी० वहां पहुंचे और उन्होंने वाकये के बारे में पूछा तो वहां उनको बताया गया कि ३१ मार्च को यह वाकया हुआ था और यह भी बताया गया कि भजनसिंह नामक क्लीनर को जख्मी किया गया था और वह कानपुर के अस्पताल भेजा गया था, लेकिन जांच के बाद वह बात गलत निकली, वह उस दिन उस गाड़ी पर मौजूद भी नहीं था।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिपोर्ट ए०पी०पी० की राय से लिखाई गई उसमें वह खुद मुद्दई हैं या ठेले वाला ?

श्री नवलकिशोर—यह रिपोर्ट ए०पी०पी० की तरफ से लिखाई गई है।

*१२-१४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[२२ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

नहरी कानून तोड़ने वालों के मुकदमे समीप के स्थान पर करने की प्रार्थना

*१५—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार के विचाराधीन यह प्रश्न है कि नहर की पटरियों पर बिला इजाजत बैलगाड़ी, तांगा, इक्का कार चलाने पर व आबपाशी के लिये नहर की पटरी काट देने पर जो अपराधियों पर मुकदमें चलाये जाते हैं उनकी तारीखें नहर मैजिस्ट्रेट के दौरे के समय अपराधियों के निवास के समीप अथवा उनके जिले के हैडक्वार्टर पर ही डाली जाया करें और उन मुकदमों की सुनवाई दूसरे जिलों अथवा निवास स्थान के जिले में ही दूर के स्थानों में न हुआ करें? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—इस प्रकार के आदेश पहले से ही हैं। नहर मैजिस्ट्रेटों को यह निदेश दिये जा चुके हैं कि वे उतने ही मुकदमें एक दिन के लिये नियत करें जिनका फैसला वह एक दिन में कर सकते हैं और यदि किसी स्थान पर मुकदमें ज्यादा करने हों जो एक दिन में नहीं हो सकते हों तो वे वहीं दो दिन ठहरा करें अथवा कोई दूसरी तारीख उसी जगह या उसके आस-पास के लिये नियत करें। जहां तक संभव हो वह ऐसा प्रबन्ध करें कि किसान को ५ मील से अधिक न चलना पड़े तथा बार-बार दौड़ना भी न पड़े।

काटजू रोड, इलाहाबाद पर पिस्तौल बनाते हुये इदरीस की गिरफ्तारी

*१६—**कुंवरश्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक २८ मई, १९६१ के लगभग इलाहाबाद की पुलिस ने नगर के काटजू रोड पर किसी अवैध शस्त्र निर्माण शाखा का पता लगाया है ? यह दुर्घटना किस प्रकार है तथा इस कार्य में कितने व्यक्ति पकड़े गये ?

श्री नवलकिशोर—जी हां, सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने नं० २, काटजू रोड, इलाहाबाद के निवासी इदरीस नामक व्यक्ति के क्वार्टर पर छापा मारा और वहां से इदरीस को एक देशी पिस्तौल बनाते हुये गिरफ्तार किया। कुछ कारतूस तथा देशी पिस्तौल बनाने का सामान व लोहे के टुकड़े इत्यादि भी बरामद किये।

कुंवरश्रीपाल सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह इदरीस साहब जो पकड़े गये वह क्या काम करते थे और उनका जरिया माश क्या था ?

श्री नवलकिशोर—यह तो मैं नहीं कह सकता कि वह क्या करते थे, लेकिन वह एक पुराने हिस्ट्रीशीटर हैं और २ बार उन्हें कैद हो चुकी है।

कुंवर श्रीपालसिंह—उत्तर में जो यह कहा गया कि क्वार्टर पर हमला किया तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या वह क्वार्टर सरकारी था ?

श्री नवलकिशोर—क्वार्टर सरकारी नहीं था।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने जाकर इन्हें गिरफ्तार किया तो क्या-क्या सामान पाया; मशीन, इन्स्ट्रूमेंट्स, फारेन मेटीरियल कागजात वगैरह क्या-क्या मिला ?

श्री नवलकिशोर—जिस समय उन्होंने छापा मारा तो एक तो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वह स्वयं पिस्तौल बनाते हुये पकड़े गये। इसके अलावा उनके पास एक बोरी सामान था जिसमें टुकड़े लोहे वगैरह के थे और दो कारतूस १२ बोर के बरामद हुये।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार के पास इस बात की शिकायत पहुंची है कि इलाहाबाद से और ऐसे ही अन्य शास्त्रागारों से ऐसी अवैध पिस्तौल तमाम पूर्वी जिले और दूसरे जिलों में बाटी जाती हैं ?

श्री नवलकिशोर—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह जो पिस्तौल बना रहा था उसमें जो कारतूस बरामद हुये वह १२ बोर के थे या पिस्तौल के ?

श्री नवलकिशोर—१२ बोर के थे।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उनके यहां इस किस्म के भी कुछ कागजात मिले थे जिससे यह साबित होता हो कि इनका एक अन्तर प्रांतीय गिरोह है जिसके वे एक कार्यकर्त्ता हैं ?

श्री नवलकिशोर—इस तरह की कोई चीज नहीं मिली।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कारखाना जो पकड़ा गया है वह पुलिस की चौकी से कितनी दूर है ?

श्री अध्यक्ष—आप खुद बता दें और पूछ लें कि इतनी दूर है या नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—मंत्री जी को मालूम होना चाहिये कि पुलिस चौकी से २० कदम की दूरी पर यह कारखाना पकड़ा गया है और क्या मंत्री जी को पता है कि मुलजिम ने बयान दिया है कि पुलिस की जानकारी में यहां पिस्तौल बनती थीं ?

श्री नवलकिशोर—यह बात गलत है।

श्री अध्यक्ष—कौन सी बात गलत है? २० कदम की दूरी पर नहीं था, थाने के करीब ही था यह बात सही है या नहीं?

श्री नवलकिशोर—इसकी सूचना तो माननीय सदस्य को ज्यादा होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पुलिस चौकी के इतने नजदीक पिस्तौल बन रही थी तो क्या पुलिस वाले भी उस पिस्तौल के ग्राहक थे?

श्री अध्यक्ष—उनको दूर की और करीब की बात का पता नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, यह दुकान तो पुलिस की ही लगवाई हुई है।

कानपुर-रूरा के बीच ट्रेन डकैती

*१७—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई के तीसरे सप्ताह में कानपुर और रूरा स्टेशन के बीच ट्रेन डकैती हुई और डाकू सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज के एक डाक्टर को और उसके संबंधी को जख्मी कर के डाक्टर की पत्नी का जेवर और कीमती सामान लूट ले गये?

श्री नवलकिशोर—दिनांक २१ मई, १९६१ को कानपुर—रूरा स्टेशन के बीच चलती हुई ट्रेन में राहजनी की एक घटना हुई थी जिसमें मेडिकल कालेज आगरा के एक प्रोफेसर उनकी पत्नी व साले पर ४ अपराधियों ने चलती ट्रेन में आक्रमण करके उन्हें जख्मी किया और लगभग ३३० रुपये मूल्य का सामान लूटकर अपराधी चलती ट्रेन से उतर कर भाग गये।

*१८—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि इस डकैती में राजनीतिक दलों का हाथ है और पढ़े-लिखे नौजवान ऐसी वारदातें कर रहे हैं?

श्री नवलकिशोर—उपर्युक्त घटना के संबंध में रेलवे पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अभी यह पता नहीं लग पाया है कि यह अपराध किन लोगों ने किया है।

*१९—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार ने यह मामला छानबीन के लिये सी०आई०डी० को सुपुर्द किया है?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या मंत्री जी बताएंगे कि ढाई महीने की जांच का क्या नतीजा हुआ?

श्री नवलकिशोर—अभी तक जांच अपनी जगह पर चल रही है।

श्री झारखंडेराय—क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान गया है कि आजकल चरायम या डकैती वगैरह में पढ़े-लिखे नौजवान भी बहुत काफ़ी हिस्सा लेने लगे हैं?

श्री चरणसिंह—जी हां, कुछ हद तक यह बात सही है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---प्रश्न १९ से संबंधित। उन्होंने कहा कि सी० आई० डी० से जांच नहीं करायी जा रही है। तो क्या यह बताएंगे कि जब इतनी बड़ी संख्या में ट्रेन डकैतियां हो रही हैं तो इस तरह की घटनाओं की जांच के लिये विशेष सी० आई० डी० किन कारणों से सरकार नहीं नियुक्त कर रही है ताकि ठीक-ठीक पता लग सके और कार्यवाही हो सके ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने यह बात फ़र्ज़ करके सवाल पूछा है कि इतनी संख्या में ट्रेन डकैतियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है। जैसा पहले बताया गया था पिछले साल केवल ३ बड़ी घटनायें रेलवे में पूरे साल में हुई थीं। और इस साल ६ महीने में केवल यह एक घटना हुई है।

श्री मदन पांडेय---मंत्री जी बतायेंगे कि इस ढाई महीने की छानबीन में कुछ व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुए हैं या नहीं ?

श्री चरणसिंह---अभी जांच हो रही है। लेकिन पुलिस को दो गैंग्स पर शुबहा है। उनकी बाबत यहां पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अभी तहकीकात जारी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मंत्री जी प्रकाश डालेंगे कि डकैती में कुछ पढ़े-लिखे लोगों का जो इशारा है तो क्या इस बात की भी ताईद करेंगे कि इस डकैती में कुछ पढ़े-लिखे लोग शरीक थे ?

श्री चरणसिंह---अभी तो तहकीकात चल रही है।

श्री झारखंडेराय---जैसा अभी मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब दिया है कि कुछ हद तक यह बात सही है, तो इसका कारण सरकार ने केवल बेकारी समझा है या और कोई कारण है ? जिससे पढ़े-लिखे नौजवान हिस्सा लेने लगे हैं ?

श्री चरणसिंह---मुख्य कारण और है। और वह कारण अगर मैंने बतलाया तो कुछ दोस्तों को बहुत अच्छा नहीं लगेगा।

नैनीताल में विधायकों से फेमिली सूट का किराया

*२०---कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष नैनीताल जाने वाले मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को सरकारी तीन कमरों वाला फैमिली सूट कितने रुपए रोज के किराये पर दिया गया है तथा इसी प्रकार के सूट विधायकों को कितने किराये पर दिये जाते हैं ?

श्री राममूर्ति---मन्त्रिमंडल के सदस्यों को सरकारी ३ कमरों वाला फैमिली सूट ३ रुपये रोज के किराये पर दिया गया तथा इसी प्रकार के सूट विधायकों को भी इसी किराये पर दिये जाते हैं, क्योंकि आवासों का किराया किसी पद इत्यादि के आधार पर नहीं लिया जाता है, बल्कि किराया स्थान के आधार पर ही निर्धारित होता है।

कुंवर श्रीपालसिंह---मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सत्य नहीं है कि विधायकों को केवल एक कमरे वाला सूट जो है वह भी तीन रुपये में ही दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति---यह कतई सत्य नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष तीन कमरे वाला फ़ेमिली सूट जो तीन रुपये पर मिलता है जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं इसमें कुछ विधायक भी रहे हैं ? यदि हां, तो इस साल कितने रहे ?

श्री राममूर्ति---जहां तक मुझे मालूम हुआ है इसमें दो विधायक रहे और ४ मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और बाक़ी अफ़सरान रहे।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि विधायकों के लिये जो व्यवस्था है स्थान की, उसमें कोई तीन कमरे वाला सूट नहीं है?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, नैनीताल में एक स्लीपी हालो स्थान है जिसमें पहले १० मकान बने हुए थे और अब ४ और बन गए। यह मकान शुरू में जब यहां से असेम्बली जाया करती थी तब बने थे और बड़े सस्ते दामों में बने थे। पी० डब्ल्यू० डी० कीमत के लिहाज से किराया निर्धारित करता है। तो यह मकान उस जमाने से ३, ४ रुपये के रेट पर चले आ रहे हैं। लड़ाई के बाद जो ब्रुक हिल बना, उसके बराबर में कुछ मकान बने हैं जिसमें तीन रुपये रोज के सिंगिल रूम्स हैं और फ़ेमिली सूट्स ४ रुपये रोज के हैं। इसी तरह से आर्डवैल में दो रुपए पर दिये जाते हैं। जो नैनीताल क्लब के अन्दर कमरे हैं उसके अलग-अलग कमरों का अलग-अलग किराया है और कौटेजेज के सूट्स का किराया अलग-अलग है।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, अभी-अभी मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि एक कमरे वाले सूट का तीन रुपया रोज किराया बिल्कुल असत्य है और अब कह रहे हैं कि तीन रुपये रोज पर कोई कमरा दिया जाता है, तो मंत्री जी बताने की कृपा करें कि उनके इन दोनों में से कौन सा उत्तर सत्य है?

श्री अध्यक्ष—पहले आपने क्या सवाल किया था?

कुंवर श्रीपाल सिंह—मैंने पहले यह प्रश्न किया था कि क्या यह सत्य है कि विधायकों को एक कमरा वाला सूट भी तीन रुपए में दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—आपने सिर्फ विधायकों का नाम लिया था और उन्होंने अलग-अलग जगह जो कमरे हैं उन कमरों के हिसाब से बताया। तो इसमें और उसमें अन्तर है, यानी कोई भी आदमी एक कमरे में रहे, जिसको ये बड़ा कमरा कहते हैं ब्रुक हिल में, चाहे विधायक रहे चाहे मंत्री रहे, तीन रुपया ही देना पड़ेगा। सिर्फ विधायकों के लिये ही तीन रुपया है, इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि यह बात सत्य नहीं है। वह तो कमरे के हिसाब से किराया देना पड़ेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैंने तो पूछा था कि विधायकों को एक कमरे वाला सूट भी तीन रुपये में ही दिया जाता है, क्या यह सत्य है? तो क्या वह कमरा जो आपने बताया वह विधायकों को नहीं दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष—मेरी समझ में तो यह बात आयी और मेरे ख्याल से वे भी यही समझे कि विधायकों के बारे में आप पूछ रहे हैं कि विधायकों का डिस्टिंक्शन आप करना चाहते हैं, जो विधायक नहीं है उनसे तो वह डिस्टिंक्शन नहीं है। आप प्रश्न पूछें।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस एक कमरे वाले सूट का जिक्र उन्होंने किया वह विधायकों को दिया जाता है या नहीं?

श्री राममूर्ति—विधायक कोई भी जगह ले सकते हैं नैनीताल के अन्दर। यह तो इसके ऊपर मुनहसिर है कि कितनी जगह खाली होती है। विधायक चाहे दस रुपया वाला लें, चाहे दो रुपया वाला लें, चाहे नैनीताल क्लब में कोई काटेज ले सकते हैं, कोई बड़ा बंगला ले सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि स्लीपी हालो के कमरे जिनकी अभी चर्चा हुई है उनमें पहली बार मंत्रिमंडल के सदस्य गये हैं क्योंकि इस वर्ष किराया देना पड़ा, नहीं तो इसके पहले स्लीपी हालो के सूट स्टेट के टाप आफ़िशल्स के लिये ही रिजर्व हो जाया करते थे और आम-तौर से विधायकों को नहीं मिला करते थे?

श्री राममूर्ति—ऐसी बात नहीं है। पहिले भी स्लीपी हालो के अन्दर विधायकों को मकान दिये जा चुके हैं और गवर्नमेन्ट के मेम्बर्स को भी ये मकान एलाट होते रहे हैं।

श्री नन्दराम गुप्त—जो मंत्री जी ने बतलाया कि मेम्बरों को कमरे मिले थे, तो वे मेम्बर कौन थे और उनको तीन कमरों वाले सूट मिले थे या एक कमरे वाले सूट मिले थे ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया था स्लीपी हालो के बारे में। वहां एक कमरे का सूट तो है ही नहीं। वहां तो दो और तीन कमरों के सूट हैं और दो एम० एल० सी० साहबान को दिये गये थे।

श्री नन्दराम गुप्त—मैं नाम जानना चाहता हूं।

श्री राममूर्ति—एक तो चौधरी शिवनाथ सिंह थे और दूसरे का नाम मुझे मालूम नहीं है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष— श्री राजनारायण जी ने कल जो दिया था, उसके लिए मैंने तारीख मुक़र्रर करने के लिए कहा था। तो २१ तारीख उसमें मुक़र्रर की है और आज जो आया है नियम ५२ के अन्तर्गत उसमें मैंने श्री प्रताप सिंह जी का माना है।

"जिला नैनीताल की तहसील खटीमा, सितारगंज, काशीपुर, बाजपुर एवं रामनगर में कई वर्षों से आबाद काश्तकारों को प्रदेशीय सरकार की ओर से बेदखली के आदेश (नोटिस) जारी किये गये हैं। ये आदेश उन काश्तकारों को भी दिये गये हैं जो वैधानिक रूप से जिम्न दस के काश्तकार हैं। इस प्रकार के आदेश का प्रभाव ३ हज़ार से भी अधिक काश्तकारों पर पड़ा है, जिनको एक महान संकट का सामना, सरकार की बेदखली की बेबुनियादी नीति के कारण करना पड़ रहा है, जिससे समस्त जिले के हजारों काश्तकारों में असंतोष एवं उत्तेजनात्मक भावना फैलती जा रही है। इससे उत्पन्न विषम परिस्थिति की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये मैं २२ तारीख रखता हूं।

श्री मदन पाँडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैंने भी कानपुर के संबंध में एक दिया था.....

श्री अध्यक्ष—वह मैंने नहीं लिया।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, कल तो ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—देखा जायगा।

श्री नन्दराम गुप्त (जिला प्रतापगढ़)—श्रीमन्, मैंने भी टैक्सों के बारे में एक दिया था।

श्री अध्यक्ष—वह मेरे पास नहीं आया।

श्री नन्दराम गुप्त—श्रीमन्, मैंने समय के अन्दर ही भेजा था।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मेरे पास नहीं आया।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—यह जो प्रतापसिंह जी से संबंधित है, उसकी कापी हमारे पास नहीं आई।

श्री अध्यक्ष—२२ तारीख तो अभी दूर है, मैं भेजूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैंने भी गोरखपुर रीजन के रोडवेज के ४० आदमियों के निकाले जाने के सम्बन्ध में दिया था जिसके बारे में आपने कहा था कि बाद को देखेंगे।

श्री अध्यक्ष—वह मैंने स्वीकार नहीं किया।

जिला अलीगढ़ में बढ़ती हुई कत्लों की संख्या के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अलीगढ़ जिले में बढ़ती हुई आराजकता तथा हसायन टाउन एरिया के चेयरमैन, श्री कृष्णमुरारीलाल शर्मा को २५ जुलाई के प्रातः गोली मार कर निर्मम हत्या के सम्बंध में श्री नेकराम शर्मा द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिनांक १ अगस्त, १९६१ को दी गई सूचना पर माननीय गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, जो नोटिस दिया गया था, उसको आप ने पढ़ा नहीं था। इसलिये इसको यदि आप पढ़ दें तो आसानी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—मैं इसको पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है—

"आपका ध्यान जिला अलीगढ़ में बढ़ती हुई अराजकता की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह बड़े खेद के साथ आपको सूचित करना पड़ता है कि हसायन टाउन एरिया के चेयरमैन श्री कृष्णमुरारी लाल शर्मा की २५ जुलाई के प्रातः गोलीमार कर निर्मम हत्या की गई है। श्रीमन्, समय-समय पर विधान सभा में अपने भाषणों में एवं प्रश्नों के द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं कि राजनीतिक हत्यायें इस जिले में रोज का कार्य हो गई हैं। इस वर्ष जिला अलीगढ़ में लगभग ५४ कत्ल हुये हैं जब कि गत वर्ष ४२ कत्ल हुए थे। इस परिस्थिति को देखते हुए जनजीवन तथा विशेष रूप से राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जीवन बहुत ही खतरे में है। सारे जिले में लगातार हत्याओं के कारण आतंक छाया हुआ है। मैं आपकी सेवा में यह भी निवेदन करना ठीक समझता हूं कि जहां तक मेरी सूचना है, पुलिस के पास लगभग १६ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सूची है जिनका जीवन खतरे में है। इन्हीं १६ में से ८ व्यक्ति अब तक मारे जा चुके हैं। अतः आप से निवेदन है कि प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने की मुझे आज्ञा प्रदान की जाय।"

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिला अलीगढ़ में हसायन टाउन एरिया के चेयरमैन, श्री कृष्णमुरारीलाल शर्मा की हत्या गोली मारकर २५-७-६१ को करीब चार बजे सुबह की गई। इस सम्बन्ध में श्री कृष्णमुरारी के चचा, श्री ब्रह्मानन्द ने एक रिपोर्ट घटना के तुरन्त ही बाद थाने पर लिखाई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार श्री कृष्ण-मुरारी अपने मकान के कमरे में सो रहे थे। श्री ब्रह्मानन्द ने, जिनका मकान पास ही है, गोली चलने की आवाज सुनी और वे तुरन्त ही श्री कृष्णमुरारी के मकान की ओर गये। उन्होंने ४ व्यक्तियों को श्री कृष्णमुरारी के मकान से भागते हुए देखा। कमरे में पहुंचने पर श्री ब्रह्मानन्द ने देखा कि श्री कृष्णमुरारी बंदूक की गोली से जख्मी हो गये हैं और उनकी हालत खराब है। उन्होंने तुरन्त ही थाने पर सूचना की। धारा ३०७ भा० दं० विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। थाना हसायन के एस० ओ० तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे परन्तु उस समय तक श्री कृष्णमुरारी की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिये मुकदमे को धारा ३०२ भा० दं० विधान के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया। एस० पी० तथा सी० ओ० ने जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। अभी तक हत्या करने वालों का पता नहीं लग पाया है। आई० जी० पी० से प्राप्त सूचना के अनुसार इस केस की जांच सी० आई० डी० को दे दी गयी है।

श्री नेकराम शर्मा ने जिला अलीगढ़ में बढ़ती हुई हत्याओं का जिक्र अपने प्रस्ताव में किया है। यह सही है कि इस वर्ष जिला अलीगढ़ में हत्याओं की संख्या कुछ अधिक है। अभी तक ५४ हत्याओं की रिपोर्ट पुलिस को लिखाई गई है जब कि १९६० में इतने ही समय में यह संख्या ४६ थी,

अध्यक्ष महोदय, मैं इस जगह पर साफ़ करना चाहता हूं कि उन्होंने जो आपको लिख कर भेजा है कि सारे साल में ४२ थी, यह नहीं है। इन्हीं ६ महीनों में ये हत्यायें ४२ नहीं ४६ थीं।

इन हत्याओं की संख्या बढ़ जाने का एक विशेष कारण हाल ही में पंचायतों के चुनाव के कारण गांव में दुश्मनी का बढ़ जाना है।

श्री नेकराम शर्मा ने अपने प्रस्ताव में यह भी कहा है कि पुलिस के पास राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक सूची है जिनका जीवन खतरे में है। उनमें से ८ व्यक्ति अभी तक मारे गये हैं। यह बात सही नहीं है। असल स्थिति यह है कि अलीगढ़ में राजनीतिक कार्यकर्ताओं में गुटबन्दी के कारण आपसी झगड़े बढ़ गये हैं। पुलिस ने इसकी रोकथाम के लिये काफी सतर्कता बरती है। राजनीति से सम्बन्धित अपराधों के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विशेष प्रबन्ध जनवरी, १९६० से किया गया है। इस बात का भी प्रबन्ध किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय जिनके जीवन को खतरा हो सकता है या जो हत्या करने के लिये काम में लाये जा सकते हैं। इस प्रबन्ध के होने के समय से श्री कृष्णमुरारी की हत्या ऐसी पहली घटना है। स्थानीय पुलिस काफी सतर्कता से काम ले रही है और यथासम्भव बराबर यह चेष्टा की जायगी कि इस किस्म की घटनायें न हों।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि पारसाल भी इन्हीं श्री कृष्ण मुरारी लाल पर गोली चलायी गयी थी और पुलिस को सूचना थी कि उनकी हत्या हो जायगी, तो इस पर भी कोई प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आपस की रंजिश की वजह से ऐसी घटनायें होती हैं। एक घटना हुई, उसके बाद दूसरी हुई, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी होती है। इस मामले में जो सवाल अभी पूछा गया है कि क्या पिछले साल भी कृष्ण मुरारी लाल पर गोली चलाई गई थी इसका जवाब यदि "हां" या "ना" में दिया जायगा तो उससे नुकसान ज्यादा होगा। टाउन एरिया हसायन में सन् ५४ से अब तक पार्टीबन्दी की वजह से कितने जुर्म हो चुके हैं, वह मैं आपकी इजाजत से, ५ मिनट में सुनाये देता हूं जिससे माननीय सदस्यों को पता चल जायगा.....

श्री अध्यक्ष—इस बात का तो जवाब दे दीजिये कि उन पर पारसाल गोली चलाई गई थी या नहीं ?

श्री चरणसिंह—यह बात सही है कि उनको चोट आयी। मुकदमा पुलिस ने चलाया। वीरेन्द्र सिंह और चार आदमियों के नाम एफ० आई० आर० में दर्ज किये गये लेकिन मुकदमा अदालत से ऐबिवट हो गया। लेकिन इसके पीछे जो घटना है कि १३ दिसम्बर, १९५६ को श्री सूरजपाल सिंह, जो उस वक्त टाउन एरिया के चेयरमैन चुने गये थे, उनका कत्ल हुआ। कत्ल होने से पहले ही जब वह चुने गये थे, यही कृष्णमुरारी लाल भी एक कैंडीडेट थे और उनका नामिनेशन पेपर खारिज हो गया था। श्री सूरजपाल सिंह चुने हुये घोषित कर दिये गये थे। उसके फौरन बाद, जब श्री सूरजपाल सिंह का मर्डर होता है तो एफ० आई० आर० में श्री कृष्णमुरारी लाल और ४ और आदमियों का नाम दर्ज होता है और सेशन जज के यहां से डेथ सटेंस की सजा इन्हीं कृष्णमुरारी लाल के नाम में दी जाती है। बाकी और चार का क्या होता है यह नहीं मालूम। इनको यह सजा होती है लेकिन हाईकोर्ट से वह बरी हो गए।

[श्री चरणसिंह]

इस केस के एफ० आई० आर० से श्री प्रतापसिंह और श्री सूरजपाल सिंह का सम्बन्ध था क्यों कि उन्होंने श्री प्रतापसिंह ने लिखवाया था। तो जैसे ही वह केस बरी हुआ उसके बाद प्रताप सिंह जी को किडनैप किया गया। उनको कुछ लोग जबदरस्ती उठाकर ले गये और उनसे बयान लिखाया गया। जब वह वहां से बयान देने के बाद छूटकर आ गये तो उन्होंने एक साहब के खिलाफ दावा दायर किया। किसके खिलाफ दावा दायर किया, उनका नाम लेना यहां पर मेरे लिये उचित नहीं है। उनको नेकराम शर्मा जी अच्छी तरह से जानते हैं।

एक सदस्य---लेकिन हम तो नहीं जानते हैं।

श्री चरणसिंह---नाम लेना जनहित में ठीक नहीं होगा। तो इसके कुछ दिनों के बाद फरीक के खिलाफ पुलिस ने १०७ और ११७ दफ़ा के मातहत कार्यवाही की। जो दावा १०७ और ११७ का प्रताप सिंह के द्वारा हुआ था, उसका तो फैसला हो गया। लेकिन प्रताप सिंह की हत्या के बाद जब चालान हुआ, तो वह कैसे बरी हुए, यह सवाल था। यह बात तो ठीक है कि कृष्णमुरारी पर गोली चलाई गई और उसमें भी चालान हुआ, लेकिन बाद में वह केस भी छूट गया। तो इस प्रकार की ५ घटनायें हुईं और कृष्ण मुरारी का नाम नम्बर ५ पर होगा। मेरा कहना यह है कि इस तरह की बातों के सिलसिले में यहां पर सवाल करने से कुछ हल नहीं निकलेगा, इसमें और भी कई बातें हैं।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रताप सिंह की हत्या के सम्बन्ध में एफ० आई० आर० में किस-किस के नाम थे, उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया?

श्री चरणसिंह---मुकदमा तो चलाया गया। एफ० आई० आर० में किस-किस के नाम थे, इसकी इत्तिला मुझे इस समय नहीं है। वह कई सालों की बात है, और एफ० आर० आई० में किस के नाम थे, यह मुझे देखना पड़ेगा।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास अभी तक की जो सूचनायें प्राप्त हैं और जिनमें से कुछ का जिक्र उन्होंने यहां किया, तो क्या वह इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि अलीगढ़ जिले में रूलिंग पार्टी के दो ग्रुप हैं और उनकी आपस की गुटबन्दी की वजह से ही ऐसी वारदातें होती हैं?

श्री चरणसिंह---यह तो नहीं कहा जा सकता है कि आपस की पार्टीबन्दी की वजह से ही ये हत्यायें हो रही हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपस की पार्टीबन्दी इस हद तक हुई है कि उससे ऐसा वातावरण पैदा हो गया है जिससे कि इस प्रकार की हत्यायें हो रही हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब आपस की पार्टीबाजी से ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया है कि वहां पर हत्यायें करने तक का वातावरण पहुंच गया है, तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिये और वहां पर हत्याओं की रोकथाम करने के लिये सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी ने क्या कदम उठाया है?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार का ताल्लुक है, मैं बतला चुका हूं कि जनवरी, सन् ६०, में और स्पेशल प्रबन्ध किया गया और इसी से डेढ़ साल के अन्दर एक हत्या हो पाई, लेकिन हम चाहते हैं कि डेढ़ साल क्या १५ साल के अन्दर भी ऐसी एक भी हत्या न हो। ऐसा वातावरण आपसी सुधार से पैदा होना चाहिये क्योंकि सरकार की तरफ से तो केवल प्रिवेन्टिव रोक हो सकती है। आपसी वातावरण में जिस तरह का व्यवहार होना चाहिये, उसमें सरकार कहीं नहीं आती है।

जिला अलीगढ़ में बढ़ती हुई कत्लों की संख्या के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत ५३१ वक्तव्य

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—सरकार ने अपने लिखित बयान में जो सदन में पढ़कर सुनाया कि राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की आपसी गुटबन्दी के कारण इस प्रकार की हत्यायें हो रहीं हैं, तो अगर यह वाकया है, तो क्या इससे यह स्पष्ट है कि ये राजनैतिक कार्यकर्त्ता केवल कांग्रेस पार्टी के ही हैं ?

श्री चरणसिंह—मैंने यह कहा था कि असली स्थिति यह है कि अलीगढ़ में राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की गुटबन्दी के कारण इस तरह की हत्यायें और झगड़े वहां बढ़ रहें हैं, यह बात भी ठीक है कि अधिकतर पार्टीबन्दी रूलिंग पार्टी के सदस्यों द्वारा हुई है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि जब वहां पर इस प्रकार की गुटबन्दी थी और श्रीमन्, यह सदन जानता है कि वहां पर दो दलों में गुटबन्दी चल रही थी तो सरकार ने मुकदमें को क्यों वापस लिया ? सेशन कोर्ट ने इस बात पर एतराज भी किया था कि इस मुकदमे को सरकार को वापस नहीं लेना चाहिये था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह राजनैतिक गुटबन्दी, जब से मंत्रिपरिषद् में श्री मलखान सिंह आये हैं और ज्यादा होती जा रही है ?

(उत्तर देने के लिये गृह मंत्री का नाम नहीं पुकारा गया।)

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, मैं आप के जरिये से माननीय गृह मंत्री तथा माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे श्री मोहनलाल गौतम और श्री मलखान सिंह जी की आपसी गुटबन्दी को रोकने का प्रयास करें।

श्री चरणसिंह—यह कोशिश बराबर जारी है। मैं माननीय राजनारायण जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मुकदमा वापस लिया गया है वह इसी उद्देश्य से वापस लिया गया है, ताकि आपस में सद्भावना बढ़े।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—सन् १९६० में अलीगढ़ जिले में कितनी हत्यायें गुटबन्दी के कारण हुईं ?

श्री चरणसिंह—सन् १९६० में एक भी हत्या गुटबन्दी के कारण नहीं हुई। यह जो हत्या हुई है यह पहले की है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस हत्या के संबंध में एफ० आई० आर० में किन-किन के नाम हैं ? और, क्या सरकार इसके लिये सी० आई० डी० मुकर्रर करेगी ताकि वह इसकी जांच करे और उस जांच की रिपोर्ट को सरकार सदन के समक्ष प्रस्तुत करे ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो बात मैंने तफसील में बतलाई है, वह मुनासिब है।

ग्राम ददुआ, जिला चमोली में जमीन धंसने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत न्याय मंत्री वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—श्री प्रताप सिंह जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह इस प्रकार है :

"गत शुक्रवार को जिला चमोली में ग्राम ददुआ में जमीन के धंसने से ५५ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, सम्पूर्ण गांव की ८०० नाली जमीन भी समाप्त हो गई। यह घटना २४ घंटे

[श्री अध्यक्ष]

की बर्षा के उपरान्त हुई है। मृतक व्यक्तियों की लाशें भी संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं उठाई गईं। इससे उत्पन्न परिस्थिति की ओर में माननीय सम्बन्धित मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, इस घटना का विवरण इस प्रकार है। चमोली जिले में ददुआ एक गांव है। उस गांव के दाहिने तरफ एक नदी बहती है। यह गांव नीचे के हिस्से में बसा हुआ है। २८ जुलाई को ६ बजे से वर्षा शुरू हुई। पानी इतनी तेजी से बरसा कि नदी का पानी बढ़ता चला गया, जिसके फलस्वरूप ११ बजे रात के करीब वह गांव बिल्कुल मिट गया। उस गांव में १२ खानदान थे जो ६ मकानों में रहते थे। उस वक्त गांव में ३१ आदमी थे। उनमें से ५ बड़े आदमी थे, १३ औरतें थीं और १२ माइनर लड़कियां थी। इन लोगों में से केवल एक लड़की ही बची थी। उसका कथन यह है कि वह उसी पानी के साथ चार सौ गज तक बह कर एक महफूज जगह पर पहुंच गयी। इसके अलावा एक बारह साल की लड़की एक फर्लांग के फासले पर काऊशेड में मरी हुई पायी गई। ऐसा खयाल किया जाता है कि पत्थरों के गिरने से वह दूर गिरी और उससे चोट खा कर मर गयी। ६० मवेशी मरे जिनकी तखमीना कीमत ८ हजार ४ सौ है। ३५० नाली मजरुआ जमीन में से लगभग ९६ नाली बरबाद हो गयी जिसकी अनुमानित कीमत एक हजार रुपया है। जायदादों के संबंध में जो नुकसान हुआ है उसका सरसरी तखमीना ६० हजार रुपया है, घर का सामान और बर्तन वगैरह का। फसल जो खड़ी हुई थी उसके नुकसान का तखमीना ३५०० रुपये है और मकानों का तखमीना २० हजार रुपया है, जो टूट-टाट गये। कुल टोटल लगभग एक लाख रुपये है।

६ अगस्त तक पीड़ित परिवारों के ६ व्यक्ति जो उक्त गांव पहुंच गये थे, उनको १२ सौ रुपया ग्रेटटस रिलीफ दी गयी और जो लड़की बची थी उसके पिता के पास उसको भेज दिया गया। जिन लोगों के मकान टूट-टाट गये थे उनको बस्ती पंचायतघर में आबाद कर दिया गया। उनके खाने कपड़े का प्रबन्ध किया गया। ददुआ गांव के एक लड़के को जिसके वालदैन की मौत हो गयी थी, ढाई सौ रुपया रिलीफ के तौर पर दिया गया। एक नाबालिग लड़की बाहर अपने रिश्तेदारों के यहां रहती थी, और जिसके वालदैन की मृत्यु हो गयी उसको भी १५० रुपया दिया गया। जो सफाई वगैरह के तरीके हैं उन सब को अमल में लाया गया है। एक भांवर मुकाम है, जो फारेस्ट डिपार्टमेंट, बस्ती के अन्तर्गत है, वहां पर आबाद करवाने के लिये जमीन चुनी गयी है। लकड़ी उनको मुफ्त दी जायगी।

ददुआ गांव के अलावा एक गांव बरेठा है। बस्ती गांव का यह भी मजरा है। उसी पहाड़ के फिसलने से वहां भी २०० नाली खेत कल्टीवेटेड और १०५ अनकल्टीवेटेड, एक काऊ शेड और ९ मवेशी, दो मन्दिर, एक धर्मशाला, एक बाग, तीन पनचक्कियां और कुछ पीने के पानी की पाइप लाइन का नुकसान हुआ। टोटल लास २ हजार ९ सौ १० के करीब कहा जाता है। बरेठा में तीन मकानों में ६ फैमिलीज शिल्पकारों की थीं, वह भी खतरे में थीं। उनको निकाल कर सुरक्षित जगह पर लाया गया और ३७५ रुपया रिलीफ की शक्ल में दिया गया। एस० डी० एम०, तहसीलदार, कानूनगो, बी० डी० ओ०, सैनिटरी इंस्पेक्टर आदि ने इन मुकामात का दौरा किया रिलीफ मेजर्स को पटवारी और विलेज लेविल आफिसर आदि सुपरवाइज कर रहे हैं। पहली तारीख को एस० डी० एम० ने २ हजार रुपया मांगा था। वह भेज दिया गया। एक हजार रुपया फिर मांगा, वह भी भेज दिया गया।

सरकार की तरफ से यह हिदायत कर दी गयी है कि जिन-जिन बातों की उन बचे हुये लोगों को जरूरत हो, पूरी तरह से उनकी सहायता की जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २८ जुलाई को जब यह घटना हुई उस घटना के कितने दिन के बाद लाशों को ढूंढ़ा गया ?

उस गांव में कुल कितने लोग रहते थे और कितने लोग जीवित हैं तथा उनको किस गांव में अब सरकार ने बसाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह जितने मरे हैं उनको मैंने बताया और कहां पर जगह दी गई, तो अभी तो वह पंचायत घर में हैं और जगह जो दी गई है वह भी मैंने बता दिया है। ११ लाशें अभी तक मिल चुकी हैं जिनका क्रिमेशन वगैरह कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष—वह जानना चाहते हैं कि उस गांव में रहते कितने आदमी थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—३० मरे और एक लड़की बची इस तरह हुये ३१। कहा यह जाता है कि आठ दस आदमी उस समय गांव में नहीं थे, वह बच गये। इस तरह से ४०-४२ के करीब होते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि जिला अधिकारियों को यह पहले से मालूम था कि यह गांव ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर कि स्लोप आ सकता है और लैंड स्लाइड से गांव दब सकता है ? यदि हां, तो पहले से गांव वालों को अन्यत्र बसाने की चेष्टा क्यों नहीं की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी सूचना मुझे नहीं है कि जिले वालों को यह पहले से मालूम था कि यह गांव खतरे के मुकाम में पड़ता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय राजस्व मंत्री यह देखते हुये कि कुछ वर्ष पूर्व अल्मोड़ा में एक गांव पूरा दब गया था जिसमें ४२ आदमी मरे थे, गढ़वाल में इस बार ३० मरे हैं, इसकी तरह से पिथौरागढ़ में २४ आदमी मरे और गब्यांग पूरा धंस रहा है, पूरी की पूरी वह एक खतरनाक घाटी हो गई है और पिछले साल एक जलजला भी हुआ, इस सबको देखते हुये कुमायूं के सातों जिलों के १६ लेजिस्लेटर्स ने एक मांग रखी थी कि तराई भावर में वहां के लोगों को बसाने का इन्तजाम किया जाय, तो क्या इस पर सहानुभूतिपूर्वक माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसे सवालों पर तो हमेशा हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं बशर्ते कि जमीन हो और लोग दरख्वास्त दें उसके लिये, तो उनको वहां जमीन देने में हमें कोई गुरेज नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं तस्लीम किया, यह गांव हिल स्लोप के नीचे था और यह जानते हुये कि पिथौरागढ़ का एक गांव भी धंस गया और सरकार ने बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स इसलिये बनाये हैं कि वहां के लोगों को अधिक सुविधा दी जाय, इन सब चीजों को देखते हुये वह क्या तत्काल कोई कदम लेंगे ? जैसे गब्यांग का सवाल आ चुका है, इस तरह के इन तमाम गांवों का इन्तजाम सरकार स्वयं अपनी तरफ से करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह जानना कि कौन कौन से गांव धंस जायेंगे यह तो गवर्नमेंट के इमकान के बाहर है लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तब हम पूरी कोशिश इस बात की करते हैं कि जितनी सहायता उनकी हम कर सकें वह करें। इसके अलावा एक दिक्कत और है, मैं प्लेन्स की बात जानता हूं कि जब कभी सैलाबी इलाके के लोगों से कहा जाता है कि दूसरी जगह चलो, यहां सैलाब आने वाला है तो वह जाने से इनकार करते हैं। अपनी पुरानी बस्ती को, अपने घर को वह छोड़ना नहीं चाहते हैं। यह भी एक दिक्कत होती है।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—इस बात को देखते हुये कि लैंड स्लाइड्स होते रहते हैं और इतने आदमियों की मृत्यु इससे होती है क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि कोई ज्योलाजिकल सर्वे उन मुकामों का हो जहां पर कि इसकी शंका हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो हम ने इस पर विचार नहीं किया है, इसलिये कोई बात कहना नामुमकिन है।

श्री नरेन्द्रसिंह भण्डारी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार को मालूम है कि जिस नदी की चर्चा स्वयं राजस्व मंत्री ने अपने बयान में की है उस जम्हारघाट दरिया पर एक भी पुल न होने के कारण इस अभागे गांव से तत्काल सम्पर्क स्थापित न किया जा सका ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उस पर कोई पुल है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—फिर तो उनकी बात मान लीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं मानता हूं, उससे इनकार नहीं करता।

श्री नरेन्द्रसिंह भण्डारी—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि जिस बस्ती गांव में इस अभागे गांव के लोगों को बसाने की कोशिश की जा रही है वह गांव खुद कई सालों से इस जम्हारघाट नदी से कटता जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि जहां लोगों को अब आप बसाने जा रहे हैं क्या वह स्थान भी इस नदी से कटता जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमें इसकी सूचना नहीं है कि वह कटता जा रहा है। एक खतरे से निकालकर दूसरे खतरे में हम उनको नहीं डाल सकते।

श्री प्रतापसिंह—अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार को यह पता नहीं रहता है कि कौन गांव धंसने जा रहा है। इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने सन् १९५४ में बताया था कि गब्र्यांग गांव धंसता जा रहा है। वह देश के बार्डर का आखिरी गांव है। उसका ५ साल पहले धंसना शुरू हो गया था और सरकार ने उसके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया तो अब क्या वहां के लिये कोई इन्तजाम किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने यह कभी नहीं कहा कि हमको मालूम नहीं रहता कि कौन गांव धंसने जा रहा है। मैंने यह कहा कि हमें यह नहीं मालूम होता कि कौन गांव धंस जायगा। हम इन्तजाम करना चाहते हैं लेकिन यह हमें मालूम है कि गब्र्यांग के लोग हटना नहीं चाहते हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री अपने बार्डर के कमिश्नर से यह दरियाफ्त करेंगे कि गब्र्यांग गांव के सभापति, खेमचन्द ने दो साल पहले दरख्वास्त दी है कि यह गांव धंस गया और हम लोग यहां से हटना चाहते हैं और हमारा इन्तजाम किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे मित्र लिखेंगे तो हम मालूम करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो गांव टूट रहे हैं जैसे कि यह दानपुर टूट रहा है....

श्री अध्यक्ष—आप ददुआ गांव के बारे में पूछिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी, पिछले अनुभव को देखते हुय कि जो गांव टूट गये हैं और आज तक उनके लिये कुछ नहीं हुआ है तो इस गांव के लोगों को बसाने के लिये कोई योजना बनायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे पास कोई दरख्वास्त आयेगी तो हम सोचेंगे।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि ददुआ गांव के लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिये कोई योजना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो ददुआ गांव के लिये तजवीज की गई है। उनके लिये मुमकिन इन्तजाम किया जायगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि धंस जाने के बाद मालूम होता है कि गांव धंस गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्वयस्था करेंगे कि धंसने के पहले मालूम हो सके ताकि समय से उनके बसने की व्यवस्था की जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो बलिया के लोग जानते हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जहां की यह घटना है वह बार्डर डिस्ट्रिक्ट है आज ही वहां के जिलाधीश को लिखेंगे कि उन लोगों के बसाने के लिये कोई योजना बनावें ताकि शीघ्र ही उन लोगों को बसाया जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम पहले से विचार कर रहे हैं और लिखा-पढ़ी भी कर रहे हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी स्वंय जाकर वहां की स्थिति का निरीक्षण करेंगे ताकि जो लोग बच गये हैं उनके भरण पोषण की व्वयस्था सही रूप से हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं खुद उस चीज को देख रहा हूं और सब इन्तजाम हो रहा है। वहां टेलीफोन, तार नहीं है फिर भी सब व्यवस्था हो रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री इस बात को देखते हुये कि इस प्रकार से जो गांव धंसते जा रहें हैं, उनके लिये भूगर्भवेत्ताओं की नियुक्ति करेंगे ताकि वे पहाड़ों में जाकर देखें और यदि कोई गांव धंस रहा है तो उसको बचाया जा सके ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर उन्होंने दे दिया।

श्री प्रतापसिंह—मंत्री जी ने कहा कि वहां पर तार टेलिफोन नहीं है, तो क्या मंत्री जी वहां पर जो तहसीलदार हैं उनके लिये शीघ्र आदेश जारी करेंगे कि वह जल्दी से वहां पहुंच जायं ताकि डर की और निराशा की उस भावना में परिवर्तन हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे बहुत फिक्र है और मैं बहुत जिम्मेदारी महसूस करता हूं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कलेक्टर, बी० डी० ओ० और पटवारी सब वहा पर मौजूद हैं।

उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम प्रतिवेदन*

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिनिहित विधायन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का सप्तम प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

---

*छापा नहीं गया।

इंडियन टरपेंटाइन ब रोजिन कम्पनी से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति का १९ वां प्रतिवेदन*

श्री अध्यक्ष---प्राक्कलन समिति के सभापति ने भी कहा है कि उनका भी १९वां प्रतिवेदन जो इंडियन टरपेंटाइन व रोजिन कंपनी से संबंधित है, उसे उपस्थित करने की आज्ञा दी जाय क्योंकि वह बाहर जाना चाहते हैं। इसलिये मैंने उन्हें खास इजाजत दे दी है। अभी प्रतिवेदन छपने को गया है, लेकिन साइक्लोस्टाइल कापी उन्होंने टेबिल पर रख दी है और वह कापी छप कर दो एक रोज में आ जायगी तो सब को मिल जायगा। इस समय उसे वे सदन में प्रस्तुत कर देंगे।

†श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से इंडियन टरपेंटाइन व रोजिन कंपनी से संबंधित प्राक्कलन समिति का १९वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। साथ ही मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूं कि इस से पहले २०वां प्रतिवेदन जो नैनीताल के आवास से संबंधित था, इस सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है। इस १९वें प्रतिवेदन में तथ्यों के प्रमाणीकरण के सिलसिले में देर हुई इसलिये यह अब मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन का पहाड़ी जिलों के विकास से विशेष संबंध है। कमेटी ने इस पर काफी समय तक विचार विनियम किया है और समिति ने जो सिफारिशें की हैं उन में एक ओर तो लीसा के उत्पादन में वृद्धि करने की बात और दूसरी तरफ बरेली की फैक्टरी के साथ जो एग्रीमेंट है उसको दोहराने की बात है। इसके साथ ही जो दूसरे उद्योग धंधे पहाड़ों में इस आधार पर पनप सकते हैं उस संबंध में भी कमेटी ने अपनी सिफारिशें की हैं। यदि उनको स्वीकार किया गया तो उसका परिणाम यह होगा कि एक ओर तो बरेली फैक्टरी में इकोनामी होगी, लीसा का विकास होगा जिस से सरकार को ५० लाख रुपये साल तक की आमदनी हो सकती है। दूसरी ओर पहाड़ी जिलों के विकास में काफी सहायता सरकार को मिल सकती है और वहां की बेरोजगारी काफी हद तक दूर हो सकती है।

इस प्रश्न के साथ ही कुछ और मौलिक प्रश्न भी सरकार के सामने उपस्थित होते हैं। जब सरकार की ओर से प्रदेश का औद्योगीकरण किया जा रहा है, यह भी आशा की जाती है कि उस के द्वारा ऐसे कार्य भी होंगे जिनमें सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का सम्मिलित प्रयत्न होगा और ऐसा होने में कितने ही प्रश्न पैदा होते हैं प्रबंध के संबंध में, डाइरेक्टोरेट के संबंध में, नियंत्रण के संबंध में, आदि आदि। इस सिलसिले में भी इस रिपोर्ट में विचार किया गया है और वह सरकार के लिये काफी महत्वपूर्ण है। मैं जहाँ एक ओर सरकार से कहता हूं कि वह इस रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार करे, वहां दूसरी ओर मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से भी आशा करता हूं कि वह इस रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार करेंगे और इसकी जो सिफारिशें हैं उन के लिये सोचेंगे।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१

श्री अध्यक्ष---अब माननीय वित्त मंत्री अनुज्ञा चाहते हैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये। वह छप कर आ गया है और पीजन होल्स में रख दिया गया है।

---

*छापा नहीं गया।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरगोविन्दसिंह—मैं उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५८७–५८९ पर)

अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में जानकारी

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—अध्यक्ष महोदय, राजनारायण जी ने जो अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये नोटिस दिया था उसका क्या हुआ, वह उन्होंने दिया...

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो नहीं दिया है, आप ही दे दें । (हंसी) जब वह देना ही नहीं चाहते, तो उसके लिये आप इतने उत्सुक क्यों हैं ?

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—यह किस रूल से बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—उनके प्रश्न का जवाब दे दिया गया है ।

*इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (क्रमागत)†

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मोतीलाल अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और उसके समर्थन में जो कारण हैं उनको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं । श्रीमन्, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में विद्युत् शक्ति का वितरण जिस ढंग से है उससे जनता को बहुत परेशानी है और वह काफी दोषपूर्ण है । विभिन्न जिलों में बिजली के भिन्न-भिन्न रेट्स हैं । यह सरकार गरीब जनता को बिजली देने के संबंध में बार-बार प्रतिज्ञा कर चुकी है, किन्तु गरीब जनता को आज तक बिजली नहीं दे पा रही है । हमने बार-बार सरकार से मांग की कि सरकार को बिजली का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये । जो बिजली का असंगत वितरण है तथा रेट्स में जो असमानता है उसको ठीक करिये, किन्तु उस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया । इसके साथ ही जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हैं उनके लिये भी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है ।

इस विधेयक के द्वारा यह सरकार जिस अधिकार को लेना चाहती है वह उसके पास पहले से ही है और इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी । जो कार्य सरकार इस विधेयक को लाकर अब करना चाहती है वह पहले भी किया जा सकता था । कोई रुकावट पहले भी नहीं थी । सरकार अब कहती है कि अगर किसी क्षेत्र में कोई लाइसेन्सी है तो उसके अतिरिक्त भी सरकार अगर किसी खास उद्देश्य से बिजली देना चाहे तो वह दे सकती है । यह ठीक है, सरकार जरूर बिजली दे । मगर यह अधिकार तो पहले भी था ।

---

*४ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही में छपा है ।

† ७ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही से ।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, मैं बनारस की बात जानता हूं। वहां पर मार्टिन कम्पनी किस ढंग से बिजली देती है वह सारी की सारी बात अनुचित रूप से चल रही है। इसलिये यह विधेयक अगर प्रवर समिति में जाता है तो वहां पर बैठ कर, शान्ति के साथ, हम इस विधेयक पर विचार कर सकेंगे और जो कमियां हैं उन्हें दूर कर सकेंगे। इसलिये बिजली व्यवस्था के संबंध में राष्ट्रीयकरण की मांग करते हुये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मोतीलाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार की बिजली की जो नीति है उससे जनता में काफी भ्रम फैल रहा है। मैं हाल ही की फिरोजाबाद की घटना को बताना चाहता हूं। अभी ४ मास पूर्व फिरोजाबाद की बिजली कम्पनी ने वहां स्टेशन से ६ मील दूर एक जगह पर बिजली देने के लिये कहा। ग्रामीणों ने अनेक प्रार्थनापत्र बिजली कम्पनी के दफ्तर में दिये। जब अधिकारियों ने कहा कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, अलीगढ़ को प्रार्थना-पत्र भेजो, तो वहां भी भेजे गये। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस सरकार ने हर बस के पीछे इस तरह का साइनबोर्ड लगा दिया है कि "गांव-गांव पानी और बिजली" उसी सरकार ने उन किसानों को, जिन्होंने अपने खेतों की सिंचाई के लिये कुओं पर मोटर लगाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये, और कुछ लोगों ने अपने घरों में प्रकाश के लिये प्रार्थना-पत्र दिये, उनमें से किसी को बिजली का कनेक्शन न देकर के लगभग ८० हार्स पावर की जो बिजली उस क्षेत्र के लिये मंजूर की गयी थी वह सारी की सारी एक पूंजीपति के कारखाने को दे दी। हम इस सरकार से स्पष्ट घोषणा कराना चाहते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया व्यय करने के बाद जो ये बिजली के प्लांट लगाये जा रहे हैं---चाहे हाइडिल के या थरमल के---क्या सरकार उसका अपने ठेकेदारों के द्वारा वितरण कराना चाहती है? हिरनगऊ की घटना से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वह पूंजीपतियों को ही प्रसन्न करना चाहती है। जिस पूंजीपति के कारखाने को बिजली दी गयी उसने उसके पूर्व एक प्लांट लगा रखा था तो उसी को पुनः बिजली देकर और ग्रामीणों को न देकर कैसा न्याय किया जा रहा है?

सरकार नये ठेकेदारों को नियुक्त करना चाहती है और इस संशोधन के द्वारा जो हमसे अधिकार चाहती है, अगर ऐसी हिदायतें करदी जांय कि व्यक्ति विशेष को ही बिजली न देकर अन्न उत्पादन के लिये, किसानों और दूसरे लोगों को भी बिजली दी जाय, तो संशोधन कुछ हितकर होगा, और अगर इसके द्वारा केवल पूंजीपति को ही प्रसन्न करना चाहती है तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये जनता के हितों का सही प्रतिनिधित्व करने के लिये, अन्य बातों का समावेश करने के लिये यह जरूरी है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, जो यह सरकार के द्वारा संशोधन विधेयक आया है, उसका स्वागत करने के लिये और विरोधी पक्ष की ओर से जो यह संशोधन आया है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट का ताल्लुक है, उसकी जो धाराएं हैं उनमें सरकार को अपने अख्तियार को इस्तेमाल करने की ताकत दी हुई है। उसमें दिया हुआ है कि जिस क्षेत्र में सरकार चाहे लाइसेंसी के अलावा दूसरे लाइसेंसी को बिजली बांटने का अधिकार दे सकती है या स्वयं स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट बोर्ड अपनी पैदा की हुई बिजली का वहां वितरण करे। मैं देखता हूं कि इसकी ओर माननीय सदस्यों ने तवज्जह नहीं दी और इस प्रकार का संशोधन ला दिया कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। यह नामु-

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नासिब बात है। नामुनासिब इसलिये है कि राजनारायण जी ने खुद यह तर्क दिया कि अगर यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो उसमें तीन बातों को हमें वहां देखना होगा। एक तो यह कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी कम्पनियों को नेशनलाइज करे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में ले। दूसरी बात यह बतायी कि आजकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब है। तीसरी बात यह बतायी कि काटेज इंडस्ट्रीज के लिये बिजली का वितरण ठीक नहीं है।

अगर यह विधेयक प्रवर समिति के पास ले जाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में आने की बात कही जाती है, तो उससे ये तीनों बातें हल नहीं हो सकतीं, क्योंकि यह प्रवर समिति के स्कोप के बाहर की बातें है।

श्रीमन्, मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। सवाल यह है कि सरकार को यह दिक्कत क्यों पड़ी? श्री राजनारायण जी ने स्वयं यह कहा कि जब सरकार को खुद अख्तियार था तो सरकार ने उस अख्तियार को इस्तेमाल क्यों नहीं किया क्योंकि वह एक लाइसेंसी के अलावा दूसरे को लाइसेंस दे सकती थी? उसमें सरकार को क्या दिक्कत थी? अगर वह चाहती तो खुद भी अपने प्रबंध में ले सकती थी। मैं इस सिलसिले में, अपने अनुभव से, गोरखपुर के बारे में सदन को बताना चाहता हूं। गोरखपुर में झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बिजली सप्लाई करती है। उसका एक लाइसेंस झांसी में है और एक गोरखपुर में। झांसी का लाइसेंस तो खत्म हो रहा है लेकिन गोरखपुर का लाइसेंस अभी दुर्भाग्य से समाप्त नहीं हो रहा है। हो सकता है झांसी में दूसरे किसी लाइसेंसी को वहां के बिजली का इन्तजाम सुपुर्द कर दिया जाय या स्वयं स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट बोर्ड के जरिये से वहां का इन्तजाम हो। लेकिन जहां तक गोरखपुर का ताल्लुक है, जब से मैंने होश संभाला है, बिजली का इस्तेमाल करना शुरू किया है, मेरे सामने और गोरखपुर के बिजली इस्तेमाल करने वालों के सामने हमेशा यह परेशानी रही है कि एक तो वहां लो वाल्टेज रहता है और दूसरे ८ आना पर-यूनिट बिजली का देना पड़ता है। होता यह है कि अगर बिजली का ३० रुपया माहवार का खर्चा होता तो लो वाल्टेज की वजह से वह ४० रुपया माहवार का आयेगा। एक बात और है। हमारे गोरखपुर में एक बड़ी भारी मुश्किल यह भी है कि अब गोरखपुर में स्टेट की तरफ से जो विद्युत् गृह है उसके पास फालतू बिजली है, जिसका इस्तेमाल होना है। हमारे उस एरिया में जहां झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का क्षेत्र नहीं है, उसका इस्तेमाल अब शुरू हो गया है। लेकिन जहां झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का क्षेत्र है उसमें एक ऐसी बात दिक्कत की आन पड़ी है कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के पास जो बिजली है वह डाइरेक्ट करेंट की है और वह बिजली ऐसी होती है जो आजकल के जमाने में, पैसे के लिहाज से, और काम के लिहाज से भी लाभदायक नहीं होती है। तो ऐसी सूरत में लाइसेंस्ड एरिया में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की तरफ से इन्तजाम नहीं हो पा रहा है और उसमें सरकार अपने विद्युत् गृह से भी विद्युत् शक्ति नहीं दे पाती क्योंकि उस क्षेत्र में सरकार या कोई दूसरा भी दखल नहीं दे सकता है। ऐसी सूरत में जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इस वास्ते उप-मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को पूरा पढ़ा है और इसमें जो अमेंडमेंट है उसमें मुझे केवल एक ही बात महसूस हुई है कि इस बिल को अमेंड करने की वजह क्या थी। इसमें सिर्फ इतना ही है कि राज्य सरकार ने इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में जो अपने अधिकार सुरक्षित किये थे, वे ही अधिकार विद्युत् परिषद् को प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा सरकार का खयाल है। विद्युत् परिषद् चूंकि अब नये लाइसेंस देना चाहता है उन्हीं एरियाज में, जिन एरियाज में अभी तक दूसरे लाइसेंसीज हैं, इसलिये कोई नयी कठिनाई न पैदा हो जाय, कोई नया कानूनी झगड़ा उनके लिये पैदा न हो जाय केवल उसको दूर करने के लिये ही यह अमेंडमेंट लाया गया है।

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

इसके उद्देश्य और कारण में बतलाया गया है, वहां इस प्रकार की व्याख्या की गयी है, हालांकि सरकार को यह सब अधिकार प्राप्त हैं और सरकार चाहे तो यह सब काम कर सकती है, जो इस अमेंडमेंट में कहा गया है ; किन्तु आखिर में दूसरे पैरग्राफ में उन्होंने साफ किया है कि जो अधिकार सरकार को प्राप्त है वही विद्युत् परिषद् को प्राप्त नहीं होंगे। सरकार के दिमाग में यह चीज है, इसलिये यह अमेंडमेंट लाया गया है। इसके जरिये यह कहा गया है कि सरकार और विद्युत् परिषद् दोनों को यह अधिकार प्राप्त रहे कि नये लाइसेंसीज को इन एरिया में जहां कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के लाइसेंसीज हैं और जहां डिमांड है, नये लाइसेंस दिये जा सकें। यही इसकी मंशा है।

यह ठीक है कि आज इलेक्ट्रिसिटी के सिलसिले में प्रदेश में नयी हालत पैदा हो गयी है। लोगों ने नये नये उद्योग धंधे लगाये हैं, बिजली की लम्बी मांग है, इन सब चीजों को देखते हुए पुराने ऐक्ट में जो कठिनाई है उसको दूर करना हम जरूरी महसूस करते हैं। मैंने पूरा का पूरा ऐक्ट पढ़ लिया है और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें जो संशोधन किया गया है वह जरूरी है। लेकिन जो अमेंडमेंट इस वक्त आया है उसमें मुझे यह बात नहीं मालूम पड़ी कि इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली की बात हो।

एक सज्जन ने एक बात कही जो मेरी समझ में नहीं आयी। उन्होंने कहा कि केवल पूंजीपतियों को सुविधा देने के लिये ही यह अमेंडमेंट लाया गया है। अगर ऐसी बात है तब तो इसके कोई माने नहीं होते। लेकिन अगर पूंजीपतियों को सुविधा देने का कोई सवाल नहीं है, तो मेरी समझ से ऐक्ट के अमेंडमेंट के बारे में उन्होंने अपनी कोई राय नहीं दी। यह तो एक अजीब फैशन बन गया है कि हर चीज के लिये कह दिया जाता है कि सरकार अगर कोई ताकत लेती है तो वह पूंजीपतियों की सुविधा के लिये लेती है। जिस इलाके में नई बिजली जायगी वहां काटेज इंडस्ट्रीज के लिये सभी को बिजली अवश्य मिलेगी। केवल यह पूंजीपतियों को ही नहीं मिलेगी, सब को मिलेगी। एक उदाहरण दिया जाता है कि बिड़ला को सस्ते रेट पर बिजली दी गई। कई बार उस की चर्चा यहां हो चुकी है। लेकिन इस संशोधन द्वारा, जिन इलाकों में बिजली की मांग है वहां के लिये इंतजाम किया जा रहा है। वहां सब केवल पूंजीपति ही हों ऐसी बात नहीं है। इसलिये मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह जो सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग है वह उचित नहीं है, वैसे यह बात दूसरी है, माननीय मंत्री जी की यदि मन्शा हो और उनको भी कोई कठिनाई महसूस होती हो, तो संशोधन के लिये एक सप्ताह के लिये समिति के पास भेज सकते हैं, लेकिन इस को घुमाने की तो मैं जरूरत नहीं समझता कि सारे सूबे के लोगों की राय जानी जाय। मेरी राय है कि अब इस को प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है।

इसमें केवल इतनी बात है कि सरकार को इस बात का शक है कि वह अधिकार जो सरकार को प्राप्त है वह बिजली परिषद् को न हो, इस कठिनाई को दूर करने के लिये यह किया जा रहा है ताकि आगे लाइसेंस देने में, जहां बिजली की मांग है, वहां कोई कठिनाई न हो। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---मान्यवर, यह जो इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है मैं उस का समर्थन करता हूं। मैं आपके द्वारा, बहुत संक्षेप में अपनी बात कह देना चाहता हूं। अभी जो माननीय मेम्बर बोल रहे थे उन की बात से मैं सहमत हूं कि बिजली के कानून में परिवर्तन की जरूरत है। वह तो ठीक है। हमारे मित्र कह रहे थे कि विरोधी लोग शुबहा करते हैं कि पूंजीपतियों को सरकार लाभ पहुंचावेगी। हमें ऐसा शुबहा ही नहीं होता है बल्कि मैं सफाई से कहना चाहता हूं कि जब ऐसे सबूत हमारे सामने होते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है। ऐसी ही विश्वास की बात इस सम्बन्ध में भी है और इसी कारण इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव आया है।

जो ऐक्ट हमारा है उसमें जितनी सुविधायें हैं उतनी सुविधाओं को सरकार ने कभी जनहित में इस्तेमाल नहीं किया। ऐक्ट में रेट्स कमेटी की व्यवस्था है, मार्टिन कम्पनी के सम्बन्ध में भी है लेकिन बार बार कहने पर भी मामला खटाई में पड़ा रहा और रेट्स कमेटी नहीं बिठाई गई। मैं जानना चाहता हूं कि ऐक्ट की इस सुविधा को सरकार ने मांग होने पर भी कभी इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि रेट्स कमेटी का बिठाना लाजमी कर दिया जाय, तभी यह दिक्कत दूर हो सकती है। वह खुद कभी नहीं बैठायेंगे और मार्टिन कम्पनी के सम्बन्ध में हमें शुबहा है, कई बार सदन में मामला उठाया गया कि मार्टिन कम्पनी के अकाउन्ट्स में फ्राड है और कितनी ही खराबियां बताई गईं और कहा गया कि उसको और कर्ज न दिया जाय लेकिन डेढ़ करोड़ रुपया फिर कर्ज देने का हिसाब सरकार के सामने है। इसलिये केवल शुबहा नहीं हमारा विश्वास है कि सरकार जब कभी सोचती है तो बड़े लोगों, बड़ी कम्पनियों और पूंजीपतियों के फेवर में सोचती है, जनता के फेवर में नहीं। तीन साल बाद लाइसेंस खत्म होने की बात है लेकिन अभी तक सरकार ने कोई नोटिस नहीं दिया है। अगर दिया हो तो सरकार बताये। बिजली बोर्ड का काम बढ़ रहा है उसका महत्व भी बढ़ रहा है, उसके सम्बन्ध में सरकार की नियत स्पष्ट होना चाहिये। यह एडहाक बोर्ड गैरकानूनी है, एक स्थायी बोर्ड बनाया जाय, उसमें कन्ज्यूमर्स के प्रतिनिधि रहें, चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी के अतिरिक्त, और भी गैर सरकारी लोग रहें जिससे बोर्ड को एक प्रजातांत्रिक रूप मिले। इसलिये आवश्यकता है कि इस पर प्रवर समिति में विचार किया जाय। वैसे तो ऐक्ट में भी जितनी सुविधा सरकार को है उतने का भी वह इस्तेमाल नहीं करती है। मैंने देखने की कोशिश की और मंत्री जी से भी किताब मांगी, पूरी तरह तो नहीं देख पाया, लेकिन सरकार ने यह कभी भी नहीं देखा कि सैक्शन ५१–ए के जो आब्लीगेशंस हैं उनको कैरी आउट किया जा रहा है या नहीं। मार्टिन कम्पनी की तथा दूसरे लोगों की लाइनों को देखा गया जाय।

श्रीमन्, बिजली के सम्बन्ध में हमारा संदेह बहुत अधिक बढ़ गया है जब से सरकार ने हमारी बिजली का इतना बड़ा हिस्सा इतने कम रेट पर और इतनी बहस होने के बाद भी साहू कम्पनी को दे दिया जब कि हमको स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, सिंचाई और दूसरे कामों के लिये बिजली नहीं मिल रही है। ऐसे समय में अल्मूनियम के कारखाने के लिये बिजली दे दी गयी।

श्रीमन्, मैं अपनी पुरानी बात फिर दोहराना चाहता हूं कि प्रदेश और देश की तरक्की शक्ति पर होने वाली है। आज के युग में बिजली का बहुत महत्व है। हमारा पूर्वी हिस्सा जो सबसे पिछड़ा हुआ है उसमें बिजली का रेट ४६८ रुपये प्रति किलोवाट है जब कि बिड़ला को १५० या १७५ रुपये के हिसाब से रिहन्द की बिजली दी गई है। यह इतने मिस्टीरियस वे में रेट फिक्स किया गया है कि शायद मंत्री जी भी नहीं जान सकते कि किस रेट पर दी गई है। बिड़ला से तीन गुना रेट पूर्वी हिस्से के लोग देते हैं। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वाले जब इतने रेट पर बिजली पायेंगे तो वे कभी कम्पीट नहीं कर सकते। हालत यह है हमारे यहां वाराणसी से जो बनी हुई बर्फ फ्रेट के साथ जाती है वह बलिया की बनी हुई बर्फ से सस्ती पड़ती है क्योंकि वहां बिजली मऊ से जाती है जो बहुत महंगी है। वाराणसी में दूसरे प्रकार की बिजली है।

श्रीमन्, तो मैं यह चाहता हूं कि जब इस ऐक्ट में कोई अमेंडमेंट हो तो ऐसी व्यवस्था की जाय कि बिजली को जो तरक्की का साधन बनाया जा रहा है तो उसका हिस्सा छोटे-छोटे लोगों को भी मिले, अपनी इंडस्ट्रीज चलाने के लिये न कि यह कि मार्टिन बर्न, साहू कम्पनी और बिड़ला को दे दी जाय। न मालूम कितनी बार इसमें संशोधन हो गये हैं। मंत्री जी कुछ सोच विचार कर संशोधन किया करें और जो हमारे दिमाग में चीजें हैं उनको भी सुन लें और उन पर विचार करने के बाद अगर संशोधन करें, तो मैं समझता हूं कि वह अधिक लाभप्रद होगा।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक सदन में प्रस्तुत है इसके दो ही उद्देश्य हैं। एक तो यह स्पष्ट किया जाय कि जिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

क्षेत्रों में लायसेन्स ईश्यू किये गये हैं वहां सरकार को यह अधिकार है कि वह दूसरा भी लायसेन्स दे सके अथवा स्वयं जो बिजली उत्पादित करती है वह कंज्यूमर्स को सप्लाई कर सके। दूसरा उद्देश्य यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई है उसको इस बात का अधिकार हो कि वह, सरकार को जो अधिकार अभी तक प्राप्त थे, उनका उपयोग कर सकें, यानी उसको भी वही अधिकार प्राप्त हों और वह बिजली जिन सप्लाई के नियमों पर देना चाहे दे सके। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मेरी सम्मति में इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। और एक सप्ताह के बाद प्रवर समिति भी इस सम्बन्ध में कोई दूसरी बात प्रस्तुत कर सकेगी, ऐसी मुझे आशा नहीं है।

हां, बिजली की नीति के सम्बन्ध में कहा गया। इसमें शक नहीं, मैं उन लोगों में रहा हूं कि जिन्होंने समय-समय पर इस बात को कहा है कि राज्य की बिजली की जो नीति है, जो प्रोग्राम है, प्लान है वह गलत है। जब प्रदेश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिये फैक्ट फाईंडिंग कमेटी की स्थापना हुई उस समय उस कमेटी में मैंने स्पष्ट कहा था कि सरकार जिस तरह से बिजली की योजनाओं को बना रही है, और जिस तरह से उसको चालू करना चाहती है उससे प्रदेश के उद्योग और प्रदेशों के मुकाबिले में पिछड़ जायेंगे, क्योंकि प्रदेश के उद्योगों को पनपाने और उनके संचालन के लिये आवश्यकता है कि बिजली सस्ती और अधिक तादाद में आवश्यकतानुसार मिल सके। उस समय मैंने कहा कि अगर और कोई काम न भी हो सके, केवल बिजली सस्ती और अधिक तादाद में मिल सके तो इस प्रदेश का उद्योगीकरण बहुत शीघ्र हो जायगा। मुझे खेद है कि उस समय बिजली के सम्बन्ध में जो नीति अपनायी गई उससे इस प्रदेश के उद्योग धंधों को काफी नुकसान पहुंचा। मुझे मालूम है प्रदेश में बहुत सी जगहें मशीनें पड़ी रहीं, लाखों रुपया इनवेस्ट हो गया लेकिन बिजली के लिये इधर से उधर दौड़ते रहे पर बिजली नहीं मिली। जिन लोगों ने इस प्रदेश से बाहर उद्योग धंधे लगाये उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि यहां सबसे बड़ी बाधा बिजली के न मिलने की है। उस समय मैंने यह भी कहा था कि प्रदेश को बड़ी बड़ी हाइडिल स्कीम्स पर ही नहीं निर्भर रहना चाहिये बल्कि जहां भी हो सके थर्मल स्टेशंस, और यह भी न हो सके, तो डीज़ल इंजिन लगा कर प्रदेश के बिजली उत्पादन को बढ़ाना चाहिये। मुझे खेद है कि सरकार ने इस बात को ५,६ साल बाद महसूस किया कि जहां भी डीज़ल इंजिन्स मिल सकें लगा कर बिजली के उत्पादन को बढ़ाया जाय।

सरकार की इस नीति से प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन ५,६ साल पिछड़ गया और जो प्रदेश हमसे इंडस्ट्री में पीछे थे वह काफी आगे बढ़ गये। इसका एक मात्र कारण बिजली का कम उपलब्ध होना है। आज सरकार ने अपनी इस गलती को महसूस किया है और वह अब सजग है। उसने तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिजली के लिये जो रकम रखी है वह मेरे खयाल से काफी उत्साहवर्द्धक है, यानी करीब ११० करोड़ रुपया बिजली के उत्पादन के कामों में खर्च किया जायगा। लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि रुपये के साथ ही सरकार को कुछ अपनी नीति और कार्य के संचालन में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स के अन्दर, जो इंडस्ट्रीज़ लगाये हुये हैं या आगे लगाने वाले हैं, एक विश्वास की भावना पैदी होनी चाहिये। उनका कहना है कि आज भी जो दरख्वास्तें वे भेजते हैं उसमें इतनी कठिनाइयां, इतना आफिशियलडम और रेड–टेपिज्म है कि उनको विश्वास नहीं होता कि इन उद्योगों में जो रुपया वह लगाने वाले हैं उसके लिये उनको बिजली मिलेगी या नहीं, कहीं ऐसा न हो कि बिजली न मिलने से उनका रुपया बर्बाद हो जाय।

इसलिये मैं सरकार से आज फिर कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स की गलत धारणायें हैं उनको दूर करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि किस तरह से बिजली का उत्पादन और वितरण किया जाय जिससे शहरों में बड़े-बड़े उद्योग और देहातों में छोटे छोटे उद्योग-धंधे पनप सकें। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी नीति

में सहूलियत पैदा की और लोगों में विश्वास पैदा किया तो यह प्रदेश औद्योगीकरण में आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। खासतौर से छोटे उद्योगों पर जो सुपरचार्ज लगाया गया था तो उस समय भी मैंने कहा था कि यह नहीं लगना चाहिये। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये और साथ में यह भी देखना चाहिये कि कहां बिजली की मांग ज्यादा है, कहां ज्यादा पैदा करना चाहिये, कहां अभी बिजली खाली पड़ी हुई है जिसका अभी कोई उपयोग नहीं है। मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर सरकार विचार करेगी और यह जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया है उसमें कुछ विस्तार करेगी। उसमें कुछ ऐसे लोगों को भी लेगी जिससे कि कन्ज्यूमर्स की आवश्यकतायें और जनमत उस सम्बन्ध में मालूम हो सके।

जो प्रस्तुत विधेयक है उसका मैं स्वागत करता हूं और समझता हूं कि यह एक कदम है जो कि सरकार की आगे की नीति को बतलाता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय मोती लाल जी अवस्थी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। समर्थन करने का कारण है सरकार की दोषपूर्ण नीति। सरकार ने जो संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है वह माननीय मंत्री जी के कथनानुसार कुछ खामियों को देख कर पेश किया गया है, और जैसा कि माननीय विभव जी ने अभी बताया कि जो कुछ भी सरकार की नीति सामने आती है वह वहीं आती है जब कहीं उसको काम चलाने में दिक्कत महसूस होने लगती है। माननीय अवस्थी जी ने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये कहा है और महज इसलिये कहा है कि जितने भी दोष इसके अन्दर हैं उनको बैठ कर और सोच कर दूर कर दिया जाय ताकि यह नीति जनता के लिये फायदेमंद हो सके, गरीब किसान इससे लाभ उठा सकें।

अभी आपके सामने माननीय जगन्नाथ लहरी जी ने जो सत्ताधारी दल के हैं यह साफ कह दिया कि सरकार की नीति पूंजीपतियों की परवरिश करने की है, गरीब किसानों की परवरिश करने की नहीं है। इसकी कथनी और करनी में फर्क है। इस सरकार ने बार-बार कहा है कि हम अन्न की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं और किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली देकर उनकी सहायता करना चाहते हैं। बसों के पीछे बोर्ड लगाकर यह दिखलाया है कि किसानों को बिजली देकर उनकी सिंचाई में और कुटीर उद्योगों में किस तरह हम मदद करने जा रहे हैं। सरकारी घोषणायें होती हैं, प्रचार विभाग से पत्र पत्रिकाओं द्वारा दिखलाया जाता है जनता को कि बिजली द्वारा उन्नति के पथ पर बढ़ा जा रहा है। लेकिन सरकार के जो प्रत्यक्ष काम हैं वह कैसे हैं? आपने देखा कि जो किसान से बिजली का रेट लिया जाता है वह तिगुना लेते हैं बनिस्बत उसके जो डालमिया और बिड़ला जी से लिया जाता है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। देहात में जिन किसानों को बिजली की जरूरत होती है वह दौड़ते-दौड़ते परेशान हो जाते हैं उन्हें बिजली नहीं मिल पाती है। लेकिन जब मिल मालिकों को और पूंजीपतियों को बिजली की जरूरत होती है, तो उनके लिये सरकार कानून में आवश्यकतानुसार संशोधन करके उनके घर तक बिजली पहुंचाने के लिये कटिबद्ध होती है और पहुंचाती है। आज भी सरकार के सामने कुछ मजबूरियां आई हैं जिनके कारण यह संशोधन बिल पेश किया गया है। मैं नहीं चाहता हूं कि सरकार अपना सम्बन्ध पूंजीपतियों से तोड़े लेकिन जिनकी बदौलत वह इस गद्दी पर बैठी है उनका भी तो वह कुछ खयाल करे। सरकार इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करके एक हफ्ते का मौका देकर सारी गड़बड़ियों को दुरुस्त कर ले ताकि सदन का समय बचे और किसानों की गाढ़ी कमाई से जो बिजली पैदा की जाती है उसका गरीब किसान उपयोग कर सकें और लाभान्वित हो सकें।

मान्यवर, हमारा जिला गोरखपुर बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां के किसान बिजली के लिये चिल्लाते रह गये। वहां पर फरेंदा तहसील में धान की पैदावार बहुत अच्छी होती है लेकिन वह सूखे से बरबाद हो जाती है। सिंचाई का वहां कोई प्रबंध नहीं है। लेकिन वहां के लिये, बावजूद बार-बार मेरे तकाजा करने के और कहने के कि यहां बिजली दे दी जाय ताकि किसान अपने टयूबवेल बना लें, अगर सरकार अपने नहीं बना सकती है, और अपने खेतों की

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

सिंचाई कर सकें, तो सूखे से बच सकें और गरीबी को दूर कर सकें, सरकार की कान पर जूं नहीं रेंगती। फरेंदा तहसील में गोरखपुर से जो २५ मील की दूरी पर है जहां एक शुगर मील है वहां पर सरकार ने बिजली लगा दी है। लेकिन १२ हजार की आबादी का नौतनवां कस्बा वहां से २५ मील दूरी पर पड़ा हुआ है। वहां के लोग चिल्लाते रह गये और उनका प्रतिनिधि मंडल भी सरकार से मिला, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया कि वहां पर बिजली लग जाय। जब कभी हमने बिजली के उच्च अधिकारियों से नौतनवां में बिजली लगाने के बारे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वहां अनइकोनोमिक है और वहां फायदा नहीं पहुंचेगा। मैं इसीलिये यह कहता हूं कि जहां पूंजीपतियों को बिजली देने का सवाल आता है वहां पर यह सरकार एक तिहाई रेट पर ही बिजली दे देती है और वहां अनइकोनोमिक होने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन जहां गरीब किसानों के खेतों को सींचने का सवाल आता है, जहां उनकी आर्थिक दशा संभालने का सवाल आता है, जहां बेकारी दूर करने का सवाल आता है तो २५ मील की दूरी दिखाकर नौतनवां में बिजली देने के लिये टाल दिया जाता है। क्या यह उचित है ? बिलकुल उचित नहीं है। यह पूंजीपतियों को पालने और गरीब किसानों को अवहेलित करने की मनोवृत्ति का परिचायक है।

माननीय उमाशंकर जी ने कहा कि जब यह सरकार कोई बिल लाती है तो विरोधीदल को शुबहा होने लगता है कि यह पूंजीपतियों की भलाई के लिये सरकार करने जा रही है। उन्हें मालूम होना चाहिये कि शुबहा का कोई सवाल नहीं है, यहां तो प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है कि जो कदम सरकार उठाती है उसके अन्दर पूंजीपतियों को ही बढ़ावा देने का और सहायता देने का सवाल आता है।

आज एक तरफ राष्ट्रीयकरण की बात की जाती है और दूसरी तरफ बिजली कम्पनियां जो मुद्दत से कंज्यूमर्स को तकलीफ पहुंचा रही हैं, उनको यह सरकार मजबूत करने जा रही है। उनके मजदूर परेशान हैं, उनके कंज्यूमर्स परेशान हैं, उन्हीं को लाखों रुपया यह सरकार कर्ज देती है। यह बिल लाई है, इसके द्वारा किसानों की गाढ़ी कमाई से पैदा की हुई बिजली इन ठेकेदारों को दे दी जायगी और वह उससे नाजायज फायदा उठाकर कंज्यूमर्स को देंगे। मैं कहूंगा कि ऐसी नीति सरकार की नहीं होनी चाहिये। सरकार ने जो बोर्ड बनाया है उसके जरिये कंज्यूमर्स को सीधे बिजली दी जाय। जिन कम्पनियों का टर्म खत्म होता जाय उनको खत्म किया जाय और उनको कायम रखने की जरूरत नहीं है। बल्कि राष्ट्रीयकरण करके सरकार को अपने हाथों चलाने की जरूरत है। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ताकि सारी गड़बड़ियां एक साथ सदन के समक्ष आ जायं और तब यह बिल पास हो सके।

*श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि माननीय अवस्थी जी ने क्या सोच समझकर इस को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है। अभी माननीय लारी जी बोल रहे थे। उन्होंने भी माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया और ऐसा लगता था कि वे जो तर्क दे रहे हैं उससे उनका केस इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। उन्होंने स्वयं माना है कि जहां बिजली कम्पनियों के ठेके के मुआहिदे खत्म हो चुके हैं उनको दोबारा लाइसेंस न दिया जाय। उन्होंने यह भी प्रोपोज किया कि धीरे-धीरे इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। अगर वे अपने तर्कों की तहत में इस बिल को देखें तो धारा ३ में इसके स्वयं वह मंशा है जो लारी साहब चाहते हैं। सरकार ने स्वयं इस बात को महसूस किया है कि प्रदेश के कुछ भागों में, अगर उन्होंने किसी कम्पनी को लाइसेंस दे दिया और कोई व्यक्ति या कम्पनी इस विकास के युग में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती है या बिजली के सहारे कोई काम करना चाहती है तो वह नहीं हो पाता है। यह हम लोगों का, अवस्थी जी का, लारी साहब का और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा भी, हम सब का आये दिन का तजुर्बा है। प्रदेश भर से लोग हमारे पास एप्रोचेज करते हैं कि हमारी बात को मिनिस्टर साहब से या विद्युत परिषद् से मनवा दें और कहीं से भी बिजली दिलाने में हमारी मदद कर दीजिये। होता यह है कि उन्होंने काफी रुपया इन्वेस्ट कर दिया लेकिन बिजली न मिलने के कारण उनका काम रुका पड़ा रहता है। इसीलिये जनता की असुविधा को देख कर ही सरकार के जो अधिकार हैं कि किसी खास क्षेत्र में किसी कम्पनी को लाइसेंस देने के बाद भी किसी पार्टी को वह बिजली एलाट कर सकती है, उसने यह उचित समझा कि इसका इस्तेमाल कराया जा सके और जनता को सुविधा दी जा सके इसलिये इसको एक कानून का रूप दे दिया जाय। इसी खयाल से सरकार ने इस बिल को यहां पर लाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि जो भी सज्जन इस माननीय सदन के, यह खयाल रखते हैं कि बिजली की कमी है, उसको प्राप्त करने में बहुत दिक्कतें हैं और दैनिक जीवन में इसके अभाव में बहुत कठिनाइयां हैं उनके लिये फिर इस बात की कोई गुंजायश नहीं रह जाती कि जो संशोधन विधेयक हमारे सामने पेश है उसका वे विरोध करें अथवा ऐसा संशोधन लावें कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय या कोई आमूल परिवर्तन इसमें लाया जाय। आमूल परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। आमूल परिवर्तन तो इसी बात को मानकर हो सकता है कि इस का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय।

जैसा कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम है कि बहुत से ठेके बिजली कम्पनियों के साथ ऐसे हैं जिनकी मियाद बहुत आगे चलकर पूरी होनी है। साथ ही साथ यह भी है कि हमारे यहां जो बिजली की योजनायें बनी हैं, वे पूरी नहीं हो सकेंगी। ऐसी हालत में इस समय पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण करना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं कि ऐसी दिक्कतों के रहते हुये सरकार के लिये ऐसी हालत में अभी से राष्ट्रीयकरण करना ठीक भी नहीं है। साथ ही साथ जो इस विधेयक की मंशा है तो उस से भी राष्ट्रीयकरण की बात आ जाती है। आज भी जब किसी निश्चित क्षेत्र में कोई बिजली लगाने वाला व्यक्ति किसी कम्पनी से बिजली लगवाता है, तो जो कमीशन है या जो फायदा है, गवर्नमेन्ट और उस बिजली लगाने वाले के बीच में, तो आखिर में उससे कम्पनी को ही प्राफिट रहेगा। तो इस विधेयक में इस धारा के संशोधन करने से यह मंशा किसी हद तक पूरी होती है। अब इस को हटाकर इस धारा को संशोधित करके यह प्रोवाइड कर दिया जायेगा कि अगर कोई आदमी एप्रोच करता है तो सरकार या सरकार के बिहाफ में राजकीय विद्युत् परिषद् यदि यह उचित समझती है कि उस व्यक्ति को बिजली दी जानी चाहिये तो वह सीधे ही उसको बिजली दे देगी। ऐसी हालत में जो बीच का कमीशन या प्रोफिट होता है, वह अगर सरकार के खजाने में आ जायेगा तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता के हित में ही उस का बंटवारा होगा और इस से एक तरह से राष्ट्रीयकरण की मंशा भी पूरी होगी। मैं समझता हूं कि इस सदन के जो माननीय सदस्य राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं उनको भी इस धारा का समर्थन करना चाहिये। साथ ही साथ यह बात भी है कि आज बिजली कम्पनी के पास इतनी मात्रा में भी नहीं है कि वह लोगों की बिजली की मांग को देखते हुये उसे पूरा कर सके। ऐसी हालत में सरकार को या राजकीय विद्युत् परिषद् को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह सीधे ही लोगों को बिजली दे सके।

एक दूसरी बात और भी है, यह कहा गया कि मान लीजिये अगर कम्पनी को बिजली दे दी जाय तो कुछ टेक्निकल दिक्कतें ऐसी हैं कि सरकार और कम्पनी के बीच में मुआहिदा हो, इसमें बहुत समय लग सकता है जिससे कि बिजली प्राप्त करने वाले को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुये यह जरूरी है कि इस धारा में इस तरह का संशोधन किया जाय।

मैं अवस्थी जी से कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने यह प्रस्ताव किया है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय, तो वह कम से कम इस संबंध में इस बात का दिग्दर्शन कराने की भी कोशिश करते, यह इस्टैब्लिश करने की कोशिश करते कि ये वे वजूहात हैं जिनसे कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। प्रवर समिति में भेजने से या इसकी परिधि बढ़ाने से ये फायदे होंगे। तब तो शायद मैं उनकी बात समझ सकता था और सरकार भी समझती कि इसे प्रवर

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

समिति में भेजने से इस का अच्छा रूप हो सकेगा। यह एक छोटा सा संशोधन विधेयक है और इस में सरकार को अधिकार पहले से ही है। सिर्फ इस धारा के जरिये से इस कानून में इसका स्पष्टीकरण हो रहा है। जो इस धारा का स्पष्टीकरण हो रहा है उससे अहित होने वाला नहीं है बल्कि हित ही होगा। प्रवर समिति में भेजने से ख्वामख्वाह देरी की जाय और समय का नुक्सान किया जाय इससे कोई लाभ नहीं है तथा वहां भेजकर और इसकी परिधि बढ़ाकर इसका कोई ज्यादा सदुपयोग भी नहीं हो सकेगा।

बिजली की कमी हमारे प्रदेश में है। इसको हम सभी मानते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार भी मानती है। बिजली का बढ़ाया जाना कोई जादू का काम नहीं है जो दो, चार दिन में हो जाय या एक, दो प्लान म हो जाय। हम प्रगति के युग में चल रहे हैं और ज्यों-ज्यों हमारे विकास के काम बढ़ते जायेंगे, बिजली का उपयोग भी बढ़ता जायगा। यह चीज स्टैन्ड स्टिल होने वाली नहीं है। जब नयी-नयी इंडस्ट्रीज पैदा होती रहेंगी तो बिजली की मांग बढ़ती जायगी। इस बात को देखते हुए जो तमाम योजनायें बिजली के उत्पादन की चल रही हैं, उनकी हमें प्रतीक्षा करनी होनी। बिना उन योजनाओं के तैयार किये हुये हम नहीं समझते कि कोई व्यक्ति ऐसा जादू कर सकता है जिससे कि सारी समस्यायें दूर हो जायं। इसलिये मैं माननीय अवस्थी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी राय रिवाइज करें; वैसे उनकी बोलने की आदत है। उन्होंने अपना भाषण दे दिया और अपने सुझाव भी दे दिये। उनकी मंशा पूरी हो गयी। अब जिस रूप में यह बिल है उसी रूप में सदन इसको पारित करे और जल्द से जल्द कानून का रूप दे दे, जिससे जो तमाम प्रार्थना-पत्र माननीय मंत्री के पास पड़े होंगे और माननीय अवस्थी जी के पास भी और हमारे पास भी आये हैं, उन व्यक्तियों को सहूलियत मिल जाय। मैं इतनी ही प्रार्थना माननीय अवस्थी जी से और उन साथियों से करूंगा जो कि प्रवर समिति का प्रस्ताव लाये हैं। अन्त में मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैंने प्रस्तुत विधेयक को काफी समझने की चेष्टा की है कि यह किस चीज को स्पष्ट करना चाहता है। लेकिन मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि यह विधेयक कुछ ऐसे विषयों को स्पष्ट करना चाहता है जो पहले से स्पष्ट हैं। और स्पष्ट करने की इच्छा में जो नये तरीके से स्पष्ट करने की चेष्टा की गयी है वह और मामले को अस्पष्ट कर देती है। इसी दृष्टिकोण से माननीय मंत्री जी इस विधेयक पर कम से कम पुनर्विचार करें। अगर वह चाहते हैं कि वह विचार शांत और गम्भीर वातावरण में हो तो वह प्रवर समिति में ही हो सकता है।

इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में कहा गया है "लाइसेंसदार के सप्लाई क्षेत्र में, पूर्ण एकाधिकार नहीं हो जाता। लाइसेंसदार के सप्लाई क्षेत्र के भीतर अन्य व्यक्ति को लाइसेंस देने का राज्य सरकार का सहज अधिकार, स्पष्ट रूप से इस बात का द्योतक है कि राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि यदि वह चाहे तो किसी लाइसेंसदार के कार्यों को स्वयं करने लगे और लाइसेंसदार के क्षेत्र में बिजली का वितरण आरम्भ कर दे।" इसमें यह स्वयं मान लिया गया है कि राज्य सरकार का यह सहज अधिकार है। जिस बात के लिये स्पष्टीकरण है, वह स्वयं माना गया है। लेकिन आगे इसमें कहा गया "किन्तु यदि कोई संवैधानिक कठिनाइयां हों तो उन्हें दूर करने, और वैधिक स्थिति को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर देने, के निमित्त उक्त ऐक्ट की पूर्वोक्त धारा में संशोधन करने का प्रस्ताव है।"

श्रीमन्, यह जाहिर है कि कांस्टीट्यूशन को हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। संविधान का संशोधन हम ऐक्ट द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो मैं नहीं जानता कि संवैधानिक कठिनाइयां से दूर होने वाली हैं? मैं जब उद्देश्य और कारण को पढ़ने लगा तो बिलकुल मुझे स्पष्ट नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ क्योंकि आखिर क्या हम संविधान को अमेंड करने जा रहे हैं इस विधेयक द्वारा ? वह तो हो नहीं सकता, फिर यह संवैधानिक कठिनाइयां कैसे दूर होंगी ? धन्य हैं ऐसी विधि को बनाने वाले और धन्य है यह सरकार। कांस्टीट्यूशन को अमेंड करने के लिये तो पार्लियामेंट में जाना होगा और वहां टू थर्ड मैजारिटी से वह अमेंड होगा।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)--उसका मंशा कानूनी कठिनाइयों से है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अब नवलकिशोर जी का जो मंशा है वह तो वह जानें। उनका तो हृदय बड़ा पवित्र है। उस पवित्रता के स्रोत में हम लोग जितने हैं सभी गोते लगा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से यहां जो अंकित है उसी पर हम विचार कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी से पूर्ण सहानुभूति रखते हुये भी मैं यह कहूंगा कि हम इस बात में कतई असमर्थ हैं क्योंकि कांस्टीट्यूशनल कठिनाइयां हम दूर नहीं कर सकते।

अब जहां तक स्पष्ट करने की बात है वह भी स्पष्ट इसलिये नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें कहा गया है--

"The supply of energy by the State Government or the State Electricity Board within the same area where the State Government deems such supply necessary in public interest ;"

तो यहां पर जो इनीशियेटिव है, निश्चयात्मक शक्ति है वह बोर्ड को नहीं दी है, वह राज्य सरकार को है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी कोई निश्चय स्वतः नहीं कर सकता। उसे राज्य सरकार निश्चय करेगी कि कहां पर दूसरे लाइसेंसी के क्षेत्र के अन्दर हमें यह चीज करना है। तो जो नया प्राविजन स्पष्टीकरण के लिये जोड़ा जा रहा है उसमें राज्य सरकार को अधिकार दिया जा रहा है। अब श्रीमन, यह भी जरा समझने की बात है कि जब सारी बिजली का वितरण उत्पादन, उसका ट्रांसमीशन यह बोर्ड की ताकत और उसके अधिकार में है तो फिर बोर्ड को ही यह शक्ति भी क्यों न दी जाय कि वह निश्चय करे कि आया किसी लाइसेंसी के क्षेत्र में दूसरे किसी को बिजली पहुंचानी है या नहीं ? लेकिन जिस चीज को उद्देश्य में कहा गया है कि स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इसमें शक्ति नहीं है उसी शक्ति को इसमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हाथ में नहीं रखा गया यानी उद्देश्य और कारण में तो कुछ है और विधेयक में कुछ है।

जहां तक राज्य सरकार का अधिकार है वह तो पहले से मौजूद है। राज्य सरकार का अधिकार इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा ५१-ए में पहले से मौजूद है--

"STATE GOVERNMENT TO HAVE POWERS OBLIGATIONS OF A LICENSEE UNDER THIS ACT—Where the State Government engages in business of supplying energy to the public it shall have all the powers and obligations of a licensee under this Act."

यानी जहां कहीं राज्य सरकार स्वयं को इंगेज करती है वहां वह खुद लाइसेंसी है और उद्देश्य और कारण में वह स्वयं यह कहती है कि इस प्रकार के निश्चय करने का अधिकार ऐक्ट में राज्य सरकार को है। रिवोक करने, निरस्त करने आदि का अधिकार ऐक्ट में राज्य सरकार को मिला हुआ है। अब उसी अधिकार को दुबारा इस संशोधन के जरिये से प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है ? और जिस बोर्ड के लिये आपने कहा उस बोर्ड को आपने अधिकार दिया नहीं। आगे चलकर यह भी लिखा हुआ है कि अब स्टेट गवर्नमेंट एनर्जी सप्लाई करेगी। स्टेट गवर्नमेंट एनर्जी कैसी सप्लाई करेगी ? स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर हाउसेज तो रहेंगे नहीं। पावर हाउसेज दो ही प्रकार के रहेंगे। एक तो वे पावर हाउस जो कि व्यक्तिगत कम्पनियों के हाथ में हैं, जैसे मार्टिन बर्न कम्पनी या जो म्युनिसिपैलिटीज के अन्डर में है, और दूसरे वे पावर हाउसेज जो कि बोर्ड के हाथ में हैं। राज्य सरकार कैसे उसका वितरण

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

करेगी? राज्य सरकार के वितरण का माध्यम तो केवल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और वही होना चाहिये। अब यह नहीं हो सकता कि राज्य में कोई तीसरी व्यवस्था नहीं हो सकती। अगर बिजलीघरों का राष्ट्रीयकरण भी होगा तो वह भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ही हाथ में आयेंगे। यह नहीं हो सकता कि एक तरफ तो हम इतने शक्तिशाली बोर्ड को स्थापित करें और दूसरी ओर हम यह कहें कि राष्ट्रीयकरण अलग चीज है। राज्य सरकार अलग से राष्ट्रीय कारण करेगी। अगर भविष्य में किसी भी बिजली घर का राष्ट्रीयकरण होगा तो उसका प्रबन्ध बोर्ड करेगा। तो फिर इस संशोधन विधेयक में जो यह बात लिखी गई है कि राज्य सरकार बटवारा करेगी, वह कहां से बटवारा करने वाली है? राज्य सरकार कोई माध्यम नहीं है कि वह इस प्रकार का बटवारा करे।

फिर इसमें जो लिखा हुआ है और जो नई उपधारा (३) में बढ़ाया जा रहा है और उपधारा (२) में संशोधन किया जा रहा है उसमें परस्पर विरोध है क्योंकि जहां पर राज्य सरकार निश्चय करे कि इनर्जी सप्लाई करना है तो वहां पर इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट वाले शब्द नहीं हैं। इस विधेयक में उन शब्दों को स्थान नहीं दिया गया है कि राज्य सरकार बिना एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सलाह लिये यह निश्चय कर सकती है कि इस प्रकार की इनर्जी सप्लाई की जाय। एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अनुसार बोर्ड को वह सारे अधिकार प्राप्त हैं जो बिजली के संबंध में होते हैं। इसकी धारा २६ को श्रीमन् देखें उसमें दिया हुआ है कि—

"*Board to Have powers and obligations of the licensee under Act* 9, 1910—Subject to the provisions of this Act, the Board shall in respect of the whole State, have all the powers and obligations of a licensee under the Indian Electricity Act, 1910 and this Act shall be deemed to be the licensee of the Board for the purposes of this Act".

यानी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सारे राज्य का लाइसेंसी मान लिया गया और ऐक्ट के अन्दर यह लाइसेंसी हो गया कि इतनी शक्ति बोर्ड की है। यह नहीं कि शाहजहांपुर का हो जाय, लखनऊ का हो जाय, देहरादून का हो जाय या नैनीताल का हो जाय। वह बोर्ड इस इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अनुसार, सारे यू० पी० के लिये लाइसेंसी हो गया। धारा ३ के अनुसार जो लाइसेंसी की परिभाषा है उस परिभाषा को बोर्ड पहले से ही पूरा करता है और बोर्ड को लाइसेंसी मान लिया गया है। फिर यह कहना कि दोबारा उसको अधिकार दे रहे हैं यह स्पष्ट नहीं होता। मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि हो सकता है कि कोई कानून के निर्माता ऐसे हों जो इस सदन में न बैठते हों और उनके सलाहकार हों, उन्होंने अपनी सद्बुद्धि से उनको एक मार्ग प्रदर्शित किया हो कि साहब यह कानून अस्पष्ट है। आपको कानून में अधिकार नहीं है और यह कांस्टीटयूशनल डिफिकल्टी है, उस डिफिकल्टी को दूर कर लिया जाय, और कानून भी स्पष्ट कर लिया जाय। माननीय मंत्री जी ने सोचा कि ठीक है और अब वह कानून में सुधार कर रहे हैं। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इस विधेयक को वापस ले लें तो बड़ी कृपा होगी, नहीं तो इसमें कहीं ऐसा न हो कि आपको बीच में कोई आर्डिनेंस जारी करना पड़े और ऐसा न हो कि आम चुनाव के पहले ही इस सदन का इजलास इस कारण बुलाना पड़े कि एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में संशोधन करने में गलती हो गई उसको ठीक करना है।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि या तो आप इस विधेयक को वापस लें और अगर वापस नहीं लेते हैं तो अवसर दें कि प्रवर समिति में इन सब बातों पर विचार कर लिया जाय क्योंकि जो सलाह यहां पर नहीं मिल सकती है वह वहां पर उपलब्ध होगी और हम सभी वहां बैठ कर विचार कर सकेंगे कि आया यह ऐक्ट स्पष्ट है या नहीं। हर माने में हम वहां पर कानून के अनुसार विचार करेंगे। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी को जो सलाह दी गई है वह उस पर विचार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—(श्री देवीप्रसाद मिश्र से) समय कम है, आप ५ मिनट लेंगे।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—श्रीमन् मुझे आज्ञा दी गई है कि मैं आप से ५ मिनट ही बात करूं। मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि जब तक उनके मन की स्थिति ठीक न हो जाय उस समय तक द्विविधा की स्थिति में कोई कानून लाना, मैं समझता हूं, उचित न होगा। जो उद्देश्य और कारण लिखे हुये हैं उसमें भी उन्होंने यह लिख दिया है। यदि कोई वैधानिक संकट या कठिनाई होती और तब वे ऐसा विधेयक लाये होते तब भी ठीक होता, लेकिन वह कबूल कर रहे हैं कि संदेह है और हो सकता है कि कठिनाई हो। हो सकता है कि कोई वैधानिक संकट आये, इसलिये यह विधेयक लाया जा रहा है। हो सकता है कि उनके सलाहकार भी दुविधाजनक स्थिति में रहे हों। यह चल-चलाऊ सरकार है और अब ज्यादा समय भी नहीं है। ऐसा भी नहीं मालूम होता कि उन्होंने इस पर ज्यादा विचार किया होगा।

मेरी समझ में इसलिये दो ही रास्ते उन के सामने हैं। या तो वे कुछ समय और ले लें और उन लोगों से सलाह कर लें कि जिनके मन की स्थिति ठीक है और जो कानून को ठीक तरह से समझते हैं या समझने की हालत में हैं, या जैसा कि मैंने बतलाया, वे इसको वापस ले लें। यह सरकार केवल अब ४,५ महीने की मेहमान है और इन चार, पांच महीनों में ऐसी स्थिति नहीं हो जायगी कि कोई गड़बड़ी पैदा हो जाय। हां, अगर उनके दिमाग में दो चार लाइ-सेंसेज देने की बात पहले से मौजूद हो, उन्होंने किसी को बिजली देने का वायदा कर रखा हो और उसमें रुकावट पड़ने की संभावना हो, तो बात दूसरी है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि इस समय इसे लाना उचित नहीं है। एलेक्शन का समय नजदीक आ रहा है और सरकार घर और बाहर, सभी जगह उसमें डूबी हुई है इसलिये ऐसे समय में ऐसे विधेयक को ला कर व्यर्थ में अपवाद न फैलायें।

श्री अधिष्ठाता—(श्री झारखंडेराय से) आप भी ५ मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, जो तरमीम अवस्थी जी ने पेश की है, मैं उसकी ताईद करता हूं क्योंकि उसमें एक वाक्य है कि समिति को इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार होगा। इस बात की जरूरत है कि परिधि बढ़ा कर इस विधेयक पर पुनः विचार किया जाय।

एक मिश्रित अर्थ व्यवस्था इस बिजली के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में चल रही है। बिजली राज्य सरकार द्वारा उत्पादित हो कर बांटी जा रही है और प्राइवेट कंपनियां भी हमारे प्रदेश में चल रही हैं इस क्षेत्र में। दोनों का सम्मिश्रण आज है। इसका अन्त जल्दी होना चाहिये और उस बात की जरूरत है कि जो प्राइवेट कम्पनियां आज प्रदेश में चल रही हैं उनका एग्रीमेंट समाप्त कर के, उनको मुआवजा दे कर भी, उनको समाप्त करना चाहिये और इस बिजली के उद्योग का राष्ट्रीयकरण प्रदेश की सरकार को जल्दी ही करना चाहिये।

एक बात की शिकायत हमेशा रही कि प्रदेश में बिजली के रेट्स अलग-अलग हैं। उनमें समानता नहीं है। इससे जनता और उपभोक्ताओं को दिक्कत होती है और इस दिक्कत का अन्त भी सरकार को करना चाहिये।

एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आज कर्मशियल लाइंस पर चल रहा है, लेकिन हमेशा बनिया मनोवृत्ति भी ठीक नहीं होती। जहां बिजली की जरूरत है, जहां की जनता बिजली चाहती है, वहां सरकार को चाहिये कि बिजली ले जाय। ऐसा करने से साल दो साल में वहां के लोगों में चेतना आयेगी, उनका दृष्टिकोण बदलेगा और सरकार की आमदनी बढ़ेगी। आज सरकार जब तक उसकी शरायत पूरी न हों, वहां बिजली नहीं देना चाहती, इसी को मैंने बनिया मनोवृत्ति कहा है, और यह दृष्टिकोण इस बोर्ड को समाप्त करना चाहिये तभी बिजली का व्यवहार हमारे प्रदेश में हो पायेगा, बढ़ पायेगा।

[श्री झारखंडे राय]

मान्यवर, हम सभी को मालूम है कि जनता को जो बिजली दी जाती है उसमें काफी देर लगती है, उसकी शिकायतें हमारे पास भी आती रहती हैं और सरकार के पास भी आये दिन आती रहती हैं। अगर कोई पूंजीपति बिजली चाहता है तो उसको बहुत जल्दी बिजली मिल जाती है। इसलिये इस भेद-भाव को नीति को दूर करना चाहिये।

इसके अलावा गरीब आदमी पर अगर बिजली का बकाया होता है तो वह तुरन्त वसूल किया जाता है और उसके साथ काफी सख्ती की जाती है जब कि बड़े-बड़े लोगों पर, पूंजीपतियों पर, लाखों रुपया बकाया पड़ा रहता है और उसको वसूल करने के लिये कोई सख्ती नहीं बरती जाती। इस भेद-भाव को भी दूर करना चाहिये।

हमारे प्रदेश के विकास के लिये छोटे-छोटे उद्योगों के विकास की अत्यन्त आवश्यकता है और उसके लिये यह आवश्यक है कि इन उद्योगों को बिजली दी जाय। काटेज इंडस्ट्रीज के लिये बिजली का वितरण बड़ी उदारतापूर्वक होना चाहिये।

जहां पर नयी बिजली दी जा रही है, वहां के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। वहां पर जो लोग पूरे तरीके से बिजली का उपयोग नहीं करते उनको भी पूरा पैसा देना पड़ता है, यह चीज ठीक नहीं है। जो जितना खर्च करे उससे उसी के अनुसार पैसा लेना चाहिये।

मान्यवर, अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस बिल को लाने की निश्चित मंशा सरकार की क्या है, वह नहीं मालूम होती और इस बिल में साफ कारण नहीं बताया गया है। अगर यह प्रवर समिति में जाता है तो वहां पर एक शांत वातावरण एवं अराजनीतिक माहौल में इस पर विचार हो सकता है और इसकी परिधि भी बढ़ाई जा सकती है और आज बिजली के वितरण में जो गड़बड़ी पाई जाती है वह भी दूर हो सकती है तथा जनता को राहत भी मिल सकती है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मोतीलाल अवस्थी जी, आपको ५ मिनट का ही समय मिलेगा।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, यह विधेयक जो सरकार की ओर से उपस्थित हुआ है उस पर विवाद में जिन सभी दलों के लोगों ने भाग लिया है उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं।

श्रीमन्, इस बिल को लाने के संबंध में कल एक कारण यही बताया गया था कि इस बिल के न होने पर एक वैधानिक कठिनाई पैदा हो जायेगी। सरकार जिन नयी कम्पनियों को बिजली देना चाहती है उनके बारे में यह सोचती है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई आपत्ति हाई कोर्ट आदि से उठ जाय, इसलिये वह उस आपत्ति को दूर करना चाहती है और उसको पूरा करने के लिये इस बिल द्वारा ऐक्ट में संशोधन करना चाहती है ताकि उसको भविष्य में परेशानी न उठानी पड़े और वे जिसको चाहें बिजली दे सकें। अगर सचमुच ऐसी बात है तो मुझे कहना पड़ेगा कि सरकार कुछ नयी कम्पनियों को लाइसेन्स देना चाहती है और उसी के लिये इस बिल को लाई है। एक उदाहरण में एक सदस्य ने कहा कि एटा में एक सज्जन के पास पावर है नहीं, लेकिन यह सरकार उनको बिजली सप्लाई करने का अधिकार देना चाहती है। आज जो लाइसेन्सी है उनमें आपस में होड़-सी लगी हुई है और यह सरकार अपने नामिनीज को लाइसेन्स देने पर अड़ी हुई है। सरकार आज क्या करती है कहीं कोयले का, कहीं शुगर का लाइसेंस दे दिया, तो कम्पनियों को भी लाइसेन्स दे देते हैं ताकि वह चुनाव में सपोर्टर्स हो जांय, यही मंशा मेरे खयाल में इस बिल को जल्दी में लाने का हो सकता है। मैं झारखंडे राय जी का समर्थन करता हूं कि बिजली के वितरण में गरीब जनता की तरफ हमारा दृष्टि बिन्दु रहना चाहिये। आज तक सरकार ने बड़ी-बड़ी कम्पनियों को ही प्रिफरेंस दिया। मार्टिन कम्पनी शुरू से ही फायदा उठा रही है। शोरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कम्पनी को सस्ते दाम पर बिजली देकर और किसान को न देकर सरकार की नीति स्पष्ट हो जाती है कि बड़ी कम्पनियों को प्रिफरेंस दिया जाय जिनसे थोड़ी सहायता मिले। हम सरकार की नीयत के विरुद्ध स्पष्ट बात तो नहीं कहते हैं, लेकिन हमारी शंकायें तभी दूर हो सकती हैं जब यह बिल प्रवर समिति में जाय और वहां हमें अपनी बात कहने का मौका मिले। इसमें सरकार की कोई हानि भी नहीं है, केवल ७ दिन की बात है।

*विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे उधर के माननीय सदस्यों के भाषण सुन कर दुःख हुआ। एक छोटा-सा हम बिल लाये जिसका उद्देश्य यह था कि जो लाइसेंसीज के एरिया हैं उनमें हमको भी बिजली देने का अधिकार मिल जाय। कुछ लोगों ने कहा कि लाइसेंसीज को खरीदने का अधिकार क्यों नहीं लेते हैं? हम बार-बार कह चुके हैं कि सरकार की नीति यह है कि जल्दी से जल्दी लाइसेंसीज को ले लिया जाय और उसके अनुसार हम चल भी रहें हैं। हमारे प्रदेश में तीन प्रकार के लाइसेंसीज हैं।

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

एक जो बिजली का वितरण करते हैं, एक बिजली को बनाते हैं और वितरण भी करते हैं और एक कुछ बिजली वितरण करते हैं और वह थोड़ी सी लेते भी हैं। जिन लाइसेंसीज को हमने स्वयं लाइसेंस दिया है उसमें समय निर्धारित है। उसके पहले हम खरीद नहीं सकते वरना उसका दाम देना पड़ेगा, उसके नियम हैं। इस कानून के बनाने का मंशा हमारा यह है कि समय के अनुसार हम लाइसेंसींज को लेते जा रहें हैं और खास तौर से वे लाइसेंसीज जो वितरण करते हैं। जैसे कि अवस्थी जी के दिमाग में यह बात आयी कि हम नयी कम्पनीज को लाइसेंस देना चाहते हैं, ऐसी हमारी नीति नहीं है। हमने प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना दिया जो इस काम को कर रहा है और बिजली बना रहा है। हमारा तो उद्देश्य है कि उनके एरिया में भी हम बिजली दे सकें।

नारायणदत्त जी ने कहा कि यह जब अधिकार हैं तो दूसरा संशोधन लाने की आवश्यकता क्या हुई? हमारे जो कानून के पंडित हैं तथा हमारे एडवोकेट जनरल हैं उनकी यह राय हुई कि इन कम्पनियों के वेस्टेड इन्टरेस्टस् हुआ करते हैं। कभी-कभी जब हम ऐसा काम करते हैं तो वे अदालतों में चले जाया करते हैं जहां काफी समय लग जाता है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां हम बिजली देना चाहते हैं और हमारे पास बिजली है भी, लेकिन पुराने नियमों के अनुसार बिजली दे नहीं सकते। और जैसे कि ये नियम थे उनके बारे में यह संदेह प्रकट किया गया कि उनके अन्दर कुछ कठिनाई हो क्योंकि हमने उनको आजतक व्यवहार नहीं किया। ये नियम पुराने जमाने के बने हुये हैं। उनमें प्रोपराइटर्स के अधिकारों को ज्यादा सुरक्षा प्रदान की गयी है बनिस्बत आजकल के कानूनों के जिनको हम आजकल बना रहे हैं। इसलिये इस कानून में थोड़ी सी सफाई कर दी गई है जिससे बिजली देने में हमें कोई दिक्कत न हो और कोई मुकदमेबाजी भी न कर सके।

हमारे साथियों ने यह भी कहा कि बिजली की बहुत कमी है। बिजली बनाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। बार-बार इस संबंध में बताया जा चुका है कि बिजली बनाने की हमारी कौन-कौन स्कीम्स हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो हमारा प्लान ५०२ करोड़ का है उसमें से १०७ करोड़ नयी बिजली की स्कीम्स के लिये है।

कुछ साथियों ने यह भी कहा कि रेंटिंग कमेटी नहीं बैठाई। वह तो वहीं बैठती है जहां नियमों के अनुसार ६ प्रतिशत से ज्यादा चार्ज किया जाता है। अगर कहीं हमें इस बात की आशंका होती है तो वहां रेंटिंग कमेटी बैठाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

विभव जी ने कहा कि हम बड़ी-बड़ी स्कीम्स बनाये जा रहे हैं। लेकिन गांवों को और गरीब लोगों को बिजली देने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम बिजली का काफी बड़ा हिस्सा गांवों मे ट्यूबवेल्स के लिये देते हैं और करीब-करीब ४० प्रतिशत हमारी बिजली ट्यबवेल्स के लिये ही दी जाती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—श्रीमन्, अब समय बहुत थोड़ा है और इसको अभी पास होना है। यह कोई बहुत बड़ा बिल नहीं है जिसको प्रवर समिति को भेजा जाय। माननीय सदस्य चाहते हैं कि बिजली दी जाय और इसके द्वारा हम बिजली देने का ही प्रयत्न कर रहें हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इससे हमारा इरादा किसी नयी कम्पनी को बिजली देने का नहीं है। पुराने जितने भी लाइसेंसीज हैं, जैसे-जैसे समय होता जायगा, वैसे-वैसे उनके लाइसेंसेज को खत्म करते जायेंगे। हमारी नीति इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा लोगों को बिजली देने की है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी के प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन, मैं एक संवधानिक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आप इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को पढ़ें जिसमें लिखा हुआ है ---"किन्तु यदि कोई संवैधानिक कठिनाइयां हों तो उन्हें दूर करने का प्रस्ताव है"। मेरा विचार है कि संविधान संबंधी कोई कठिनाई हो तो उसे किसी ऐक्ट के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था जानना चाहता हूं कि क्या संवैधानिक कठिनाइयां इस सदन के अधिनियम द्वारा दूर हो सकती हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—वैधानिक कठिनाइयों से मतलब यही है कि कोई कानूनी चीज ऐसी हो, जिससे कि हमें दिक्कत हो इसके लेने में, इसका यही अर्थ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—हर जगह कांस्टीट्यूशन का मतलब भारतीय संविधान से नहीं होता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, विधान और संविधान का अन्तर इनको बतला दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो अध्यापकों का काम है। (हंसी)

(कुछ क्षण पश्चात्)

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत कर दे। समिति विधेयक की परिधि की वृद्धि कर सकने की शक्ति रखेगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ३ में—

ऐक्ट संख्या ९, १९१० की धारा ३ का संशोधन

(१) उपधारा (२) में खंड (ई) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*e*) the grant of a licence under this part for any purpose shall not in any way hinder or restrict—

(i) the grant of a licence to another person within the same area of supply for a like purpose; or

(ii) the supply of enegry by the State Government or the State Electricity Board within the same area where the State Government deems such supply necessary in public interest;"

(२) उपधारा (२) के पश्चात नई उपधारा (३) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय।

"(3) Where the supply of energy in any area by the State Electricity Board is deemed necessary under sub-clause (ii) of clause (*e*) of sub-section (2), the Board may, subject to any terms and conditions that may be laid down by the State Government, supply energy in that area notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or the Electricity Supply Act, 1948".

Act No. 54 of 1948

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ३

(श्री वीरेन्द्र वर्मा के स्थान पर श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव संशोधन नं० १ पेश करने के लिये खड़े हुये।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, क्या आपको विश्वास है कि माननीय सदस्य ने श्री वीरेन्द्र वर्मा से इस संशोधन को पेश करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है?

श्री उपाध्यक्ष—जैसे मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूं वैसे ही इस बात पर भी विश्वास कर लेता हूं।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के पश्चात् नया खंड ३ निम्नलिखित रूप से बढ़ा दिया जाय:

"३—इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१०, की धारा २८ में, उपधारा (१-ए) के पश्चात् नई उपधारा (१-बी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"(I-B). The State Government may, notwithstanding that sanction for engaging in the business of supplying energy to the public in an area has been given to any person under sub-section (1), whether before or after the coming into force of the Indian Electricity (U. P. Sanshodhan) Adhiniyam, 1961, give direct supply, or authorise the State Electricity Board to give direct supply, in the same area"."

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, इस पर मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि आप देखें कि यह कोई नयी तरमीम या संशोधन नहीं कर रहे हैं बल्कि एक नयी चीज जोड़ना चाहते हैं अगर कोई ऐसी चीज वे जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिये अलग से नया बिल लावें ।

श्री उपाध्यक्ष---इस संबंध में आपको क्या कहना है ?

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव---मान्यवर, यह संशोधन जरूर हम जोड़ने के रूप में ही लाये हैं, लेकिन इससे यह प्रश्न नहीं उठता कि अगर हम कोई संशोधन करना चाहें तो उसके लिये एक नया विधेयक ही लावें । मैं तो समझता हूं कि यह जो संशोधन आया है, यह उचित है और माननीय बिष्ट जी उसको स्वीकार कर लेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, इस संबंध में मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १३९ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इस संबंध में जो हमारी प्रक्रिया का नियम १३९ है वह इस प्रकार है :---

"संशोधनों की ग्राह्यता की शर्तें---किसी विधेयक के खंडों या अनुसूचियों में संशोधनों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :---

(१) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय से सुसंगत होगा ।"

अब आप देखें कि यह संशोधन विधेयक केवल खंड २ व ३ के बारे में है लेकिन यह संशोधन खंड २८ के संबंध में लाया जा रहा है । इसलिये यह संशोधन इस विधेयक के स्कोप के नितांत बाहर है । इसलिये यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव---श्रीमन्, यह संशोधन लाइसेंस के बारे में है जैसे कि लाइसेंसी के अधिकार क्षेत्र में सरकार को अधिकार है कि वह बिजली उसे दे सके उसी प्रकार यह परमिशन होल्डर के बारे में है । इसमें कोई नई बात नहीं है और इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---यह संशोधन जो सरकारी पक्ष की ओर से पेश किया गया है वह मूल ऐक्ट की धारा २८ में नहीं है बल्कि उसके साथ यह एक नई धारा जोड़ी जा रही है और यह बिल के उद्देश्यों के अनुकूल है और माननीय सदस्य भी ऐसा संशोधन पेश किया करते हैं कि नई धारा जोड़ दी जाय इसलिये मैं इसे उचित समझता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, इस संबंध में....

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, आप बैठें अब इस संबंध में कुछ नहीं कहें ।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है इसकी मन्शा केवल यह है कि जिस प्रकार कि सरकार को अधिकार दिया गया है कि जो लाइसेंस्ड क्षेत्र है उस क्षेत्र में वह जिस को चाहें बिजली दे सकती है उसी प्रकार परमिशन होल्डर के क्षेत्र में भी सरकार जिसको चाहें बिजली दे सके । यह अधिकार सरकार को इस संशोधन द्वारा मिल रहा है, इस से जनहित ही होगा क्योंकि कभी-कभी परमिशन होल्डर्स के क्षेत्र में बिजली के न होने से जनता को कष्ट होता है और लोगों की बिजली की मांग पूरी नहीं होती । इसलिये यह आवश्यक है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय, मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---मुझे स्वीकार है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक शाब्दिक संशोधन इस संशोधन ही मे है कि उक्त संशोधन के (१-बी) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'पबलिक' हटाकर उस के स्थान पर शब्द "Consumer" रख दिया जाय। इसका कारण यह है कि इस ऐक्ट में कहीं भी शब्द 'पब्लिक' डिफाइन्ड नहीं है और 'कन्ज्यूमर' शब्द डिफाइन है। मूल ऐक्ट के खंड २ के भाग (c) में 'कन्ज्यूमर' की परिभाषा इस प्रकार है कि---

" 'Consumer' means any person who is supplied with energy by a licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying energy to the public under this Act."

हर जगह 'कन्ज्यूमर' शब्द आता है, उस को पब्लिक शब्द से रिलेट किया गया है। इसलिये यहां पर "टु दि पब्लिक" रखना ठीक न होगा और बाद में फिर परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिये 'कन्ज्यूमर' रखना ही 'पब्लिक' के स्थान पर उचित होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, इस बिल के पारित होने के लिये समय २:१५ तक का था, वह समय हो चुका....

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठें, अभी समय है।

क्या तिवारी जी का संशोधन मंत्री जी को स्वीकार है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के पश्चात् नया खंड ३ निम्नलिखित रूप से बढ़ा दिया जाय :---

"३---इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा २८ में, उपधारा (१-ए) के पश्चात् नई उपधारा (१-बी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

(I-B). The State Government may, notwithstanding that sanction for engaging in the business of supplying energy to the consumer in an area has been given to any person under sub-section (1), whether before or after the coming into force of the Indian Electricity (U. P. Sanshodhan) Adhiniyam, 1961, give direct supply, or authorise the State Electricity Board to give direct supply in the same area.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नया खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना, शीर्षक तथा खंड १

इंडियन इलेक्ट्रिसिटी [उत्तर प्रदेश संशोधन] विधेयक, १९६१ ऐक्ट संख्या

आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ९, १९१० ऐक्ट १९१० का (उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में) संशोधन करने के लिये ;

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतन्त्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१---(१) यह अधिनियम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तावना, शीर्षक और खंड १ इस विधेयक का अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---अब विरोध का समय नहीं है क्योंकि समय नहीं है । आपने तो खुद ही एतराज किया था ।

प्रश्न यह है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१*

गृह मन्त्री (श्री चरणसिंह)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---न्याय मंत्री का काम भी यह करने लगे, श्रीमन् ?

†**श्री चरणसिंह**---हर मंत्री न्याय मंत्री भी होता है, पुलिस मंत्री भी होता है, शिक्षा मंत्री भी होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है । केवल एक धारा जो भारतीय दंड विधान की है उसका संशोधन और एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा का संशोधन है । भारतीय दंड विधान की धारा ४४१ है । उसका मोटा सा मंशा यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर या मकान पर घुस जाय और वहां रहता आये इस इरादे से कि वह उस जमीन या मालिक मकान का अपमान करे या परेशान करे या वहां कोई अपराध करे तो वह अपराधी माना जा सकता है और सजा का मुस्तहक होता है ।

सन् १९५४ में गवर्नमेंट ने, तराई के इलाके में जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है, उसके सिलसिले में एक कानून बनाया था । मैं उस सबकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन हाईकोर्ट ने उन मामलों के संबंध में, जो एक मामला वहां तक गया, तो उन्होंने यह तय किया कि अगर कोई आदमी जमीन पर कब्जा कर ले उसका इस्तेमाल करने के लिये और इस्तेमाल करता रहे तो दफा ४४१ का मुजरिम नहीं होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी जो हाई कोर्ट की बात कह रहे हैं तो जब तक वह डाक्यूमेंट हमारे सामने प्रस्तुत न हो तब तक कैसे हमको मालूम होगा ? सरकार उसकी एक कापी हमारे सामने रखे तब हम रिलाई कर सकते हैं उस बात पर ।

---

*४ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही में छापा है ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो नहीं है कि जब तक वह पेश न कर दिया जाय तब तक कोई विधेयक पेश नहीं हो सकता। इस तरह का एक रूल है कि अगर कोई माननीय सदस्य चाहें, उसका नोटिस दें तो इस तरह के काग़ज़ात सदन की मेज़ पर रखे जा सकते हैं.....

श्री मोतीलाल अवस्थी--वह पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री चरणसिंह--वह इस वक्त मेरे पास नहीं है और न उसकी कोई जरूरत है इस वक्त।

तो मैं कह रहा था कि हाईकोर्ट ने इस तरह की एक रूलिंग दी और गवर्नमेन्ट ने यह मुनासिब समझा कि इस सिलसिले में जो भी संदेह हो उसका निवारण करने के लिये कानून का संशोधन कर दिया जाय। अब दफा ४४१ जिस तरह से संशोधित की जा रही है उससे यह बात साफ़ हो जायगी कि जो आदमी किसी की जमीन और मकान पर कब्जा कर ले, यह नहीं कि अपमान करना चाहे, बल्कि इस खयाल से भी कर ले कि जमीन का इस्तेमाल करेगा, जोतेगा, बोएगा या मकान पर कब्जा कर ले, रहने के लिए तो वह भी जुर्म माना जायगा। अब चूंकि अंग्रेजी में इंडियन पीनल कोड है इसलिये आप की इजाजत से अंग्रेजी में पढ़ूंगा। जो संशोधन विधेयक है उसके खंड २ में लिखा हुआ है कि धारा ४४१ के स्थान पर निम्नलिखि रख दिया जाय। तो जो अब धारा रखी जा रही है उसके दो भाग हैं। पहला तो बिलकुल वही है जैसा आज है इंडियन पीनल कोड का और दूसरा भाग बढ़ाया जा रहा है, जिसकी मंशा यह है कि कोई आदमी जायदाद पर कब्जा कर ले, चाहे इस कानून के आने के पहले या बाद में, इस इरादे से कि खिलाफ़ कानून उसका कब्जा रहे और उसका इस्तेमाल खिलाफ कानून करे और उस जायदाद को खाली न करे, तब, बावजूद नोटिस दिये जाने के, वह शख्स यह समझा जायगा कि वह क्रिमिनल ट्रेसपास का मुस्तौजिब है।

दूसरी धारा २५१ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की है। तो यह दफ़ा जैसी कि १९५५ से पहले जाब्ता फ़ौजदारी में थी, उसके मुताबिक पुलिस अगर किसी मुकदमे में मैजिस्ट्रेट से यह दरख्वास्त करे कि फलां फलां गवाह प्रासीक्यूशन की तरफ़ से तलब करा दिये जायं, तो मैजिस्ट्रेट उनके नाम सम्मन जारी कर दिया करता था। लेकिन १९५५ में सेन्ट्रल लेजिस्लेचर ने, वह जो प्रावीज़न था जिससे कि मैजिस्ट्रेट गवाहों को पुलिस के जरिये पुलिस के चालानी केसेज में तलब करा देता, वह निकल गया। तो अब धारा जो इस समय मौजूद है वह यह है:

"251 (7). On the date so fixed, the Magistrate shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution."

तो २ दिसम्बर, १९६० को स्टेट वर्सेज राम लाल का एक केस हाई कोर्ट के सामने आया और हाई कोर्ट ने यह तय किया। पुलिस की तरफ़ से दरख्वास्त दी गई कि गवाह तलब किये जायं, तो हाई कोर्ट ने तय किया कि १९५५ में तरमीम हो जाने के बाद मैजिस्ट्रेट के लिये यह लाजिमी नहीं है कि पुलिस के चालानी केसेज में प्रासीक्यूशन की तरफ़ से वह गवाह तलब करे। लिहाजा वह दरख्वास्त खारिज कर दी और गवाह न होने से मुकदमा भी खारिज हो गया। २ दिसम्बर, १९६० को जब यह नज़ीर हुई उससे पहले ही सबार्डिनेट कोर्ट स में करप्शन के काजेज को इनवेस्टीगेट करने के लिए जो समिति है उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, इस नज़ीर से पहले ही, सुझाव दिया है कि दफ़ा २५१ में तरमीम कर देनी चाहिये। और सन् १९५५ तक जिस शक्ल में धारा थी वही शक्ल इसकी बना देनी चाहिये, अर्थात् कोर्ट के लिये लाजिमी होना चाहिये कि पुलिस के चालानी केसेज में प्रासीक्यूशन की तरफ़ से जिन गवाहों को तलब करने की उनसे दरख्वास्त की जाय उनको वह तलब करें। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को भी लिखा। उनको वैसे यह बात मंजूर थी, लेकिन उन्होंने ला कमीशन के पास भेजा कि इस तरह के और अमेंडमेंट स और वह विचार कर रहा है तभी यह तरमीम भी कर दी जायगी। लकिन उससे देर हो रही ह थी। कुछ मजिस्ट्रेट्स तो समन्स

[श्री चरणसिंह]

जारी कर देते हैं, लेकिन कुछ ने हाई कोर्ट की इस नजीर की बिना पर सम्मन्स जारी करने से इन्कार कर दिया। लिहाजा केसेज के प्रासीक्यूशन में पुलिस या गवर्नमेंट के सामने बहुत कठिनाई पेश आ रही थी। तो यह संशोधन इस आशय से किया जा रहा है। दफ़ा २५१ (६) में इस प्रकार है—

"If the accused refuses to plead, or does not plead, or claims to be tried, the Magistrate shall fix a date for the examination of witnesses."

अर्थात् अगर मुल्जिम कोई बयान नहीं देता है या बयान देने से इन्कार करता है या कहता है कि मैं सफ़ाई दूंगा, मेरे खिलाफ़ गवाह पेश किये जायं तो मैजिस्ट्रेट गवाहों के बयान के लिये एक तारीख मुकर्रर कर देगा। इसके बाद इरादा यह है कि फुलस्टाप के बजाय सेमीकोलन रख दिया जाय और ये शब्द बढ़ा दिये जायं—

"and shall summon the witnesses, documents or things, specified in any application, made on behalf of the prosecution before the said date, for summoning the same, unless, for reasons to be recorded, he deems it unnecessary to summon all or any of them."

यानी जहां मैजिस्ट्रेट तारीख मुकर्रर करेगा गवाहों के बयान लेने की वहां पर गवाहों को, ऐसी दस्तावेज और चीजें भी तलब करेगा जो कि दरख्वास्त में जाहिर की गयी होंगी, प्रासीक्यूशन की जानिब से उस तारीख से पहले। अगर वह समझता है कि किन्हीं सूरतों में किसी गवाह या दस्तावेज को या सब को तलब न किया जाय तो वह उसके लिये तहरीरी वजह मिसिल पर अंकित कर देगा वरना तलब करेगा। तो ये शब्द प्रैक्टिकली वही हैं जो सन् १९५५ तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में थे। हमने सन् १९५५ में जब क्रिमिनल प्रासीजर कोड का अमेंडिंग बिल सेन्ट्रल लेजिस्लेचर में पेश हुआ था तो वहां की प्रोसीडिंग्स वगैरह का भी एग्जामिनेशन कराया यह जानने के लिए कि आखिर जो पहले अख्तियार मैजिस्ट्रेट को पुलिस के गवाहों को तलब करने का था उसको डेलीट क्यों किया, लेकिन कोई वजह नहीं पायी, न किसी माननीय मेम्बर की स्पीच के दौरान में और न गवर्नमेंट के किसी मेम्बर की तरफ़ से ही कुछ कहा गया। यह तो मैं कह नहीं सकता कि थ्रू ऐन ओवरसाइट ऐसा हो गया, डेलीबरेटली ही किया होगा लेकिन उसकी कोई वजह नहीं मिल सकी। वजह सिर्फ जिसका हम केवल अनुमान ही कर सकते हैं यह हो सकती है कि पुलिस के गवाहों की लिस्ट तो दे दी और मैजिस्ट्रेट का हुक्म भी हो जाता था लेकिन गवाहों पर समन्स की तामील करने में कभी कभी पुलिस की तरफ़ से कोताही होती थी जिसकी वजह से मुकदमों में देर होती थी। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस वजह से तरमीम की हो। लेकिन अब वह दूसरी एक्सट्रीम पर चला गया। जो डेलीशन हुआ इस प्राविजन का तो यह हो गया कि मैजिस्ट्रेट चाहें तो गवाहों को तलब न करें, तो सारा मुकदमा अपने आप छूट गया। इसलिये हम जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उसमें दोनों बातों की गुंजायश है। मतलब यह है कि पुलिस की तरफ़ से अगर गफ़लत हो या वह मुकदमे में देर करना चाहती हो, तो इसमें अख्तियार दिया गया है कि मैजिस्ट्रेट ऐसी सूरत में वजह बयान करके उसकी दरख्वास्त को खारिज कर सकता है और गवाहों को तलब न करे। लेकिन आमतौर पर मजिस्ट्रेट को चाहिये कि जो पुलिस की तरफ से गवाहों की फेहरिस्त दी जाती है या डाकूमेंट्स की फेहरिस्त दी जाती है, उनको तलब करें। इस विधेयक में यह दो बहुत ही मामूली सी तरमीमें हैं। मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत बड़ी बहस या नीति की बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इनको स्वीकार करेगा मुझे अपने मित्रों के विचारों को सुनकर खुशी होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मान्यवर, आप की इजाजत से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो ७ दिन के भीतर अपनी संस्तुति सदन में पेश करे।

श्रीमन्, अभी माननीय गृह मंत्री जी की बात को मैंने बड़े गौर से सुना। माननीय मोती लाल जी अवस्थी ने एक बहुत ही उचित बात इसमें कही कि सरकार जिन डाकूमेंट्स के आधार पर कोई बिल लाती है उनका यहां पर होना निहायत जरूरी है। श्रीमन् सरकार के पिछले रवैये से हमें ऐसा लगता है कि वह डाकूमेंट्स सरकार की ओर से नहीं आये। लेकिन विधान रखा गया है कि वह पेश हों। आखिर दिक्कतें क्या हैं और किस लिये पेश आईं, किस तरह से वह रफ़ा हो सकती हैं और नुक्स क्या है? जब तक सदन इसको नहीं जानेगा और उसको अंधकार में रखा जायगा तब तक ठीक राय सदन किस तरह से दे सकता है।

माननीय गृह मंत्री जी उस समय मौजूद थे या नहीं, मैं नहीं कह सकता। श्रीमन् ने देखा होगा कि कल एक बिल आया जिसमें जुरमाने की सजा थी। लेकिन वह तब होती जब गैम्बलिंग हाउस रखने का अपराध सिद्ध हो जाता। लेकिन दौरान मुकदमा में उसको नान बेलेबिल बना दिया गया। आज एक दूसरा विधेयक आया जिसमें माननीय शर्मा जी कुछ जवाब न दे सके और अन्त में सरकार की ओर से यही कहा गया कि हमें अधिकार तो हैं, लेकिन वहम हो गया था। श्रीमन्, इस तरह की यहां पर बातें हो रही हैं। इसको माननीय न्याय मंत्री जी और गृह मंत्री जी देखने की कृपा करेंगे कि उनके लीगल डिपार्टमेंट को क्या हो गया है। इसमें श्रीमन्, आक्षेप की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा बटैलियन लाइयर्स का यहां पर रहता है और उसमें से हाई कोर्ट के जजेज भी हो जाते हैं। तो यह क्या हालत हो रही है? इसी तरह से सेल्स टैक्स बिल में भी हुआ। एक दफा उसमें संशोधन हो गया। दुबारा फिर आ गया। हमने पहले ही कहा था कि इसमें लैकूना है, इसको देख लिया जाय। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहले भी वह १७–१८ बार संशोधित हो चुका है और १९ वीं बार अब फिर हो रहा है। तो इस तरह के हौच पौच कानून नहीं बनाने चाहिए। एक संशोधन हुए देर नहीं होती कि दूसरा सामने आ जाता है। यह बड़े ही दुख की बात है।

श्रीमन्, म आज के मौजूदा बिल के संबंध में कह रहा था कि उन्होंने हाईकोर्ट की दो नजीरों का जो रिफरेंस दिया यह आदरणीय सदन कतई नहीं जानता कि उसमें क्या है तो हम राय क्या दें। उन्होंने कोर्ट के करप्शन को खत्म करने के लिये जो इन्क्वायरी कमेटी है उसकी रिपोर्ट के बारे में भी कहा, लेकिन वह आ जाय तभी हम अपनी राय दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—कुछ डाकूमेंट्स इस सम्बन्ध में आये हुए हैं और वह इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं आयी हुई है, उसको देख सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—धन्यवाद, उसको हम पढ़ लेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जो धारा ४४१ के बारे में मैंने कहा था वह आप के पास नहीं है। वह मैं देखना चाहता था।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—२ चीजें इसमें हैं। एक तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा २५१-ए में अमेंडमेंट किया गया है। यह अमेंडमेंट बहुत ठीक है और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन जो दूसरा अमेंडमेंट ४४१ में किया जा रहा है वह मुझे अजीबो गरीब लगता है। इसमें जो भयानकता है वह यह है कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि तराई भावर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

में जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है चाहे किसी को एनाय करने के लिये किया हो या न किया हो, या किसी को इन्सल्ट करने के लिये किया हो या न किया हो अथवा किसी को इन्टीमिडेट करने के लिये किया हो या न किया हो, लेकिन अगर कब्जा कर लिया है तो वह मुजरिम ४४१ का हो जायगा और उस को ४४७ ताजीरात हिन्द के अन्दर सजा हो जायगी। अब इन तीनों में किसी एक में भी अगर आता है तो वह जुर्म का भागी हो जायगा। चाहे इन तीनों में से एक की भी उस की मंशा न रही हो तो भी इस जुर्म के करने का भागी समझा जायगा।

अब इसमें शब्द "अनअथराइज्ड पजेशन" भी आया है। इस बारे में जितने कानून मुझे मिल सके मैंने देखने की कोशिश की है, लेकिन मुझे कहीं भी इस अनअथराइज्ड पजेशन के बारे में नहीं मिला। हां, एक जगह मिला है और वह है हमारा रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन ऐक्ट। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह किन परिस्थितियों में लाया गया है। वह एक इमर्जेंसी ऐक्ट है। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो मौजदा सरकार है वह लोगों के लिये घरों की कोई व्यवस्था नहीं कर सकी। साल ब साल इमर्जेंसी के नाम पर कानून आते हैं, चाहे प्रान्तीय सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो, हर साल किसी बिल की लाइफ़ को बढ़ाने की बात इमर्जेंसी कर के रख दी जाती है। लेकिन ऐसी असाधारण परिस्थितियों में जो कानून आया है, उसमें जरूर बेदखली हो सकती है। टेनेन्सी ऐक्ट तो अब रिपील हो गया है, लेकिन अगर कोई टुकड़ा हो, तो जैसा कि ज़मींदारी एबालिशन ऐक्ट में, किसी आदमी के खिलाफ़, यदि वह एक्जीक्यूट हो गया है और उससे कोई जमीन या जायदाद खाली कराने की बात हो, तो वह खाली नहीं करा सकते हैं, तभी इस ४४७ की जिम्मेदारी डाली गई। बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियां आई हैं, लेकिन यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट सरकार ने रिपील कर दिया है, लेकिन जो मकानों की समस्या के सम्बन्ध में सरकार इमर्जेन्सी की बात को लेकर, विधेयक के समय बढ़ाने की बात करती रहती है, यह कहां तक ठीक है ? जिसने अपने मकान पर रुपया लगाया हो, उसको ठीक किरायेदार नहीं मिलता है। सरकार यह भी नहीं देखती है कि जिसका मकान है, उसके यहां जो किरायेदार हैं, वह उसकी पसन्द का है या नहीं। अगर कोई इमर्जेन्सी की बात हो और उसके लिये सरकार यहां पर कानून लाती, तब तो हमारी तरफ से कोई एतराज़ की बात न होती। तराई भावर के लिये तो इस तरह की यदि कोई बात होती है तो ठीक है, लेकिन पेनल कोड में यदि इस तरह की बात लायी जाती है, तो इससे जनता का अहित होगा। इसमें है कि टू इन्टीमिडेट, इनसल्ट और एनाय। तो इसमें नीयत साफ़ नहीं है। यह क्रिमिनल ला का पहला पिलर है और पहले ही पैराग्राफ में इस तरह के शब्द लिखे हुये हैं।

श्रीमन्, १८६० की बात है, लार्ड मैकाले ने इन्डियन पैनल कोड ड्राफ्ट किया था। आज तक उसमें एक भी सुर्खी नहीं लगी। श्रीमन्, आप हंस रहे हैं, लेकिन मैं जो उस की तारीफ कर रहा हूं, तो उसकी इस बात की तारीफ करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। 'ए थिंग आफ ब्यूटी इज़ ए जाय फार एवर (A thing of beauty is a joy for ever)"। हयूनिवर्सल ट्रुथ है। आज क्या है, यहां से सुबह विधेयक पास हुए और शाम को हाई कोर्ट में अल्ट्रा वायर्स करार हो जाते हैं। उसमें ऐसे ऐसे लेकुना और कमियां रह जाती हैं कि कानून की मंशा ही पूरी नहीं होती। उसमें कई पैबन्द लग जाते हैं। जैसे कि सेल्स टैक्स बिल है, १८, १९ बार संशोधित हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस ऐक्ट के अंग विक्षप्त करके वह इसे बदसूरत न बनायें। इसमें बदसूरती यही है कि उन्होंने "अनअथाराइज्ड पजेसन" रख दिया। मेरा कहना है कि अनअथाराइज्ड पजेशन जो है, ये बड़े व्यापक शब्द हैं और इनका अर्थ बड़ा व्यापक हो सकता है।

श्रीमन्, पुराने का जो पहला सेक्शन है और उसमें जिस तरह से रखा गया है, उसकी तरफ मैं आप की आज्ञा से, थोड़ा सा इशारा कर देना चाहता हूं। जब इस धारा पर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि इसके इन्टरप्रेटेशन को लिमिट करना पड़ेगा। इसकी जो परिभाषा है,

उसको एक दायरे में लाना पड़ेगा। श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से थोड़ा-सा अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूं—

The authors of Code say : "We have given the name of trespass to every usurpation, however slight, of dominion over property. We do not propose to make trespass, as such, an offence, except when it is committed in order to the commission of some offence injurious to some person interested in the property on which the trespass is committed, or for the purpose of causing annoyance to such a person. Even then we propose to visit it with a light punishment, unless it be attended with aggravating circumstances.

इसके बाद थोड़ा-सा और है, एक जज साहब थे, उन्होंने अपनी रूलिंग में कहा है—

"The unsually vague and elastic language used in section 441, which, if not closely scrutinized and strictly interpreted, might lead to its application to sets of facts or circumstances, for which it was never intended by the Legislative authorities who framed it. For it is easy enough to conceive multitu-dinous cases, some approaching the verge of absurditiy,

श्रीमन्, सरकार इसको व्यापक बना रही है, । मैं तो समझता हूं कि इसको बहुत ही एबसर्ड बना रही है। माननीय मंत्री जी को इसको फिर से देखने की चेष्टा करनी चाहिए।

that would fall within the letter, not the spirit, of the section, in which no one could for a moment consider fit subject even for civil proceedings, much less for a prosecution in a criminal Court. To lay down any rule, as to the extent to which its operations should be limited, is scarcely possible, but it is plain that its scope must be confined within those bounds that common sense and sound reason dictate".

मैं तो समझता हूं कि इसकी परिभाषा काफ़ी व्यापक है, अब इसको और व्यापक नहीं बनाना चाहिए। जो चीज़ इसके दायरे में नहीं आती है, उसको माननीय मंत्री जी क्यों लाने की कोशिश करते हैं। जो इस की पुरानी परिभाषा है, वही काफ़ी है। इसका दायरा पहले से ही काफ़ी व्यापक है। यदि इसके दायरे को संकुचित नहीं किया तो अनर्थ हो जायेगा। माननीय मंत्री जी को इस बात पर फिर से गौर करना चाहिए और इसको देखना चाहिए।

(श्री चरणसिंह जी अपने स्थान से उठ कर बाहर जाने लगे।)

श्रीमन्, यह दिलचस्पी है।

(श्री चरणसिंह जी अपने स्थान पर लौट आये।)

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, आप की रूलिंग के मुताबिक कोई भी आफ़िसर इस हाउस के अन्दर नहीं आ सकता है। बीच में कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि टेक्निकल मशविरे की जरूरत पड़ती है, इसलिये मैं दो मिनट के लिए बाहर जाना चाहता हूं और अपने स्थान पर श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल जी को नामजद करता हूं।

(श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल ने श्री चरणसिंह का स्थान ग्रहण किया और श्री चरणसिंह जी सदन के बाहर चले गये।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—इसके अन्दर सारा विवरण है:—

"Or, having entered into or upon such property, whether before or after the coming into force of Criminal Laws (U. P. Amendment) Act, 1961."

यानी कोई आदमी किसी दूसरे की सम्पत्ति में प्रवेश कर ले, चाहे आज से पहले हो या बाद हो, यानी जो आदमी पहले प्रवेश कर चुका है उसको भी हम आज सजा दे सकते हैं। पहले कब-एक दिन पहले, एक साल पहले, पचास साल पहले, कोई भी समय, इससे पहले; यानी अगर किसी आदमी ने

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

१८९० या १९२५ में किसी के घर पर कब्जा कर लिया है तो वह तब से अनअथराइज्ड पजेशन में रह रहा है ।

तमाशा आगे क्या है—

"With the intention of taking unauthorised or making unauthorised use of such property".

यानी अनअथराइज्ड पजेशन करने के लिए या उस का अनअथराइज्ड प्रयोग करने के लिए । अनअथराइज्ड क्या चीज है यह पता नहीं लग सका हमको । फिर मैंने कोशिश की अगर अनअथराइज्ड नहीं तो अथराइज्ड तो मिले । बड़ी मुश्किल से अथारिटी की परिभाषा मिली । व्हार्टन ने कहा है—

"A legal power to do an act given by one man to another".

उसके बाद एक जगह अथराइज की डेफिनीशन मिली—

"To sanction their being done by the servant or agent of the person affecting to give the authority on his behalf".

यह दो परिभाषाएं मिलीं । इसमें "अन" जोड़ना है । अथराइज्ड बाई हूम ? शायद मंत्री यहीं कहेंगे, बाई ला । क्रिमिनल प्रोसीजर में यह बराबर माना गया है, मान लो कि मेरी कोई सम्पत्ति है, खेवट और कागजात में दर्ज है, लेकिन मैंने उसको किसी दूसरे को बंधक रखी है, गिरवीं रखी है, या टेनेंट की हैसियत से उसके कब्जे में दे दी, अगर मैं भी उसमें प्रवेश करूं तो वह अनअथराइज्ड हो सकता है । ज्यादा से ज्यादा शायद मंत्री जी इसका यह अर्थ निकाल सकें । लेकिन श्रीमन्, हमारे कानून में यह है कि तीन साल के बाद मालिक का कब्जा खत्म हो जाता था, अगर उसकी जमीन पर दूसरे का कब्जा है । अब शायद सरकार ने यह कर दिया है कि १२ साल के बाद राइट्स एक्सटिंग्युश होंगे । टेनेंसी ला में यह माना गया है कि अगर कोई आदमी बिना मालिक की इजाजत से किसी जायदाद पर कब्जा कर लेता है तो वह ऐडवर्स पजेशन माना जाता है । इस कानून की रू से १२ साल तक कानून पराई जायदाद पर कब्जा मानता है । मैं नैतिकता की बात नहीं कहता । मैं तो हार्ड फैक्ट्स और जैसा कानून है, उसको सदन के सामने रखना चाहता हूं । बारह साल के बाहर गया कि वह बेदखल हुआ । चाहे मारा गया हो या धमकाया , कोई भी कारण हो, इतना होने के बावजूद उसको दीवानी अदालत में रेमेडी नहीं मिल सकती, वह जमीन को वापस नहीं पा सकता । यह कानून सरकारी जमीन तक लिमिटेड नहीं है । यह व्यापक कानून है । इसको और ज्यादा व्यापक बनाया गया । सिविल कोर्ट जो रेमेडी नहीं दे सकती, उसको क्रिमिनल कोर्ट में मिल जायगी । यानी जिसका सिविल कोर्ट में एडवर्स पजेशन हो गया वह कल को आकर फिर यह कह सकता है और ऐसे विवाद अनेक खड़े हो जायेंगे । अब इस पर निर्णय क्या होगा यह तो आदरणीय हाईकोर्ट जाने, लेकिन बहुत बड़ी गुंजायश झगड़े की इसमें खड़ी हो जायगी । तो माननीय मंत्री जी इसको देख लें और किसी एक कानून विशेष में चाहे यह कर दें, लेकिन इसको इतना व्यापक न बनायें ।

एक उदाहरण मैं आपको दूं—सी० आर० पी० सी० वगैरह में जो अमेंडमेंट्स होते हैं वह चूंकि कान्करेंट लिस्ट में है तो उसमें यहां भी संशोधन हो सकता है और लोक सभा में भी हो सकता है । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि टु अर इज ह्यमन । (to err is human) सही बात है गलती सब कर सकते हैं । वह गवाहों की तलबी वाला जो अमेंडमेंट इसमें आया है उसमें गवाह तलब हो नहीं सकते । एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने यह कहा कि इसमें तो गवाह तलब हो नहीं सकते । तो यह एक गलती उसमें हो गई । १४५ दफा में जब कभी किसी प्रापर्टी के बारे में झगड़ा हो जाता है तो सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के यहां यदि वह दरख्वास्त दे उनको तलब करने के लिए या सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट स्युओ मोटो (Suo moto) खुद तलब कर सकता है दोनों तरफ के गवाहान को इस तरह से पहले यह होता था कि दोनों तरफ के गवाह पेश होते थे, उनकी गवाही होती थी । उसके बाद उनकी वेरासिटी को तय करने के लिए, कौन सच्चा

है कौन झूठा है दूसरी पार्टी को या उसके वकील को जिरह करने का पूरा मौका होता था। इससे झूठे गवाहों की कलई खुल जाती थी। अब क्या हो गया उन्होंने एक एफिडेविट दे दिया और उसी से काम चल गया। अगर इसमें इस निर्णय पर वह न आ सकें कि किसका कब्जा है तो फिर सिविल कोर्ट को उसे भेजेंगे।

कहा गया कि हम समय बचाना चाहते हैं। इसलिए एफिडेविट देकर काम चला लेते हैं और गवाहों को तलब नहीं करना चाहते। लेकिन होगा क्या कि वहां यदि फैसला नहीं हुआ कि किसका कब्जा है तो सिविल कोर्ट को उसे भेजेंगे। वहां पर दोनों पार्टियों को गवाही देने का और जिरह करने का मौका मिलेगा। उसके बाद वह उस पर अपना वर्डिक्ट देंगे और वर्डिक्ट देकर वहीं उसे वापस भेजेंगे यानी पुनर्मूषिको भव। यह क्या है? आजकल दफा १४५ के अन्दर जो इतने झगड़े होते हैं यह सब इसी एफीडेविट की बेसिस पर जो कि गलत होते हैं। उसमें यह तलाश नहीं हो पाती कि किसका कब्जा है किसका नहीं। इसी तरह से और भी कई गड़बड़ियां होती हैं। यही कारण है कि मैं इसकी परिधि बढ़ाना चाहता था क्योंकि एक तो दफा १४५ में तरमीम लाना जरूरी है जो बगैर परिधि बढ़ाये नहीं हो सकता।

इसी तरह से सेशन ट्रायल जिसमें होता है, दफा २०९, जिसमें मैजिस्ट्रेट कमिट करते हैं सेशन कोर्ट में, उसमें क्या तमाशा आजकल हो गया है? हाई कोर्ट ने इसके बारे में कहा है—

"The committing magistrate is not to be a mere post-box. He should weigh the case."

लेकिन वहां पर क्या हो गया है कि मैजिस्ट्रेट लोग कह देते हैं कि हम तो कमिट किये देते हैं आगे दिस इज नन आफ माई बिजनेस (This is none of my business)। दी ला हैज चेन्ज्ड (The law has changed)। वह हमसे कहते हैं कि यह हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम देखें कि प्राइमाफेसी केस बनता है या नहीं। तो माननीय मंत्री जी इसको भी देखें। ऐसे मुकदमे भी अब सेशन जजेज के यहां चले जाने लगे हैं जो कि नीचे से ही तय हो जाने चाहिए थे। इसलिए माननीय मंत्री जी इसकी परिधि बढ़ा कर इन दोनों चीजों को उसमें लायें और उसको ठीक करें। ४४१ जिस तरह से बढ़ाना चाहिए था, उस तरह से नहीं बढ़ाया गया है। वह गलत है। प्रवर समिति में इसको जाने दें क्योंकि यहां तो एक डिबेटिंग मूड होता है। कुछ हमने कहा तो सरकारी बेंचेज वाले यही समझते हैं कि अब तो हमारी प्रेस्टिज गई। इस प्रकार की भावना यहां रहती है। हमको देखकर दुख होता है। हमको यहां पर पांच साल हो गये और हमने न मालूम कितने प्रस्ताव सरकार के सामने रखे, लेकिन एक भी हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। मैं तो कहता हूं कि सरकार की यह राय हो गई है कि विरोधी पक्ष की ओर से जो भी प्रस्ताव आयेगा उसको स्वीकार नहीं किया जायगा। चाहे वह हाईकोर्ट से सेट असाइड हो जाय और सरकार को दोबारा उस विधेयक में संशोधन करना पड़े। इसलिये हमारा निवेदन यह है कि इसको इतना व्यापक न बनाइये जिससे बड़ा अनर्थ हो जाय और जो आदमी २० वर्ष से काबिज है वह बेदखल हो जाय, जो कि सरकार की मंशा नहीं है। इसलिये मैं प्रवर समिति में जाने का प्रस्ताव करता हूं और मुझे आशा है कि मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—श्रीमन्, माननीय न्याय मंत्री ने एक विधेयक को पेश करके फौजदारी के कानून की दो बातों को तरमीम करना चाहा है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि तराई भावर के किसी केस में आनरेबिल हाईकोर्ट ने यह फरमाया कि यह ट्रैसपास की परिभाषा में नहीं आता, इसलिये इस तरमीम की आवश्यकता पड़ गई।

दूसरी बात यह फरमाई कि फौजदारी कानून की दफा २५१–ए में हाई कोर्ट ने यह रूलिंग दे दी कि पुलिस को चालानी मुकदमे में मजिस्ट्रेट गवाहों को तलब नहीं करेगा। इस वजह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

दूसरी तरमीम की आवश्यकता पड़ गई। अब मैं अपनी पहली बात के सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में आप जो संशोधन ला रहे हैं उससे दिक्कत कम नहीं होगी। जब यह विधेयक सामने आया तो इसको देख कर मुझे ऐसा लगता है कि वही दिक्कत समन केसेज में भी सामने आयेगी। जिस प्रकार की रूलिंग हाईकोर्ट ने दी....

श्री चरणसिंह—मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मैंने जो यह कहा कि हाईकोर्ट ने ४४१ में कोई ऐसी रूलिंग दी, अगर मैंने ऐसा कहा तो मैंने ठीक नहीं कहा। असल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक ऐक्ट था इवेकुएशन आफ गवर्नमेंट प्रापर्टी ऐन्ड लैन्ड्स ऐक्ट। उसके सिलसिले में वह रूलिंग थी। उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने यह तय किया कि ४४१ आई० पी० सी० में अमेंडमेंट कर दिया जाय। तो वह अब की नई रूलिंग नहीं है। पुरानी रूलिंग है। उसकी मंशा साफ है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—मैं यह अर्ज कर रहा था कि २५१-ए फौजदारी कानून के सिलसिले में जो रूलिंग हुई, वह वारन्ट केसेज की बाबत हाईकोर्ट ने रूलिंग दी। गवर्नमेंट के मामलों में पुलिस प्रासिक्यूशन को बड़ी दिक्कत इस बात की होती है कि गवाहों को वह कैसे पेश करे। मैं समझता हूं यही दिक्कत समन केसेज के सिलसिले में भी आयेगी। मैं समझता हूं उसको माननीय मंत्री जी देखने की कृपा करें कि जो वारन्ट केसेज के लिये पहले प्राविजन था वही प्राविजन समन केसेज के लिये हो तो सामने दिक्कत आयेगी या नहीं। समन केसेज के लिये यदि दिक्कत आयेगी तो माननीय मंत्री जी दूसरा बिल ले आयेंगे और कहेंगे कि अब २४४ में संशोधन कर दिया जाय। फिर कहेंगे कि १०७, १०९ और ११० में इस बात का प्राविजन नहीं है कि किस तरह से प्रासीक्यूशन के विटनेस आयेंगे तो वहां के लिये भी उसी सिद्धान्त को मानना चाहिये।

आनरेबिल हाईकोर्ट ने २५१-ए की बाबत जो अपनी रूलिंग दी उसकी ओर माननीय मंत्री जी ने जरा ध्यान दिया होता तो वे देखते कि फौजदारी के वारन्ट केसेज में वे सब जो दिक्कतें सामने आती ह वह सब दिक्कतें समन केसेज में भी सामने आयेंगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस बात को फिर देख लिया जाय। यह डिफिकल्टी सरकार के सामने फिर दोबारा आने को है।

जहां तक इंडियन पेनल कोड के संशोधन का सवाल है उसके सम्बन्ध में मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि ला ने दो तरह से ट्रेसपास माने हैं। एक क्रिमिनल ट्रेसपास है और दूसरा सिविल। क्रिमिनल ट्रेसपास अदालत फौजदारी में जायगा और उसका ट्रायल मैजिस्ट्रेट के सामने होता है और उसमें सजा होती है। इस दफा ४४१ में तरमीम करके आप सिविल ट्रेसपास को खत्म कर देंगे। वह अपनी जगह पर एक अलग चीज है। जहां किसी को एनाय करने का इरादा नहीं होता, जहां फ र्स का सवाल नहीं होता, वहां मामला सिविल कोर्ट में या रेवेन्यू कोर्ट में जाता है। जैसे किसी आदमी ने किसी के खेत पर क जा कर लिया तो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के मातहत वह मुकदमा दायर करेगा और अदालत से फैसला होने पर अपने खेत पर कब्जा पा जायगा। किसी मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो अदालत दीवानी में जायगा और अपना कब्जा लेगा। इसमें अदालत फौजदारी में जाने का मौका उसे नहीं होता। लेकिन अगर आप सिविल ट्रेसपास को समाप्त करके उसे फौजदारी ट्रेसपास कर देंगे तो एक बड़ा खतरा पैदा हो जायगा और वह खतरा यह होगा कि किसी चीज का टाइटिल तय करना अदालत दीवानी या माल का काम है। वह फौजदारी अदालत में नहीं तय हो सकेंगे। नतीजा यह होगा कि फौजदारी अदालत में निपटने के बाद लोगों को अदालत दीवानी में जाना पड़ेगा।

इसके अलावा एक बात और है। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रदेश की सरकार को जहां तक हो सके क्रिमिनल ला कम से कम बनाने चाहिये। जितने कम क्रिमिनल ला होंगे उतना ही इस प्रदेश के लिये अच्छा होगा। सिद्धान्त यह है कि जिस देश में जितने ज्यादा कानून होंगे

वह देश उतना ही खराब होता है—मोर ला मोर करप्ट दि स्टेट (More law more corupt the State)। यह इतने ज्यादा कानून बनाना इस बात को सिद्ध करता है कि इस उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी है कि इसे बिना फौजदारी के कानून के गवर्न नहीं किया जा सकता। इसका एक दूसरा नतीजा और होगा। जब ४४१ की परिभाषा इस प्रकार बदल जायगी तो फ़ारेस्ट विभाग किसी कोर्ट में नहीं जायगा और जो लोग उसकी जमीन जोते हुए हैं उनको एक नोटिस देगा, ४४१ का एक इस्तगासा होगा और उस आदमी को जेल हो जायगी। इसी तरह से ग्राम समाज के मामलात में भी दफा ११५-सी के लिये कोई तहसीलदार के यहां नहीं जायगा। अब बेदखली के लिये कोई डिप्टी कलेक्टर या एस० डी० ओ० के यहां नहीं जायगा और अगर यह अधिकार सरकार अपने हाथ में ले लेगी तो लोगों के हकों पर बड़ा कुठाराघात होगा।

श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय विष्ट जी के संशोधन की ताईद इसलिये करना चाहता हूं कि आज से १०० वर्ष पहले लार्ड मैकाले ने आई० पी० सी० बनाया और लगभग उसी समय सी० आर० पी० सी० बना। वह कानून एक फारेनर ने एक गुलाम देश के लोगों के लिये बनाया था और उस समय उन्होंने यह कयास भी नहीं किया था कि यह कानून एक फ्री कंट्री में अप्लाई किया जायगा। मैं यह समझता था कि देश की आजादी के बाद, कांग्रेस सरकार का मंत्रिमंडल जब बना तो उसके बाद वह जरूर इस बात को सोचेंग कि एक ला कमीशन देश के या प्रदेश के स्तर पर बैठे और एक फ्री कंट्री के लिये जो जुरिस्प्रूडेंस के सिद्धान्त ह उनको अप्लाई करते हुए, उनको मान्यता देते हुए, आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० में जरूरी तरमीमें की जायं। अगर आप ताजीरात हिन्द पर गौर करें तो आपको आश्चर्य होगा। सारा का सारा पीनल कोड प्रापरटी की रक्षा के लिये बनाया गया है, पर्सनल की रक्षा के लिये नहीं बनाया गया। हमारे संविधान में डिग्निटी आफ इंडिविजुअल की बड़ी भारी और पवित्र बात कही गयी है, लेकिन उसे आप पीनल कोड की कसौटी पर कस कर देखें कि वह क्या कहती है और देखें कि उसमें देश के संविधान की डिग्निटी कहां चली जाती है। श्रीमन्, उदाहरणार्थ अगर किसी ने किसी की पेन्सिल चुरा ली तो उस पर ३७९ का मुकदमा कायम हो जायेगा। चोरी के जुर्म में वह काग्नीजेबिल आफेन्स समझा जायेगा और पुलिस उसमें इन्टरवीन करेगी, परन्तु अगर किसी आदमी ने किसी के १० लाठी मार दीं तो उससे स्टेट का कोई संबंध नहीं होगा। वह अगर थाने में जायेगा तो थानेदार उससे कह देगा कि यह तो गर-दखलन्दाजी केस है, तुम जाओ और इस्तगासा दायर करो। तो इस तरह का पेनल कोड बना हुआ है जिससे डिग्निटी आफ इन्डीविजुअल का प्रोटेक्शन नहीं होता है, सम्पत्ति का प्रोटक्शन ही हो पाता है। अगर देश में सही मानी में समाजवाद को लाना है तो हमें डिग्नटी आफ इन्डविजुअल का प्रोटक्शन करना होगा....

श्री चरणसिंह—मैं बीच ही में एक बात कहना चाहता हूं। जो कंट्री अपने को सब से ज्यादा सोशलिस्ट कन्ट्री मानते हैं उन्होंने अपने यहां चोरी करने पर फांसी की सजा रखी है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—माननीय चरणसिंह जी भले ही दूसरे देशों की तरफ देंखे। अमेरिका और रूस की नकल करें। किन्तु हमें तो अपने संविधान से ही गाइड होना है। हिन्दुस्तान के संविधान में डिग्नटी आफ इन्डिविजुअल की जो बात है उसी को हमें देखना है। यहां प्रश्न यह नहीं है कि फांसी की सजा होनी चाहिये या नहीं। यह तो सारे का सारा कन्सेप्शन का सवाल है। आप अगर धारा ३२५ को ले लें। उसमें अगर किसी आदमी की हड्डी टूट जाय, तब भी स्टेट की पुलिस इन्टरवीन नहीं करेगी। पुलिस उस पर मुकदमा नहीं चला सकती। उस व्यक्ति को खुद मुकदमा चलाना होता है। अगर कोई आदमी किसी की स्त्री को चुरा ले जाये और वह थाने में रिपोर्ट लिखाये तो यह ४९८ का जुर्म हुआ, मगर इसमें भी पुलिस इन्टरवीन नहीं करेगी। मगर अगर किसी की मुर्गी चोरी चली जाय तो वह काग्नी-जेबिल आफेन्स होगा और पुलिस उसमें इन्टरवीन करेगी.....

श्री चरणसिंह---मगर वह मुर्गी ५० रुपये की कीमत की होनी चाहिये ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---जी नहीं, आपको वकालत छोड़े हुये काफी समय हो गया । अगर एक रुपये की भी मुर्गी होगी तो वह ३७९ का केस हो जायेगा और उसमें स्टेट इन्टरवीन करेगी । यही नहीं, आप दफा ४२८ को देखें, अगर १० रुपये का या उससे ज्यादा कीमत का जानवर होगा तो स्टेट इन्टरवीन करेगी । दफा ४२९ की जो मिसिचिफ है उसको भी आप देखें । अगर कोई जानवर ५० रुपये का है और उसकी किसी ने टांग तोड़ दी है तो उसमें भी स्टेट इन्टरवीन करेगी, मगर इस सदन के किसी आदरणीय सदस्य की टांग कोई तोड़ दे तो स्टेट इन्टरवीन नहीं कर सकती । यह सब आज जो मौजूदा पेनल कोड बना हुआ है उसके फलस्वरूप हो रहा है । आज जब हम इस सदन में इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं तो हमें इन सब बातों पर भी विचार करना चाहिये । आज इस पेनल कोड के कारण हजारों आदमी पीटे जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले की जिन्दगी का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इन बातों की तरफ भी ध्यान दे और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना हुआ है उसमें संशोधन करे । इसी तरह से ४४१ का क्यों अमेंडमेन्ट हुआ ? क्योंकि प्रापर्टी इनवाल्व्ड है । ट्रेसपास का आफेंस संपत्ति वालों की चीज है, इसलिये यह अमेंडमेंट किया गया है ।

एक बात और कहूंगा । एक छोटा कत्ल का ३०४ का मुकदमा होता है जिसमें आदमी मर जाता है, लेकिन अगर उसका पनिशमेंट देखें तो यह दिया हुआ है कि महज फाइन भी हो सकता है । ३०२ में फांसी या काला पानी और ३०४ में ट्रांस्पोर्टशन, १० वर्ष की सजा या जुर्माना । इसलिये लार्ड मैकाले ने ठीक सोचा था कि हिन्दुस्तान के रहने वालों का कोई मूल्य नहीं । अगर एक आदमी मार दिया जाय तो महज फाइन देकर भी सुबकदोशी हासिल की जा सकती है । तो जहां माननीय मंत्री जी फरमाते हैं कि दूसरे देशों में चोरी के जुर्म में फांसी की सजा हुई, वहां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की अराजकता को समाप्त करने के लिये, यहां डिग्निटी आफ इंडिविजुवल को इस्टैबलिश करने के लिये ३२३ में १० साल की सजा दे दीजिये, उसको कागनिजिबिल बना दीजिये जिससे गरीब आदमी जो पीटा जा रहा है, लेकिन पैसे की कमी के कारण अदालत में नहीं जा सकता, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पीनल कोड को इन बातों को दृष्टि में रखकर तरमीम किया जायगा, तो उत्तर प्रदेश के ७ करोड़ आदमी निश्चय ही समझेंगे कि हम इस प्रदेश में रह सकते हैं, जो अतताई है वह हमारे शरीर को नहीं छू सकता । जब तक ऐसी तरमीम नहीं होगी तब तक प्लानिंग के कितने ही सबजबाग आप लोगों को दिखाएं, अगर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है तो भले ही आप ४ नहरें या २० सड़कें निकाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा । जो यहां के नागरिक के मौलिक अधिकार हैं, शरीर रक्षा के अधिकार हैं वह तो कांकरेंट लिस्ट में हैं, सरकार उसमें अमेंडमेंट भी लाई है । माननीय न्याय मंत्री और गृह मंत्री क्यों नहीं इस बारे में अगुआ बनते हैं ?

यहां पर ३०९ तो जुर्म है, यानी कोई आदमी खुदकशी करके मरना चाहे तो नहीं मरने देंगे, लेकिन अगर भूख से मर जाय, बिला कपड़े के मर जाय, बिला इलाज के मर जाय तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं । तो यह जो ढकोसला कानून और सुरक्षा का है यह सब बेकार है । गोविन्द सिंह जी ने कहा कि लार्ड मैकाले बड़ा विद्वान था, लेकिन आपको याद होना चाहिये कि वह एक फारिनर था । हम पर शासन करने आया था और यहां ऐसी व्यवस्था लाना चाहता था जिसमें इनसान को इनसान नहीं समझा जाता था । इसलिये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पीनल कोड को इस तरह से फ्रेम करने की जरूरत है जिससे प्रत्येक व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, सबको प्रोटेक्शन मिले, उसको कोई फूल की छड़ी भी मारे तब भी स्टेट इंटरवीन करे ।

रोज कहा जाता है कि हत्याएं हो रही हैं, अराजकता बढ़ रही है। गरीब आदमी पिटता है, लेकिन अदालत में जाता नहीं है खर्च की वजह से। स्टेट उसकी मदद नहीं करती है। तो इस तरह से एक सेंस आफ फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। तब फिर राइयट्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं और जघन्य अपराध होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के इंडविजुवल को, सिटीजन को प्रोटेक्शन मिले तो मैं निश्चित मत का हूं कि जितने आफेंसेज की संख्या बढ़ती जा रही है ये बिलकुल समाप्त हो जायेंगे। इस सिलसिले में जो अमेंडमेंट पेश है माननीय गोविन्द सिंह जी का, उसका मैं स्वागत करता हूं और माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह फंडामेंटली सही सोचते हैं। और इस दृष्टिकोण से पेनल ला और क्रिमिनल ला अमेंटमेंट को देखें।

इसके अतिरिक्त एक बात और कह देना चाहता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराएं १०७,१०८ १०९ और ११० को अविलम्ब समाप्त कर दिया जाना चाहिये। क्योंकि हाउस का प्रत्येक सदस्य जानता है, प्रत्येक मजिस्ट्रेट जानता है, पुलिस का आफीसर जानता है कि दफा १०९ के ९९ प्रतिशत केसेज झूंठे होते हैं। फिर एक ओर तो हम आदर्श की बातें करते हैं और दूसरी ओर हम ऐसी व्यवस्था को जारी रखते हैं जिसमें अदालत में जाकर स्टेट को, मुल्जिम को, और सिटीजन को झूंठ बोलना पड़ता है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि वह ईमानदारी पर कलंक है। यह भी इन्डिविजुअल की डिग्निटी के मातहत बात आती है कि किस तरीके से उसको सजा कराई जाती है।

मैं इस बात में कोई एतराज नहीं करता कि किस जुर्म में कितनी सजा कराई जाय, ४ साल की हो या ८ साल की हो, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि पुलिस के हाथ में, या एक्जीक्यूटिव के हाथ में जनता के कल्याण के नाम पर कोई बड़ी भारी ताकत दे दी जाय।

इसके अलावा एक बात और, कि आजकल के युग में और परिस्थितियों में इस आनरेरी मजिस्ट्रेटों की प्रथा की कोई आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन आया है वे उसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा तो नहीं थी कि इस समय मैं हाउस का समय लूं, लेकिन जब मैंने माननीय गोविन्द नारायण तिवारी जी के तर्कों को सुना तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं भी कुछ बोलूं। उनका भाषण सारी निर्मूल शंकाओं से भरा हुआ था। जो बातें क्रिमिनल ट्रेसपास की परिभाषा की परिधि में नहीं भी आती थीं उनको भी उन्होंने एक कुशल क्रिमिनल लाइयर की भांति सदन के सम्मुख रख दिया। इस सिलसिले में उन्होंने यह भी कह दिया कि धारा १०७, १०८, १०९ और ११० को भी निकाल दिया जाय। जिन धाराओं से केवल यह पता चलता है कि कौन-सा व्यक्ति किस जाति का है उनको आप जड़मूल से ही निकालना चाहते हैं। एक समय आयेगा जब हमारे मंत्री जी की दृष्टि उन पर पड़ेगी और वे उनको निकालने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु इस समय वह प्रश्न तो हमारे सामने विचारणीय है ही नहीं।

इतना मैं माननीय मंत्री जी से अवश्य निवेदन करूंगा कि क्रिमिनल ट्रेसपास की जो परिभाषा की गयी है उसके अन्तर्गत नियम बनाते समय कुछ ठीक कर लें वर्ना ऐसे शब्दों को रखने से कुछ कठिनाई पैदा हो सकती है। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है—"by notice duly served in writing" ये शब्द कुछ भ्रामक हैं। इसमें मालूम नहीं पड़ता कि मंत्री जी का क्या अभिप्राय है। उसके अन्तर्गत नोटिस देकर सर्विस होगी या किसी और तरीके से उस पर नोटिस सर्व करने का अभिप्राय है। यह कोई डाकुमेंट तो होता नहीं है। क्रिमिनल केस में एक-एक शब्द को लेकर तिल का ताड़ किया जा सकता है। ऐसे शब्द हैं जिनकी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन जहां ला डिपार्टमेंट हैं वहां उस ला डिपार्टमेंट के अनुसार उसकी पूर्ति करनी चाहिये।

[श्री रामलखन मिश्र]

माननीय गोविन्दनारायण तिवारी जी ने सम्पत्ति की रक्षा के सम्बन्ध में बहुत व्याख्यान दे डाला। मैं उनका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि केवल सम्पत्ति की रक्षा के लिये ही यह संशोधन आवश्यक था जिसके लिये यह इस सदन में लाया गया है। किसी प्रकार के निर्मूल भ्रम को सामने रख कर व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिये। एक बात आवश्यक थी। बराबर हाईकोर्ट की रूलिंग्स देखने के पश्चात् या क्रिमिनल डिसिजन्स जितने थे, उनका जो ट्रेंड था, उनको देखने के पश्चात् यह आवश्यकता महसूस हुई कि जो कमियां हैं उनकी पूर्ति की जाय और उसी अभिप्राय से माननीय मंत्री जी इस विधेयक को इस सदन में लाये हैं। मैं समझता हूं कि बहुत विस्तार से इसमें सदन को जाने की आवयश्कता नहीं है लेकिन इस संशोधन को पढ़ने के पश्चात् प्रत्येक माननीय सदस्य इस निर्णय पर आयेगा कि यह विधेयक बहुत आवश्यक था, इसलिये उसको स्वीकार कर लेना चाहिये और इसके ऊपर विचार करना चाहिये।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्याय मंत्री जी से सम्बन्ध रखने वाला यह विधेयक जब पुलिस मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया तो मैंने पहले तो यही सोचा कि शायद न्याय मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं और क्योंकि जिस तरह से कोई भी मंत्री किसी विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है, इसलिये पुलिस मंत्री जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। परन्तु उनका भाषण सुनने के उपरान्त और जो कुछ भी संशोधन में लिखा है उसके पढ़ने के उपरान्त, मैं यह समझता हूं कि वस्तुतः पुलिस मंत्री को ही यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये था।

पुलिस के असीमित अधिकार जो भारतीय दंड संहिता और दूसरे विधेयकों में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गये हैं, मैं समझता हूं कि इस संशोधन के द्वारा और भी बहुत बड़ी मात्रा में उसके अधिकार बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अभी तक जो भी कोई गवाहियां पेश करनी होती हैं उनके पेश करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है और पुलिस आमतौर पर अपने कुछ निश्चित और तयशुदा गवाहों को पहले से ही रखती है और उन गवाहों को हर प्रकार के डिस्प्यूट में पेश कर देती है। अभी तक पुलिस को यह अधिकार नहीं था। सामान्यतया न्यायालय की जो प्रतिष्ठा और मर्यादा थी उसका वह अपने अधिकार से प्रयोग कर सकती है और मैं समझता हूं कि धारा २५१ में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उस संशोधन के द्वारा पुलिस को यह अधिकार बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाता है। मैं समझता हूं कि खास-तौर पर इस संशोधन द्वारा जो यह प्राविधान किया गया है, जो नियम रखे गये हैं कि यदि न्यायालय या मैजिस्ट्रेट स्वयं इस बात की आवश्यकता अनुभव न करे तो उसको अधिकार है कि वह लिखे कि अमुक गवाह या अमुक रेकर्ड या अमुक एविडेंस वह पेश करे या न करे और वह उपयोगी हो सकता है या अनुपयोगी हो सकता है। वह इस बात का उल्लेख करके तय करे कि गवाहों को पेश करने के लिये जो समन जारी किया जाता है, उसे रोका जाता है।

मैं समझता हूं कि भारतीय दंड संहिता या किसी भी देश के नियमों का निर्माण किया जाता है या जो कायदे कानून बनाये जाते हैं तो प्रत्येक देश की सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं को सामने रख कर ही दंड संहिता या दूसरे कानून बनाये जाते हैं। यह बड़े अचम्भे और दुख की बात है कि आज से सौ वर्ष पहले भारत की जो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति थी उसमें आज एक मौलिक अन्तर पैदा हो चुका है, गुलाम भारत आज स्वतन्त्र भारतवर्ष है और साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था और सम्पत्ति के प्रति भी यहां का दष्टिकोण जो आज से १०० वर्ष पहले था वह आज नहीं है लेकिन फिर भी उसी पुरानी दंड संहिता और नियमों के द्वारा आज भी काम चलाने की कोशिश की जाती है और उसमें कोई उचित संशोधन का प्रयत्न नहीं दिखाई देता। इसलिये हमें कहना पड़ता है कि जिस तरह से कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले समाज की व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिये दंड संहिता आदि कानूनों से काम लिया जाता था और इसके वास्ते उसमें पुलिस के अधिकार बढ़ाये गये थे और उसी के ऊपर तमाम कानूनों के ऊपर अमल कराने की तमाम जिम्मेदारी छोड़ी गई थी, वही चीज आज भी बदस्तूर जारी है और उसी चीज को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

मैं, अभी जो तिवारी जी सम्पत्ति के प्रति दृष्टिकोण की बात कह रहे थे उस संबंध में यह कहूंगा कि एक समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर होने वाला देश यदि सम्पत्ति और उस के रक्षण के प्रति कोई परिवर्तन नहीं लाता तो उस के माने यह हैं कि वह समाजवादी प्रगति की ओर कदम उठाना ही नहीं चाहता। अभी माननीय मंत्री जी ने एक आदर्श की बात कहते हुये कहा कि एक सोशलिस्ट देश में चोरी करने के अपराध में एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई। चोरी-चोरी में भी अन्तर होता है। यदि कोई व्यक्ति समाजवादी देश के रहस्यों या टेक्निकल रहस्यों के उद्घाटन से चोरी करता है तो समाजवादी व्यवस्था ही नहीं वरन् पूंजीवादी व्यवस्था भी उसको सजा देती है। अमरीका जैसे आदर्श देश में जिस प्रकार क्राइम्स की उपेक्षा की जाती है अगर साधारण अपराधों में वहां जिस प्रकार सजायें दी जाती हैं उस में वह सम्पत्ति के दृष्टकोण के प्रति सजग हैं। हमारे यहां महात्मा गांधी का मर्डर हुआ, उसमें किसी को शुभा नहीं था कि हत्या किसने की, किस उद्देश्य से हत्या की गई लेकिन फिर भी भारतीय दंड संहिता जबतक अपने अगंप्रत्यगों के साथ अपना पेट न भर ले वह अपराध के सम्बन्ध में अपना निर्णय नहीं कर सकते थे। कानून में जो इस प्रकार का दोष है कि बावजूद इसके कि साफ दिखाई देता है कि हत्या अमुक व्यक्ति ने की है लेकिन अगर थोड़ी भी सन्देह की झलक मिल जाती है तब भी अपराधी को दंड नहीं मिल सकता, और निरपराधी कि जिन्होंने चोरी, हत्या नहीं की वह फंस जाते हैं और सजा काटते हैं। अतः मैं समझता हूं कि इन संशोधनों पर प्रवर समिति में तफसील के साथ विचार होना चाहिये और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मुझे खेद है कि ४४१ धारा में जो संशोधन हुआ है जैसा कि विष्ट जी कह रहे थे कि आज से कुछ साल पहले यह उन्होंने नहीं बताया कि कितने वर्ष पहले २ वर्ष, १० वर्ष या २० वर्ष पहले भी जो इस प्रकार का पजेशन किया गया था वह भी इस कानून के बनने के बाद गैरकानूनी हो जायगा यानी उनको भी हटाया जायगा। कानून बनेगा बाद में और आचरण उसके ऊपर पहले से ही आरम्भ हो जायगा यह तर्कसंगत और उचित बात नहीं है। यह भारतीय संविधान के भी विरुद्ध है। इसलिये मैं संशोधन का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इस को प्रवर समिति में भेजकर भारतीय दंड संहिता के अन्दर आज की सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए संशोधन किया जाय।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के संबंध में जो श्री विष्ट जी ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, इस संबंध में जो भाषण हुए मैंने उनको बड़े गौर से सुना और माननीय तिवारी जी का भाषण मैंने बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश की। वह इस समय हाउस में नहीं हैं। उनकी गिनती एक अच्छे और होशियार क्रिमिनल लायर्स में होती है मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको यह भ्रम हुआ कि इस छोटे से संशोधन की आड़ में, प्रवर समिति में भेजकर इसको इतना व्यापक करने की कोशिश की जाय कि तमाम क्रिमिनल ला को ही बदल दिया जाय। यह हो सकता है कि उन्होंने अपनी बुद्धि के हिसाब से बहुत अच्छी बातें कही हों लेकिन मैं समझता हूं कि जो संशोधन पेश है उसको दृष्टि में रखते हुए अगर उनकी बातों को देखा जाय तो उनक, बातें बहुत कुछ असंगत सी थीं।

माननीय विष्ट जी और एकाध साथी ने यह आपत्ति उठाई कि दफा ४४१ में जो संशोधन किया गया उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है १००, ५० या १५० साल, कुछ भी नहीं है। आचार्य दीपंकर जी ने भी इस ओर इशारा किया। इस संबंध में मुझे एक ही बात कहनी

[श्री नवलकिशोर]

है। एक तो यह कि क्रिमिनल अफेन्स में कोई समय की सीमा नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि जो उनका खयाल है और जैसा उदाहरण दिया कि किसी आदमी का १२ साल से एडवर्स (Adverse) पजेशन है तो वह हटा दिया जायगा, तो शायद उन्हें यह धोखा है कि क्रिमिनल कोर्ट्स टायटिल के मसले को भी तय करेंगे, यह बात नहीं है। वह चीज उसकी परिधि के बाहर है। इसमें साफ लिखा है कि जो अनअथराइज्ड पजेशन है उसको सरकार इस संशोधन के द्वारा एक क्रिमिनल अफेन्स बनाना चाहती है। इसके अलावा यदि किसी का उस पर टायटिल है और टायटिल होने के बावजूद भी अगर उस मकान के अन्दर जिसका कब्जा था उसकी मर्जी के खिलाफ घुस गया है तो उसने अपराध किया है। टायटिल के लिये वह कोर्ट में जा सकता है। तो धारा ४४१ का जो संशोधन है उसका केवल इतना ही मंशा है कि जो अनअथराइज्ड पजेशन है—वह भी अपराध है क्योंकि जो ट्रेसपासर की डेफीनीशन है उसमें यह था कि उसको परेशान करने की, तौहीन करने या नाखुश करने की बात हो और उसी नीयत से वह आगे भी उसके अन्दर बना रहे, तो यह भी संभव है कि बिना इस इच्छा के भी एक आदमी घुसकर कब्जा कर ले या गवर्नमेंन्ट प्रापर्टी पर भी यह बात हो सकती है .....

एक सदस्य—बिना मर्जी के ही ?

श्री नवलकिशोर—मर्जी के खिलाफ तो जायगा ही। अगर एक इंसान जिसको कि अधिकार नहीं है, जबर्दस्ती वहां घुसना चाहता है तो उसके लिये दंड होना चाहिये। पहले भी वह सिविल सूट में जा सकता था, लेकिन उसमें बड़ा लम्बा प्रोसेस होता है। इसीलिये यह नया एक अफेन्स बनाया गया है ताकि कुछ लोग जो इस तरह की हिम्मत करें, कोशिश करें, उनको इसके अन्दर लाया जाय।

इसके अलावा दफा १०७, १०९, ११० हटाने की जो बातें कही गईं या और जो बहुत सी एकेडेमिकन बातें हुईं कि लार्ड मैकाले काबिल था या नहीं, मैं समझता हूं कि इस छोटे से संशोधन से उनका कोई वास्ता नहीं है। वह तो चीज अलग है, हिस्ट्री आफ क्रिमिनल लाज लिखी जाय तो उसमें उन बातों की गुंजायश हो सकती है, लेकिन इस छोटे से संशोधन में उन बातों की कोई गुंजायश मेरे खयाल से नहीं है।

मेरे दोस्त दीपंकर जी ने कहा कि मैंजिस्ट्रेट को ऐसा अधिकार तो कभी था ही नहीं कि वह गवाहों को कम्पेल कर सके कि वह कोर्ट में आये। १९५५ के पहले तक ऐसा अधिकार था। १९५५ में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें गलती से मैंजिस्ट्रेट के यह अधिकार छिन गये। इसीलिये सरकार चाहती है कि उससे जो कठिनाइयां प्रोसीक्यूशन के सामने आयीं उनको दूर करने के लिये फिर से संशोधन किया जाये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—समन केस का क्या करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—समन्स में भी यही है। इस बात को मानते हुये कि प्रेक्टिकली मुझे उतना अनुभव क्रिमिनल ला का नहीं है जितना कि विष्ट जी को है मगर सेक्शन २४४ का सब-क्लाज (२) स्पष्ट है :—

"The Magistrate, if he thinks fit, on the application of the complainant or accused, issue a summons to witness directing him to attend or to produce any document or other thing."

तो इस तरह का अधिकार वहां है।

जो दो बातें मैंने कहीं उनके अलावा और कुछ है नहीं। बहुत छोटे से दो संशोधन हैं, यों स्पीचेज देने को कुछ भी कहा जाय . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—परिधि बढ़ाने की बात कह कर सुझाव देते हैं।

श्री नवलकिशोर—यह आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं तो इस उम्मीद से बात कहता हूं कि अगर गोविन्दसिंह विष्ट जी को किसी स्टेज पर बात समझ में आ जाय तो ठीक है। इसलिये इसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। लार्ड मैकाले की काबलियत को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। इस विधेयक में दो छोटे से संशोधन है, एक आइ० पी० सी० में और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। अतः मेरी प्रार्थना है कि माननीय विष्ट जी अपना संशोधन वापस ले लें और जैसा विधेयक पेश है उसको पास करें।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की सुविधा मिली कि इस संबंध में अन्य वक्ताओं ने जो बहुत बारीकियां बतायीं उनको सुन सका। विशेष तौर से हमारे गोविन्दनारायण तिवारी जी ने कानूनी बारीकी दफा ४४१ के बारे में बतायी और उसके साथ-साथ कुछ अन्य बारीकियां हमारे विष्ट जी ने बतायीं जिनसे मुझे कुछ प्रकाश अवश्य मिला।

मैं अपनी बात कहने के पहले माननीय विष्ट जी के एक तथ्य पर अपना विरोध सा प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने दफा २५१(ए) में जो संशोधन प्रस्तुत है उसको आवश्यक बताया। मैं इस पक्ष में नहीं हूं और महसूस करता हूं कि दफा २५१(ए) में जो संशोधन है वह सचमुच मूल अधिकारों पर आघात करता है। मैं उस बात को बाद में लूंगा, पहले तो इतना बता दूं कि माननीय नवलकिशोर जी ने अभी यह कहा कि यह गलती जल्दी में हो गई। वह कहते हैं कि १९५५ में इस प्रकार का अधिकार हमारे पास था। १९५५ में यह अधिकार क्यों लिया गया उसका कुछ कारण था क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि अधिकारों में संशोधन बिना सोचे समझे कर दिया जाय। हां, जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद हाई कोर्ट ने अपनी वैधानिक दिक्कतें दिखाई और उसको अमान्य ठहरा दिया। उसके उपरान्त सरकार को और भी अधिक दिक्कत पैदा हुई, यह मैं मानता हूं। हाई कोर्ट की इस रूलिंग के बाद हमको ऐसा पता लगा कि सहारनपुर के डी०एम० ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि अब प्रोसीक्यूशन को गवाहों को तलब करने में दिक्कत हो रही है और बहुत मुकदमे बिना न्याय हुये अस्तव्यस्त हो जाते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कोई भी अन्य सरकारी अधिकारी की राय से सरकार को यह उचित दिखायी पड़ रहा है कि वह २५१-ए नाम की नयी धारा इसमें जोड़े। मैं इसके पक्ष में विशेष तौर से इसलिये नहीं हूं कि यह बात सही है कि प्रासीक्यूशन जब किसी वारन्ट केस को न्यायालय के सामने लाता है तो उसे ठीक उसी प्रकार से जनता के सहयोग का विश्वास होना चाहिये कि जनता से वह उसका प्रमाण साबित करने के लिये प्राप्त कर सके। यदि जनता से प्रमाण प्राप्त करने में उसे सीधा साधा रास्ता मिला हुआ नहीं है तो उसे इनडायरेक्ट समन्स के द्वारा, जिसका अर्थ मजबूरी हुआ करता है, मजबूरी से किसी गवाह को लाकर पेश करने का अधिकार पुलिस को देना हम कभी भी उचित नहीं समझते। लोग पुलिस का साथ इसलिये देने के लिये तैयार नहीं होते हैं कि पुलिस सिर्फ एक मतलब पूरा करने के लिये हमको गवाह बना रही है और उस मतलब के पूरा हो जाने के बाद हमें असहाय छोड़ देगी।

आचार्य दीपंकर जी ने सही बात कही कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने में जो कष्ट उठाया हमारे पुलिस मंत्री जी ने वह उचित ही था क्योंकि पुलिस के अधिकारों को बढ़ाना उनका कार्य भी तो है। पुलिस मंत्री का कर्त्तव्य है कि अपनी शक्ति को जहां तक हो सके बढ़ावे। अब जब उनको मौका मिला तो फिर क्यों न आगे बढ़ें? पुलिस के अधिकार इसलिये बढ़ाये जा रहे हैं कि कोर्ट में लोगों की शहादत लाने के लिये कुछ मजबूरी लायी जा सके और वह मजबूरी होगी समन्स की। मैं मानता हूं कि कोर्ट में समन्स इश्यू करने का एक प्रोसेस है लेकिन आज समन्स को ही हम क्यों एक उचित उपाय मानें? अगर किसी को साक्ष्य देना है तो उसे स्वतः आना चाहिये, लेकिन अगर उसे मजबूरन बुलाया जाय तो यह साबित करता है कि साक्ष्य में भी पुलिस अपना कोई बल दिखाना चाहती है। मुझे तो ऐसे उदाहरण मालूम हैं कि पुलिस के साथ में आया हुआ आदमी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

ज्यों ही कोर्ट के सामने आया उसने सही-सही बात कह दी। सब-इंस्पेक्टर को बुरा लगा तो शहादत देते वक्त ही उसने एक छड़ी मारी उस गवाह के। यह कानपुर का किस्सा है। उस पर उस गवाह ने उसी वक्त एक दरख्वास्त पेश की कि हमको धमकाया गया लेकिन मैजिस्ट्रेट ने स्वीकार नहीं किया। जज के यहां जब मामला गया तो उसने मैजिस्ट्रेट के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किये लेकिन आज भी वह मैजिस्ट्रेट अपनी जगह पर मौजूद है, उस स्ट्रिक्चर के बारे में मैजिस्ट्रेट का कुछ नहीं हुआ। और भी उदाहरण मौजूद हैं कि पुलिस का साक्ष्य देने के बाद थानेदार ने ठीक उस अदालत के बाहर दो, चार थप्पड़ उस गवाह के लगाये कि क्यों तुमने सही-सही बात कह दी। आज इस बात के हमारे पास तथ्य हैं कि हम पुलिस का साक्ष्य देने में अपने हृदय से इसलिये तैयार नहीं हैं कि पुलिस हमारी सच्चे रूप में सहयोगी नहीं है। अगर पुलिस हमारी रक्षक बनेगी तो हम उसके सहयोगी बनेंगे, लेकिन अगर हम देखते हैं कि वह रक्षक नहीं बल्कि भक्षक सरीखी ही हो रही है तो हम कैसे कहें कि हम उसका साक्ष्य देने के लिये प्रसन्नता से आते रहेंगे। अब सरकार को इसकी जरूरत पड़ी।

मैं जानता हूं कि मेरे हलके में बहुत से कत्ल दिन दहाड़े हुये, जिन्हें मैजिस्ट्रेट कहते हैं "ब्राड डे लाइट मर्डर" लेकिन वह भी साबित नहीं होते हैं और रिहा हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि पुलिस का साक्ष्य सही नहीं होता है या बनाया हुआ होता है। पुलिस कहती है कि हर कत्ल के वक्त प्रत्यक्ष गवाह होते ही कहां हैं, इसलिये हमको उसे करना पड़ता है, इधर-उधर के गवाह लाने पड़ते हैं। आमतौर पर यह बात कही जाती है। आपके पैनल कोड में इतनी खामियां हैं कि ब्राड डे लाइट मर्डर का भी पता नहीं चल पाता है और अदालत में साबित नहीं हो पाते हैं। जब उसमें सुधार कर रहे हैं तो यह क्यों नहीं सूझा कि इसका सुधार करते। इसके लिये कहा जाता है कि ला कमीशन मौजूद है, वह करेगा। लेकिन इस दफा २५१ (ए) के बदलने की आपको जरूरत पड़ गई। इसको आपने क्यों नहीं ला कमीशन के लिये छोड़ दिया? आपने इसको रख दिया और पास कराने की आपकी कोशिश है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रति दिन के जीवन में जो पैनल कोड हमारे आड़े पड़ रहा है, उसको सुधारने के लिये सरकार ने क्यों नहीं अपना कदम उठाया? हमारे साथी माननीय गोविन्दनारायण जी तिवारी ने बहुत सी दिक्कतें बताई हैं। उन्होंने कहा कि यह १०० वर्ष पुराना पैनल कोड है और यह आउट आफ डेट हो गया है। इसकी एक भी कड़ी बदलने की प्रांतीय सरकार से लेकर केंद्रीय सरकार में न्याय बनाने वालों की क्यों हिम्मत नहीं पड़ती? हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का रहन सहन ऐसा नहीं है कि पहले जमाने का बनाया हुआ यह पैनल कोड ठीक तरह से फिट इन हो सके। हमें इसको बदलना है। इसको बदलने के लिये मैंने इसलिये कहा कि आपने इसके बदलने का प्रयास किया है। यह आपने क्यों प्रयास किया है कि कोर्ट को अधिकार हो कि वह समन दे सके। आपके यहां जो ब्राड डे लाइट मर्डर होते हैं, चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं और रहजनी होती हैं, उनको रोकने के लिये आप इसको क्यों नहीं बदलते हैं? डकैतियों, चोरियों, राहजनी और कत्ल के बढ़ने का कारण सरकार की ओर से यह बताया गया कि अब रिपोर्ट सही लिखी जाने लगी हैं। क्या इससे साबित नहीं होता कि अब तक जो रिपोर्टस दर्ज की जाती थीं वह गलत की जाती थीं....

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर। पुलिस पर बोलना, पुलिस की खामियां बताना, यह विशेष रूप से मोतीलाल जी का प्रिय मजमून है लेकिन यह कहना कि कितने मर्डर्स होते हैं आदि बातें रेलीवेंट नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें आप ज्यादा न जायं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह तो आप भी मुझे टोक सकते थे लेकिन यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

मैं इसलिये कह रहा था कि जो संशोधन रखा गया है उसमें साफ है कि प्रवर समिति को रपि बढ़ाने का भी अधिकार हो और यदि यह अधिकार मिलेगा तो हम दिक्कतों को पेश

करेंगे जो हमें पैनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रति दिन होती हैं। मैंने इसलिये थोड़ा सा हवाला दे दिया कि हमारे पुलिस मंत्री जी इसका जवाब देंगे और उनके सामने न कहूं तो कब कहूं। जब भी गृह मंत्री जी गुंजाइश पा जाते हैं तो कह देते हैं कि पोलिटिकल पार्टीज इनके पीछे हैं और वह अक्सर फिगर्स भी दिखा देते हैं कि इतने-इतने अन्य पोलिटिकल पार्टियों के लोग हैं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—इन बातों का आप जिक्र न करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, वह भी कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आज तो उन्होंने नहीं कहा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—ठीक है श्रीमन्, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सेमीकोलन के पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ाये जाने का संशोधन है—

"and shall summon the witnesses, documents or things, specified in any application, made on behalf of the prosecution before the said date, for summoning the same, unless, for reasons to be recorded, he deems it unnecessary to summon all or any of them."

इनको जरूरत इस बात की थी कि प्रोसीक्यूशन अपनी शहादत लेकर पेश करें। मैं जानना चाहूंगा कि जितनी भी शहादत पेश करने का अधिकार सरकार के पास है उनके होते हुये भी आज हमें इस तरह से सरकार को अधिकार बढ़ा देने की बात की क्या जरूरत पड़ गयी।

मैं अब एक बात कह कर समाप्त करता हूं। अंग्रेजों ने इस बात की जरूरत समझी थी कि शहादतों को पेश करने में पुलिस को दबाव का कारण न मिले और वह निष्पक्ष रूप से गवाहियों को लावें। इसीलिये हाई कोर्ट जो हमारा उच्च न्यायालय है वह जो अपनी स्वतंत्र राय रखता है उसने कभी-कभी यह राय दी है कि साक्ष्य ऐसा हो जिस पर कोई दबाव न पड़े। हमें उस राय की कद्र करनी चाहिये और इस बात को मानना चाहिये कि साक्ष्य स्वतंत्र हो और उस पर किसी प्रकार का दबाव या दंड का भय या रोब न हो।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसीलिये जो सरकार इसमें कहती है कि उसका अधिकार बढ़ा दिया जाय, उसके बढ़ाने के पक्ष में मैं नहीं हूं। जितना ज्यादा साक्ष्य को रोब में लाने के लिये आप अधिकार लेते जायेंगे उससे अधिक से अधिक जनता में दमन के विरोध में उभार आता जायगा।

श्रीमन्, जो धारा ४४१ के बारे में संशोधन रखा गया है इसको मैंने बड़े गौर से पढ़ने का प्रयत्न किया है। क्रिमिनल ट्रेसपासर्स की परिभाषा को थोड़ा सा परिवर्तित करने की कोशिश की गयी है। यद्यपि इसके कारण सरकार ने कई बतायें हैं कि कुछ जगहों पर ट्रेसपासेज ज्यादा हुये हैं और उसका वह रोकथाम नहीं कर सकी इसलिये इस परिभाषा में उसे परिवर्तन करना पड़ा है। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस परिवर्तन के स्वीकार करने से एक बहुत बड़ा अन्तर हो जायगा। जब खेतों में कटनी के दिन आते हैं या जब कभी बोने का टाइम आता है तो गांवों में हजारों इस प्रकार के केसेज होते हैं कि फसल तो बोवे कोई और काटे उसको दूसरा। पुलिस के पास जाते हैं तो वह कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और आप फौजदारी से लड़कर तब हमारे पास आइये। तो बोनी या कटनी के समय गांवों में सर फुटौवल होती है और थानेदार साहबान की जेबें गर्म होती हैं। एक कांस्टेबिल उन्होंने एक पक्ष में भेज दिया और दूसरे ने कहा तो दूसरे के पक्ष के लिये दूसरा कांस्टेबिल भेज दिया। इस तरह से थानेदार साहब दोनों का पक्ष लेते हैं। सरकार का ध्यान क्रिमिनल ट्रेसपासर्स की तरफ बिल्कुल नहीं है

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अब जो परिभाषा बदली गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन आज किसानों को किस तरह से तकलीफें हो रही हैं, यह देखने की बात है, हम इन किसानों की तकलीफों को आये दिन देखते रहते हैं। जिसके पास ताकत है, वह किसी के खेत में भी अपना कब्जा कर लेता है और उस की फसल को काट लेता है, वह थानेदार से भी मिला रहता है, किसी एक का नाम खेत पर चढ़ा हुआ है, लेकिन दूसरा मुद्दत से उस पर काबिज है, वह कहता है कि हमारे बाप दादा के जमाने से यह चला आ रहा है, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, तो इन दोनों के लिये फैसला न तो आप की दीवानी में है और न क्रिमिनल ला में है। इसके लिये लोग पुलिस के पास जायें या खुद लड़ाई लड़ें। मैं सही कहता हूं कि दो बीघे जमीन के लिये, एक उस पर काबिज है और दूसरे का नाम उस पर चढ़ा हुआ है, लड़ाई हो जाती है और दोनों उसे छोड़ने के लिये तैयार नहीं होते। इन दोनों को सही रास्ता बतलाने के लिये आप के कानून में कुछ भी नहीं है। मेरे भाई गोविन्द नारायण जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि उन्हें २४ घंटे इन किसानों के मामलों को लेकर वकालत करनी पड़ती है, उनको किसानों के साथ रहने का मौका मिलता है। तो काबिज होने के संबंध में किसानों के आपस में ही बहुत झगड़े हैं। सरकार ने इसमें जो व्यवस्था रखी है, उससे तो सही यही होगा कि लोग पुलिस की जेबें भरते रहें, इसके लिये न रेवेन्यू में कोई प्राविजन है और न सिविल में ही कोई इन्तजाम है। पुलिस अपनी मनमानी करेगी।

श्री चरण सिंह—पुलिस के खिलाफ जितनी बातें हैं, क्या वे आज ही खत्म कर देंगे ? अभी तो मैं भी यहीं रहूंगा और आप भी रहेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आप पुलिस मंत्री है और यह रेवेन्यू का मामला है, आपसे न कहकर यह बात मैं किससे कहूंगा ? क्या इस तरह के मामले पुलिस कचहरी में होंगे ? जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं बतलाया कि इस तरह के ९५ फीसदी मामले आते हैं, तो मैं इस संबंध में किस से कहूं ? जब मंत्री जी यहां उपस्थित होंगे, तभी कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—आप जारी रखें। वह चाहते हैं कि आप संक्षेप में कहें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आज किसानों को बहुत परेशानी है, इसलिये मैंने यह बात कही। मैं यह नहीं कहूंगा कि वह मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन वह पुलिस को ज्यादा प्यार करते हैं।

श्रीमन्, अब धारा ४४१ में जो परिवर्तन किया गया है, तो यह एक ऐसी दुधारी तलवार हमारे किसानों के लिये हो जायेगी कि जिससे वे बहुत परेशान हो जायेंगे। जो अब यह अनअथोराइज्ड पजेशन किया गया है, तो हमें इस बात के लिये कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। शब्द तो इसके अन्दर बहुत अच्छे हैं—

"Or, having entered into or upon such property, whether before or after the coming into force of the Criminal Laws (U. P. Amendment) Act, 1961, with the intention of taking unauthorized possession or making unauthorized use of such property fails to withdraw from such property, or its possession or use when called upon to do so.....".

अनअथोराइज्ड पजेशन जो रखा है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर ऐसा होता, तो मैं इस का स्वागत करता। किसानों को इससे कोई राहत नहीं मिल सकती है। अगर पटवारी ने लिख दिया कि बेदखल हो गया है, तो उस का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। कायदे से यदि कोई काबिज रहता है, तो ठीक है। लेकिन जो इसमें बात रखी गयी है, वह साफ नहीं है, इसलिये इस का किस प्रकार से स्वागत किया जा सकता है। हम इसको किसी काबिल नहीं समझते हैं और इसी कारण इस को शंका की दृष्टि से भी देखते हैं। जाके पैर न फटे विवायी, वह क्या जाने पीर पराई। सरकार इस को नहीं देखती है। सरकार को जब कहीं पर कोई दिक्कत आ जाती है, तब वह दान बांटने लगती है। ट्रैस्पासर की परिभाषा को बदल करके बेजा मदाखलत की गयी है। इससे किसानों को कोई भी लाभ नहीं होगा।

मैं इस समय कानून की ज्यादा बारीकियों में नहीं जाना चाहता हूं। इस को तोड़ मरोड़ कर सरकार ने अच्छा नहीं किया है। सरकार ने यह अनुचित बात की है। इन दफाओं के अन्दर क्या है यह तो श्री गोविन्द सिंह जी ही बतलायेंगे। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो कुछ किया है वह ठीक नहीं किया है। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है, वह दिक्कतों को महसूस करे। जो चीज इसके अन्दर नहीं आती है, उसको बेजा लाने की कोशिश न करे। आप ने तराई भावर के कुछ हिस्से की दिक्कत को तो समझा है, लेकिन जो सारे भारत की दिक्कत है, जो घर-घर की दिक्कत है, जो गांव-गांव की दिक्कत है, जिससे किसान बरबाद हो रहा है, उसका भी तो ख्याल करें। श्री मिश्र जी मेरी ओर देख रहे हैं, वे भाषा की बहुत बात करते हैं और भाषा की सुन्दरता पर बहुत जोर देते हैं। वे जब खड़े होकर बोलते हैं तो सरकार का समर्थन करते हैं। सारी बातों को समझते हुये भी जो उसमें मक्खी है, उसकी बात तो करते हैं, लेकिन जो उस में मक्खा है, उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। सरकार ने जो इस में बेजा मदालखत की है, उस से किसान मारा जायगा। आप तो सुधार की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप संक्षेप में कहें। किसानों की बात तो आप बहुत दफा कह चुके हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्री मिश्र जी इधर देख रहे हैं, इसलिये मैं यह बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी आप मिश्र जी के लिये कह रहे हैं, फिर आप यादव जी के लिये कहेंगे। आप संक्षेप में कहें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आपकी बात समझ गया हूं। इसलिये अब थोड़ा सा ही समय लूंगा।

श्रीमन, मैंने आज प्रवर समिति वाला प्रस्ताव नहीं भेजा है। श्री मिश्र जी ने कानूनी दिक्कतों को सामने रखा है और उनको हर हालत से यहां पर साफ करने की कोशिश की है। धारा ४४१ के बारे में सरकार ने जो बहुत से अधिकार लिये हैं, उसके बारे में मैं यह कहूंगा और सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको स्पष्ट शब्दों में बतलाये। मैंने इसके बारे में बहुत से कागजात भी चाहे थे, लेकिन वह मुझे नहीं मिल सके और किसी प्रकार से भी उपलब्ध नहीं हो पाये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को धारा ४४१ की आवश्यकता क्यों पड़ी। तराई भाबर के लिये ही इस तरह की आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि हमारे सारे हिन्दुस्तान के किसानों की जो दिक्कतें हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाय। सरकार को ऐसे काम करने चाहिये जिनसे जनहित ज्यादा हो। जो संशोधन सरकार ने इसमें किया है, उस को कसौटी में रखकर देखें कि इस से गरीबों और किसानों को कितनी सुविधा प्राप्त हो रही है और यदि उनको अधिक सुविधायें नहीं प्राप्त हो रही हैं, तो हमारे मंत्री महोदय को इस प्रकार के संशोधन नहीं लाने चाहियें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, कभी मेरा भी नम्बर आयेगा। मैं पीछे बैठा हूं, इसलिये मेरा नम्बर नहीं आता है। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इस सदन के पीछे बैठने वाले सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपको समय दिया जायेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि टीकाराम जी को मुझ से दुगुना समय दीजियेगा।

मैं इतना कह कर अपनी बात खत्म करूंगा कि हमें हर विधेयक पर जो कसौटी कसनी पड़ती है वह यह है कि इससे प्रदेश का लाभ होता है या नहीं। वह लाभ इसमें दिखलायी नहीं देता। केवल इसलिये कि अपने मंत्रित्व काल में कोई न कोई संशोधन ले आयें, इसलिये संशोधन

[श्री मीतील ल अवस्थी]

ले आये हैं। या तो पुलिस क इसमें अधिकार बढ़ गये हैं, या स्वयं की उनकी दिक्कत सुलझ रही है, इससे प्रदेश का कोई लाभ नहीं होगा। अतः इसको प्रवर समिति में भेजा जाय जहां हम अपनी भी बहुत सी बातें कह सकें।

*श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में प्रस्तुत विधेयक पर अपनी राय रखना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं कुछ आगे कहूं, मैंने जब अभी माननीय अवस्थी जी की बात सुनी और माननीय गोविन्द नारायण तिवारी जी की बात सुनी तो मेरे दिमाग में बात आयी कि मुझे भी इसमें हिस्सा लेना चाहिये।

जहां तक माननीय गोविन्दनारायण तिवारी जी की बात है उन्हों ने बड़ी काबलियत के साथ, पुराना इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बड़ा विस्तृत हवाला दिया। भले ही जो तर्क उन्होंने विभिन्न सेक्शनों के बारे में दिये वह सही हों लेकिन इस सदन के सामने केवल दो धारायें अमेंड करने के लिये प्रस्तुत की गयी हैं। हमें यह देखना है कि इनका असर कहां तक उचित है। उस औचित्य के अन्दर रहते हुये अपनी बात कहनी है।

जब माननीय अवस्थी जी बोल रहे थे तो मैं समझ रहा था कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो पुलिस से प्रेजुडिस होकर इस सदन के सम्मुख रख रहा हो। इसीलिये बार-बार इंटरप्शंस भी हुये लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा प्रयास किया जैसे किसी पुलिस बजट पर भाषण करते हुये पुलिस के कार्यों की विवेचना की जाती है। उसी निगाह से उन्होंने अपनी बातें कहीं उन्होंने विधेयक के खंडों के समर्थन या विरोध में बहुत कम बातें कहीं। लेकिन अवस्थी जी जब कह रहे थे मझे ताज्जुब नहीं हुआ, जब माननीय गोविन्दसिंह विष्ट ने यह बात कही कि २५१-ए में जो संशोधन सरकार की तरफ से आया है इसका मतलब यह है कि पुलिस की पावर बढ़ाई जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैंने तो पहले पोर्शन का स्वागत किया था।

श्री रामेश्वरप्रसाद—अगर आपने नहीं कहा तो मैं वापस लेता हूं। जिन भी सदस्यों ने यह राय जाहिर की हो कि इससे पुलिस की शक्ति बढ़ेगी उनका यह तर्क काफी ऐतराज के काबिल है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी अभी माननीय अवस्थी जी ने इस बात की दुहाई दी कि सरकार द्वारा प्रदेश में अराजकता को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं, मर्डर को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहें हैं और साथ ही साथ इंसाफ की भी दुहाई दी। अगर उन्हीं बातों की तहत में अमेंडमेंट आया है कि लोगों के साथ इंसाफ हो सके और अराजकता पर काबू पाया जा सके, तो यह उचित ही है क्योंकि जहां न्याय यह कहता है कि बेकसूर को सजा न होने पाये वहीं पर न्याय यह भी कहता है कि अगर कोई भलामानस अपना जीवन शान्तिपूर्वक बिताना चाहता है तो कोई ला ब्रेकर, कोई फोर्सफुल आदमी यह दिक्कत न पैदा करने पाये कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो। मैं समझता हूं कि दोनों बातें इम्पार्चुअल हैं, दोनों बातें बराबर हैं। तो न्याय की जहां तक दुहाई का प्रश्न है दोनों को यह मौका मिलना चाहिये। प्रासीक्यूशन को यह मौका होना चाहिये कि वह अपनी बात साबित कर सके कि अमुक व्यक्ति के साथ अमुक व्यक्ति ने ज्यादती की है, उसको ला से दंडित किया जाना चाहिये। उसी तरह से डिफेंस को भी यह अख्तियार मिला हुआ है। तो इसीलिये अभी जैसा कि हम देख रहें हैं यह जो २५१-ए धारा है, उसकी उपधारा (६) में कहीं इस बात का प्राविजन नहीं है कि अगर प्रासीक्यूशन मुलजिम को १७३ की नोटिस देगा कि तुमने यह जुर्म किया या नहीं किया, तो इस कानून में यह गुंजायश नहीं थी कि मैजिस्ट्रेट को गवाहों को बुलाने के लिये बाध्य होकर सम्मन निकालना पड़ेगा। तो इस चीज को देखते हुये इसमें यह प्राविजन किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह सर्वथा उचित है। इसमें कहीं भी इस बात की गन्ध नहीं आती और न यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनरलाइज किया जा सकता है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने जनरलाइज किया कि पुलिस के किसी आफिसर ने कोर्ट के सामने जाकर किसी गवाह को छड़ी मार दिया या बाहर तमाचा मार दिया और कहा कि तुम यह बात कहो । हो सकता है कि ऐसा कोई इन्स्टैन्स कभी हमारे सामने आ जाता हो । तब भी मैं कहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में ऐसी बात होती थी और देखने में ऐसा आता था लेकिन अब तो ऐसी बात नहीं हो सकती । इक्के दुक्के कहीं लुके छिपे ऐसी बात हो जाती हो तो बात दूसरी है लेकिन ऐसी बात नहीं है कि खुले आम आज के इस युग में जबकि चौधरी चरण सिंह जी ऐसे योग्य व्यक्ति के हाथ में पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन है तो कोई व्यक्ति इस तरह की ज्यादती करे । इसलिये मैं इसको बिलकुल ठीक समझता हूं ।

साथ ही साथ दूसरा जो इसका सेक्शन है वह बिलकुल जस्टिफाइड है क्योंकि इतने पहले से प्रोवाइडेड है इस सेक्शन में कि कोई आदमी कहीं जाता है और जाने के बाद अन्याय करता है तो इसको पनिश किया जायगा तो उसको और क्लीअर करने के लिये इसका भी बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है । मान लीजिये कि कोई व्यक्ति मेरे या अवस्थी जी के घर में घुस जाता है और घुसने के बाद बैठ जाता हैं । अवस्थी जी बार-बार कहते हैं कि निकलो, निकलो वह नहीं जाता है । तो अब अवस्थी जी इस बात के लिये मजबूर हों कि उसको वह जबर्दस्ती हटायें, मारें पीटें, खुद जुर्मी बनें ३२५ और ३२३ के । तो यह तो गलत बात होगी । इसलिये ऐसे ही व्यक्तियों को डिफेंड करने के लिये इसकी आवश्यकता है कि अगर किसी का अनअथराइज्ड पजेशन है तो उसको निकालने के लिये कानून में गुंजायश कर दी जाय । वह मैं समझता हूं कि जस्टिफाइड है तो इस तरह से यह दोनों बातें जस्टिफाइड हैं और मैं चाहता हूं कि सदन इन दोनों को तुरन्त पास करदे । आखिर यह जो हमारे दो सेक्शंस हैं इसमें परिधि बढ़ाकर या सेलेक्ट कमेटी में भेजकर हम क्या नयी चीज इनमें पैदा कर देंगे ? हमारी समझ में नहीं आता कि इसके अन्दर क्या नई चीज आनेवाली है । इसकी जो मन्शा है उसको देखते हुये इससे कोई नई बात पदा होने वाली नहीं है। दोनों बातें जस्टिफाइड हैं । मैं समझता हूं कि यह सारी बातें उचित हैं । यह सदन इसको तुरन्त पास करे । सेलेक्ट कमेटी का जो प्रस्ताव आया है, आपके द्वारा मैं उसका विरोध करता हूं ।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह उम्मीद करता था कि माननीय चरण सिंह जी जैसे योग्य मंत्री के द्वारा आज ऐसा संशोधन विधेयक हमारे बीच में आता और वह साहस के साथ कहते कि हम इस वेलफेयर स्टेट से १०९ को हटाना चाहते हैं जिसके द्वारा बेगुनाहों को बन्द किया जाता है । जब यहां पर अंग्रेजी राज्य था तब से आज बेकारों की संख्या ड्योढ़ी हो गई है । तब भी १०९ धारा मौजूद थी । उसके बाद यह कहा जाता है कि हम बहुत बड़ा सुधार कर रहे हैं । इसमें दो धाराओं में संशोधन किया जा रहा है । एक तो इंडियन पेनल कोड की धारा ४४१ में और दूसरे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा २५१ में ।

जहां तक २५१ का संबंध है इससे हम सहमत हैं । यह एक ओमिशन है । इसको पहले आना चाहिये था लेकिन मंत्री जी इसको आज लाये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बहुत से अमेंडमेंट हुये लेकिन इस २५१ के संबंध में संशोधन क्यों नहीं लाया गया । जो सुविधा इस धारा के अनुसार मिलनी चाहिये थी वह आज तक नहीं दी गई । इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है । ला डिपार्टमेंट से इस बात को पूछना चाहिये कि इस प्रकार की सलाह अभी तक क्यों नहीं दी गई ।

४४१ का संबंध जनजीवन से है । पहले का जो विधेयक है उसके अनुसार ट्रेसपासर की परिभाषा नहीं है । उसमें कोई जमीन पर कब्जा करता है तो उसको निकाला जाता है । पहले का ला विद्यमान है । उसमें अब संशोधन किया जा रहा है । इस विधेयक में यह भी कहा जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रतापसिंह]

रहा है कि इस विधेयक के पारित होने के पहले से कोई काबिज होगा तो यह कानून उसके ऊपर भी लागू होगा। इसका मतलब यह है कि १९४७ के पार्टीशन के बाद नैनीताल की तराई में जितने लोग बसते हैं उनको निकाला नहीं जा सकता है। उनके लिये मंत्री जी ने साफ कहा है कि वहां लैंड इवैकुयेशन वाला ऐक्ट लागू नहीं होता है। उनके लिये ही यह इन्तजाम किया जा रहा है। कि बेदखल किया जा सके। पहले तो उनको वहां पर बसाया गया फिर आज ७ हजार लोगों के लिये नोटिस इश्यू किया गया है कि तुम वहां से हट जाओ। यह विधेयक इसीलिये लाया गया है कि ७, ८ साल से जो लोग वहां पर बसते हैं और जिनको सरकार के तहसीलदार और ए० डी० एम० ने कहा था कि तुम वहां जंगल काटकर बस जाओ, पहले उस रुद्रपुर के इलाके में पाकिस्तान से आये लोगों ने बसने का इन्तजाम किया अब उनको निकालने की योजना बनाई जा रही है।

दो तरह के कब्जे लोगों के होते हैं। एक तो इरेंगुलर और दूसरे इल्लीगल कब्जे होते हैं। जिन लोगों ने इल्लीगल कब्जा किया है उनको तो कानून के मुताबिक निकाला जा सकता है लेकिन जिन लोगों ने रेगुलर तरीके से कब्जा नहीं किया है उनको भी इस कानून के मातहत निकाल दिया जायगा। इसका मतलब यह है कि इसको इतना वाइड कर दिया गया है कि अगर कोई आदमी किसी के घर में घुस गया है तो वह कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा और उसको वह शिकायत कर देता है, तो जो इसमें संशोधन आ रहा है, उसके मुताबिक उसके ऊपर अभियोग लगाया जायगा। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जितने गरीब लोग हैं जो जंगलों को काटकर वहां पर बसाये गये हैं और आबाद हुये हैं क्या उनके ऊपर भी अभियोग लगाया जायगा।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि वहां पर जितने लोग पहले से बसे हुये है, हजारों लाखों आदमी जो पहले से वहां बसे हुये हैं इस धारा के मुताबिक उनके ऊपर अभियोग लगेगा। वेलफेयर स्टेट का यह मतलब नहीं है कि जितने लोग इस देश में रहते हैं उनको उखाड़ा जाय। अब एक छोटे से आफेन्स में उनको जेल भेजा जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी धारा को देखा जाय जिसमें यह लिखा हुआ है कि इस धारा के मुताबिक अगर कोई आदमी अनअथराइज्ड पजेशन करता है तो उसको निकाला जा सकेगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनअथराइज्ड पजेशन की परिभाषा क्या है। अगर अनअथराइज्ड पजेशन की कोई परिभाषा नहीं है तो इस विधेयक के पारित होने के बाद किस को निकाला जायगा।

इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि "अनअथराइज्ड पजेशन बनाये रखने या उसके अनधिकृत उपयोग करने के अभिप्राय से" तो अनअथराइज्ड पजेशन वर्तमान विधेयक की परिभाषा में नहीं आता और इस नये विधेयक में भी उनकी कोई परिभाषा नहीं है। तो विधेयक को लाने का जो मुख्य प्रयोजन मंत्री जी का है, तराई भावर के उन काश्तकारों को बेदखल करने का, वह पूरा नहीं हो सकेगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसके द्वारा उन पुराने बसे हुए काश्तकारों को निकाला जायगा। इसके अलावा मंत्री जी एनाय और इंसल्ट वाले मामलों को जो सिविल के राइट्स हैं उनको क्रिमिनल में परिणत करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करें कि इसका कारण क्या है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय चरण सिंह जी से कहूंगा कि वे बतलावें कि अनअथराइज्ड पजेशन की परिभाषा क्या है और क्या जो लोग पार्टीशन के बाद १० साल से वहां बसे हैं उनको निकाला जायगा? यदि हां, तो फिर उनका क्या इंतजाम होगा, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का भले ही वह कांग्रेस पार्टी के हों अथवा विरोध के, अनुगृहीत हूं जिन्होंने इस मेरे प्रस्तावित संशोधन के विवाद में भाग लिया। श्रीमन्, पहले मैं माननीय सदस्यों की बातों का थोड़ा सा उत्तर दे दूं। गोविन्द नारायण जी ने एक नये पहलू पर प्रकाश डाला है। मैंने तो लार्ड मैकाले की तारीफ की

थी उसकी लैंग्वेज के लिये, उसकी स्पिरिट की तारीफ नहीं की थी। वह शासक था और उसी हैसियत से इस देश को देखता था। इस संशोधन से माननीय मंत्री जी का मंशा पूरा नहीं होता। उस समय माननीय मंत्री जी ने इंटरप्शन किया। माननीय गोविन्दनारायण जी समाजवाद की बहुत दुहाई दे रहे थे। उसमें मैं माननीय मंत्री जी की ताईद करता हूं। समाजवाद देशों का तो हाल यह है कि जहां चोरी के लिये फांसी की सजा हो जाती है। तो अगर अनुकरण की एकरूपता रहे तो अच्छा है। माननीय मोतीलाल जी को दुविधा है कि इसका पुलिस बड़ा दुरुपयोग करेगी वे पुलिस से बहुत शंकित रहते हैं। पुलिस दूसरों को बहुत गौर से देखती है लेकिन गृह विभाग में भी सी० आई० डी० लगी हुयी है। यह सरकार की व्यवस्था है।

श्री चरणसिंह—गृह विभाग में ही तो होते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जी नहीं, वह माननीय मंत्री जी के खिलाफ हैं। माननीय मंत्री जी अपने दिल को टटोलें। लेकिन मैं समझता हूं कि इस विषय में ज्यादा कुछ कहना ठीक न होगा।

मैं माननीय रामलखन मिश्र जी से बड़ी उम्मीद करता था, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने काफी अरसे से वकालत छोड़ दी है। मैं नहीं मानता कि उनकी बुद्धि किसी से कम है, लेकिन समर्थन के नाते जो मन में आया कह गये। उन्होने बिल को भी नहीं देखा कि इसमें क्या है? उन्होंने कह दिया कि इस बिल के द्वारा वे नियम बनायेंगे, तो यह बात तो आज ही सुनी गयी उनके द्वारा, कि इस तरह से नियम बनते हैं।

आचार्य जी ने चोरी के बारे में कहा और उसको डिफेन्ड करने की कोशिश की, तो उसके लिये मैं क्या कहूं। वह उन्हीं को मुबारक हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में भारत से मिले हुये तिब्बती क्षेत्र में चीनियों ने प्रोपेगन्डे के खयाल से अपने एक कप्तान को शूट कर दिया और इसलिये मार डाला कि उसने चोरी की थी। उसके बाद उन्होंने कुछ भारतीयों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो हमारे यहां चोरी करने वाले को भी खून की सजा दी जाती है, उसको शूट कर दिया जाता है, और तुम्हारे यहां मंत्री भी अगर अपराध करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता। हमारे यहां दूध का दूध और पानी का पानी होता है। तो आचार्य जी ने चोरी की जो बात कही उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

अब श्रीमन्, श्री नवलकिशोर जी ने भी अपनी बात को डिफेन्ड करने की कोशिश की, मगर वे डिफेन्ड कर नहीं सके। ४४७ दफा में जो धारा जोड़ी गयी है वह भी देखना चाहिये। अगर कोई व्यक्ति १२ वर्ष तक किसी की सम्पत्ति में रह रहा हो तो वह मालिक हो जाता है, उसके टेनेन्सी राइट्स खत्म हो जाते हैं। अगर कोई १२ वर्ष के अन्दर दीवानी में केस फाइल करता है तब तो उसकी सुनवाई होती है, लेकिन अगर १२ वर्ष के बाद वह कोर्ट जाता है तो उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अब यहां फौजदारी कानून में आप यह कर रहें हैं कि अगर २० वर्ष पूर्व भी किसी का अनअथोराइज्ड तरीके से पजेशन है तो उसको भी बेदखल कर दिया जायेगा। उसको सजा होगी। माननीय मंत्री जी उस सिद्धान्त को मान रहें हैं जो कि बिलकुल ही अनपैरलेल सिद्धान्त है और कहीं नहीं माना गया है।

माननीय प्रतापसिंह जी ने एक सुन्दर बात कही उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। श्रीमन्, हमारे हितों की रक्षा होनी चाहिये हम डाक्युमेंट हमेशा मांगते हैं, लेकिन कभी नहीं मिलते।

राय सिक्खों के पास ६,०२७ एकड़ रह गया है, १,६५५ एकड़ उनसे खाली करा लिया, उसी सिलसिले में यह बिल आया है। जहां तक राय सिक्खों का सवाल है, मैं तो मंत्री जी के साथ हूं कि जिन्होंने शिकायत की है, उन्होंने गलत की है। यह ठीक है कि अराजकता बढ़ गयी है, लेकिन गेहूं के साथ घुन नहीं पिसना चाहिये। आज जगह-जगह लोग परेशान हैं,

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

पिथौरागढ़ के पास का गांव और गरबियांग टूट रहा है, लोगों के खाते १०-१२-१४ साल के हैं, खामियां ब्लाक में काबिज हैं, लेकिन उनको बेदखल किया जा रहा है। फूलबाग स्टेशन के पास शांतिपुरी है, वहां बड़ी अशांति हो रही है। लोगों से कहा गया कि अगर सहकारी खेती मानते हो तो अलाटमेंट होगा, वरना निकल जाओ। वहां उनके लीडर इंदर सिंह को भूदान के नेताओं ने मरवा डाला, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। माननीय मंत्री जी का नोट है कि ५-६ एकड़ भी फ्री दे दो ट्रेस्पासर को बशर्ते कि उसके पास जमीन न हो। पहाड़ वालों के पास जमीन कागज में मौजूद है, लेकिन गांव ही नहीं रहा तो सार्टिफिकेट नहीं ला सकता। वहां दिक्कत यह है कि पुराने मैजिस्ट्रेट ने जो सार्टिफिकेट दिये थे भूमिहीन के, अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, नैनीताल ने कहा है कि ये ६ महीने पहले के हैं, नये लाओ। जहां तक साध्य का सवाल है, यह विशेष परपज के लिये भले ही हो, लेकिन व्यापक रूप से बड़ा अनर्थ हो जायगा। इस पर मंत्री जी विचार कर लें बैठ कर, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और सब ठीक हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---माननीय गृह मंत्री। आप भी ८-१० मिनट में खत्म कीजिये, क्योंकि समय कम है।

*श्री चरणसिंह---७-७ प्वाइंट का जवाब देना है, दो-दो मिनट लूंगा तो १५ मिनट लगेंगे।

माननीय गोविंदसिंह जी ने जो अपना संशोधन पेश किया था तो बड़ी शिकायत इस बातको की थी कि सदस्यों के कुछ अधिकार होते हैं, इस सिलसिले में गवर्नमेन्ट कोई विधयक लाये तो उनको बतलाये कि उसका आधार क्या है और क्यों नये कानून को पेश करने और पुराने कानून में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस होती है। यह माकूल बात है और हमारे असेम्बली के रूल्स भी यह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन गवर्नमेन्ट उन मेम्बरान को वंचित रखना चाहती है, मैं समझता हूं यह बहुत बेजा एतराज नहीं था। लेकिन अभी तीन दिन पहले जब गैम्बलिंग ऐक्ट पेश था तो यही डिमांड की गयी थी और मैंने विधान सभा की टेबिल पर डी० आई० जी० के सब लेटर्स रख दिये थे। आज इस बिल में केवल दो अमेंडमेन्ट्स---एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का और एक आई० पी० सी० का था। क्रिमिनल प्रोसीजर वाले के सिलसिले में जो मैटीरियल हमारे पास था वह मैंने आपके पास भिजवा दिया था। जो सेक्शन ४४१ का संशोधन है उसके सिलसिले में कागजात मैंने नहीं भिजवाये, लेकिन जो मिसिल में थे, जिनकी बाबत यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह सारे कानफिडेंशियल नहीं थे---उनमें कानफिडेंशियल भी हो सकते हैं---वह भी मैंने रखवा दिये और मोती लाल जी और गोविंद सिंह जी ने उन्हें देखा है। तो गवर्नमेन्ट का हरगिज यह मंशा नहीं है कि माननीय मेम्बरान को किसी जायज या जरूरी इत्तिला से महरूम रखा जाय। जैसा कि मैंने कहा, एक बार कोई कान्फीडेंशियल बात हो तो भी मैं उसको बचाकर या छिपाकर नहीं रखना चाहता क्योंकि मेरी, गवर्नमेन्ट और सदन के सदस्यों, सबकी यह भावना है, एक ही आब्जेक्टिव है कि पब्लिक सर्विस हो। इसलिये गवर्नमेन्ट कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती कि मेम्बरों से छिपा कर करे।

अध्यक्ष महोदय, बहुत से सवालात का जवाब तो माननीय नवल किशोर जी ने दे दिया। अब मैं केवल श्री मोतीलाल जी और आचार्य दीपंकर जी ने जो बातें कहीं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये जो दोनो संशोधन किये जा रहे हैं वे इस खयाल से किये जा रहे हैं कि पुलिस के अधिकार बढ़ाये जायं। क्योंकि मैं पुलिस मिनिस्टर हूं इसलिये मेरी रूचि पुलिस के अधिकार बढ़ाने में है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस भावना के खिलाफ प्रोटेस्ट करता हूं और उसका सबूत यह है कि यह कल ही पब्लिश गैम्बलिंग अमेंडमेंट बिल में कुछ माननीय सदस्यों के इस राय के होते हुये भी कि और डाइस्टिक पनिशमेंट दी जाय, हमने ३-३ महीने की सजा के बजाय १-१ महीने की सजा करने के बारे में अमेंडमेंट मंजूर कर लिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक धारा ४४१ आई० पी० सी० में संशोधन करने की बात है इसे संशोधित करने के बारे में सन् १९५९ में ही तय कर लिया गया था। मैंने आकर उसको नहीं किया है। यह मैं कोई सीक्रेट बात नहीं बता रहा हूं। मैं केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस के अख्तियारात बढ़ाने की मेरी ख्वाहिश नहीं है।

दूसरा संशोधन सी०आर०पी०सी० की धारा २५१ में है। हाईकोर्ट की एक नजीर की वजह से उसको लाना पड़ा। इससे पहले भी एक कमेटी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में बैठायी गयी थी। उन्होंने यह रेकमेंड किया था कि इस धारा में एक लेकुना रह गया है, उसको दूर किया जाना चाहिये। फिर इसके द्वारा पुलिस को जो अधिकार दिये जा रहे थे वे कोई नये अधिकार नहीं हैं। १९५५ में पुलिस को ये अधिकार थे, जो बाद को किसी सबब की वजह से या और किन्हीं कारणों से डिलिट किये गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गोविंदनारायण जी ने कहा कि लार्ड मैकाले ने यह इंडियन पेनल कोड बनाया। उनके बारे में आपका कहना है कि उसने प्रापर्टी के खिलाफ जो जरायम हैं उनके लिये ज्यादा सजा रखी है क्योंकि उनको उन्होंने ज्यादा शदीदजुर्म माना है और इंसान के जीवन के खिलाफ जो जरायम होते हैं उनको अंग्रेजों ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है। आई०पी०सी० के बनने के ७०–८० साल पहले जिसके लिये फांसी की सजा दी जाती थी उसके लिये धीरे-धीरे कान्सेप्ट चेंज होता गया और प्रापर्टी के जरायम को भी आदमी की पर्सनल लिबर्टी के बराबर महत्व दिया जाने लगा। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि आई०पी०सी० में प्रापर्टी और इंसान के मामले में काफी बैलेंस है। जहां इंसान के लिये काफी सजा रखी गयी है वहां प्रापर्टी के लिये भी मुनासिब सजा रखी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैंने बीच में इन्टरविन करते हुये कहा था कि आखिर मेरे मित्र क्या चाहते हैं। आप यह तो कहते हैं कि कैपिटलिस्ट देश में तो उन लोगों ने प्रापर्टी के लिये अधिक सजा रखी है और उसका महत्व इंसान से ज्यादा बढ़ा दिया है लेकिन जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होने के नाते उनकी निगाह में प्रोग्रेसिव हैं उनमें प्रापर्टी के लिये सजाये मौत रखी गयी है क्योंकि वह प्रापर्टी स्टेट की है। वह कलेक्टिव और सोसाइटी की प्रापर्टी हो गयी। लिहाजा आर्गुमेन्ट यह है कि सोशलिस्टिक प्रापर्टी के खिलाफ जो जुर्म होता है वह बहुत बड़ा जुर्म हुआ लिहाजा उसकी सजा मौत है। क्या गोविंद नारायण जी यहां भी सजाये मौत की सजा रखना चाहते हैं। वे तो ३७९ में जो तीन साल की सजा दी जाती है, चाहते हैं कि उसे और कम किया जाय। मैं समझता हूं कि न सजाये मौत देने की जरूरत है, न तीन साल से कम करने की जरूरत है।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी—पर्सन के खिलाफ जो आफेंसेज हों उनको काग्नेजिबल करार दीजिये।

श्री चरणसिंह—बड़े आफेंस सब काग्नेजिबिल होते हैं। सिम्पल हर्ट आदि वाले नहीं होते। उसके अन्दर जो अन्डरलाइन्ड आइडिया है वह यही है कि छोटे मोटे केसेज में लोग अपने पैरों पर खड़े हों और वे ला कोर्ट्स में जायं। अब अगर इस का कोई आफेंस हो कि कोई आदमी हजरतगंज में जा रहा हो और दूसरे आदमी ने उसे गाली दे दी और आंख या लाठी दिखलायी, तो गाली देना भी जुर्म है और लाठी दिखाना भी जुर्म है। तो अगर इन सब को काग्नेजिबिल आफेंस करार दिया जाय तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त पुलिस आपरेटस् हो जायगा। मैं समझता हूं कि ऐसी स्टेट जिसमें पुलिस को इतना अधिकार हो कि हम में और आपमें कौंसिल चेम्बर से बाहर निकलने पर तू तड़ाक हो जाय और पुलिस आकर गिरफ्तार कर ले तो कम से कम मेरी समझ से वह कोई डिजायरेबिल स्टेट नहीं होगा।

एक बात यह कही गयी कि ला कमीशन बैठाया जाय और इस मामले में उत्तर प्रदेश पहल करे, पेशकदमी करे और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों को एक रास्ता दिखलावे। इस सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी इसी महीने में तीन चार दिन पहले एक बयान दे चुके हैं कि अपने

[श्री चरणसिंह]
प्रदेश में ला कमीशन बैठाने के सम्बन्ध में उन्होंने एक डिसिजन ले लिया है। मैं समझता हूं कि उससे माननीय गोविंद नारायण जी का मंशा पूरा हो जायगा। अब उसके टर्म्स आफ रेफरेंस क्या होंगे, मैं नहीं कह सकता क्योंकि डिसिजन तो मेरे सामने ही लिया गया लेकिन वह सही तौर से इस वक्त मुझे याद नहीं है।

पजेशन और टाइटिल के सम्बन्धमें माननीय गोविंदसिंह जी ने कहा कि ४४१ में जिस तरह से संशोधन हो रहा है उससे तो टाइटिल वगैरह में झंझट होगा। कोई कह सकता है कि जमीन मेरी है लेकिन दूसरे ने कब्जा कर लिया। एक्यूज्ड यह कह सकता है कि मैंने कोई आफेंस नहीं किया लिहाजा क्रिमिनल कोर्ट में टाइटिल का केस नहीं जा सकता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—४४१ में टाइटिल के सम्बन्ध में फर्स्ट प्रोविजन है तो दूसरे प्रोविजन की क्या जरूरत है ?

श्री चरणसिंह—जितना टाइटिल का सवाल नहीं है उससे ज्यादा पजेशन का ही सवाल है। अगर कोई किसी को इनटिमिडेट करता है, या जबरदस्त हैकड़ होने की वजह से दूसरे की जायदाद पर खिलाफ कानून कब्जा करता है, जो जायदाद उसकी नहीं है उस पर अन-अथराइज्ड तरीके से पजेशन करता है, उसको अगर हम जुर्म करार देते हैं तो क्या यह उचित नहीं है ? सारा सवाल यह है कि अनअथराइज्ड कब्जा लेने की नीयत से दूसरे की जमीन पर कब्जा करता है, उसको इस्तेमाल करता रहा है और बावजूद नोटिस देने के भी उसे नहीं छोड़ता है तो यह तो क्रिमिनल ट्रेसपास के रूप में है।

एक बात कही जाती है कि जिन लोगों ने गवर्नमेन्ट प्रापर्टी पर कब्जा कर लिया है, उनकी बात तो समझ में आती है लेकिन सारे प्रदेश के लिये इसको व्यापक क्यों बनाया जा रहा है। उसकी एक वजह है और वह यह है—मुझे मालूम नहीं माननीय मोती लाल जी के सामने ऐसे केसेज आये हैं या नहीं, लेकिन अभी वे गरीब किसानों की दोहाई दे रहे थे, तो उनके सामने ऐसे केसेज जरूर आये होंगे कि एक गरीब किसान की जमीन पर किसी दूसरे आदमी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उसकी मदद अगर पुलिस करना भी चाहे तो आज नहीं करती है। मेरे इल्म में इस तरह के बहुत से केसेज हैं कि बेवाओं ने अदालत दीवानी में जाकर डिग्री हासिल कर ली, किसी बेवा ने माल से या दीवानी से डिग्री के बाद कब्जा लिया, उसकी दखलदहानी हुई, अदालत दीवानी ने बेवा को कब्जा दिला दिया लेकिन फिर भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया जिनके खिलाफ कि अदालत ने डिग्री दी थी। ऐसे केसेज हमारे सामने खुद आये हैं, मेरी कांस्टीट्युएंसी और मेरे जिले में भी ऐसा हुआ है। इस पर मैंने पुलिस वालों को बुलाकर, जब वह बेवा मेरे पास रोती आई तो, कहा कि भाई उन लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से कब्जा इस गरीब को दिला दो। उन्होंने उस को कब्जा दिला दिया लेकिन जब मैं ३ महीने बाद फिर उधर गया तो फिर वह मेरे पास रोती हुई मौजूद थी। जिलाधीश ने कहा कि हमने तो उस वक्त उन लोगों को समझा बुझाकर कब्जा दिला दिया था। इस तरह से बेवाओं और गरीब किसानों के पास डिग्री हो जाने के बाद और कब्जा पाने के बाद भी फिर जमीन निकल जाने पर कोई इलाज नहीं है और इसी वजह से नाजायज कब्जे किये जाते हैं। इसलिये इस संशोधन के बाद इस तरह की दिक्कत दूर हो सकेगी।

श्री प्रताप सिंह ने उन लोगों की वकालत की कि जो पंजाब से आये और उन्होंने शब्द लिखा है कि "बसाये गये" इस पर उन्होंने जोर बहुत दिया है। उन का संशोधन भी है कि धारा २ के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि देश के विभाजन के उपरान्त जो व्यक्ति तराई, भाबर, नैनीताल व अन्य जिलों में दस साल के भीतर बसाये गये हैं उन्हें अनधिकृत नहीं माना जायगा"। हमने उनके यहां कानून एप्लाई किया, सैकड़ों आदमियों को जमीन देकर बसाया, करोड़ों रुपया व्यय

किया लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जो पंजाब से आये और जिन को पंजाब सरकार ने वहां कब्जा नहीं करने दिया, वह वहां की पुलिस से डरते थे और उन्होंने यहां आकर यहां के गरीब कमजोर किसानों की जमीन पर और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। आज प्रताप सिंह जी उनकी पैरवी कर रहे हैं। उनकी तादाद क्योंकि हजारों की है इसलिये श्री प्रतापसिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे कानून की अवहेलना हो, चाहे जनता की प्रापर्टी पर या गरीब किसानों की जमीनों पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो और चाहे उसके बाद जरायम और बढ़ जायं लेकिन उनकी नजर एक और चीज पर है लिहाजा उन मुजरिमों की पैरवी करते हैं। वह चाहे जबरदस्ती गरीबों की जमीनों पर कब्जा करें, चाहे जंगलों में आग लगायें और बदअमनी फैलायें सरकार कभी इस चीज को नहीं मान सकती। इससे तो जो एक वेल आर्डर्ड सोसायटी का बेसिस है वही खत्म हो जायगा, यदि जबरदस्ती कब्जे वाले लोगों के अधिकार को हम मान लें। इसलिये माननीय मित्र ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसमें कोई सार्थकता नहीं समझता और इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिये जो हमारा छोटा सा संशोधन है उसको सदन आधा घंटे में ही स्वीकार कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो ७ दिन के भीतर अपनी संस्तुति सदन में पेश करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

ऐक्ट संख्या ४५, १८६० की धारा ४४१ का संशोधन।

२—इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा ४४१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Criminal trespass.

"441. Whoever enters into or upon property in possession of another with intent to commit an offence or to intimidate insult or annoy any person in possession of such property or, having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate; insult or annoy any such person, or with intent to commit an offence,

or, having entered into or upon such property, whether before or after the coming into force of the Criminal Laws (U. P. Amendment), Act, 1961, with the intention of taking unauthorized possession or making unauthorized use of such property fails to withdraw from such property, or its possession or use when called upon to do so by that another person by notice in writing, duly served upon him, by the date specified in the notice,

is said to commit, 'Criminal trespass'."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि . . . . .

श्री प्रताप सिंह—श्रीमन्, मेरा एक संशोधन था . . . . .

श्री अध्यक्ष—वह विधेयक की भाषा में नहीं था, आर्डर में नहीं है और लेट भी आया है। प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

ऐक्ट संख्या ५,१८९८ की धारा २५१–ए का संशोधन ।

३––क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा २५१–ए की उपधारा (६) में––

(क) अन्त में आये हुये "पूर्ण विराम" के स्थान पर "सेमीकोलन" रख दिया जाय, और

(ख) सेमीकोलन के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय––

"and shall summon the witnesses, documents or things, specified in any application, made on behalf of the prosecution before the said date, for summoning the same, unless, for reasons to be recorded, he deems it unnecessary to summon all or any of them".

श्री अध्यक्ष---माननीय मोतीलाल अवस्थी जी आप इसका विरोध करेंगे, तो कल आप विरोध करें ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
८ अगस्त, १९६१ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१६ पर)

खाकसार जमात के अखिल भारतीय सम्मेलन में पास किये गये प्रस्ताव

१—देश के जनतंत्र को सिर्फ पांच प्रतिशत पूंजीपतियों द्वारा अपने हितों के लिये चलाया जा रहा है, जिसे छीनकर ९५ प्रतिशत जनता के हाथों में दिया जाय और आम जनता के हितों में चलाया जाय।

२—गांव, कस्बा तथा शहर स्तर पर राजनीतिक शक्तिसम्पन्न पंचायती शासन बनाया जाय जिनपर सरकार सिर्फ देखभाल का काम करे। उनके मामलों में दखल न दे।

३—सरकारी नौकरियों का चुनाव सिर्फ ज्ञान तथा क्षमता पर हो और उन पर चुनने का अधिकार सरकारी अफसरों के हाथों से लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथों में हो।

४—न्याय सस्ता किया जाय जिससे हर गरीब को यह हक़ प्राप्त हो सके।

५—राष्ट्रपति का चुनाव जनता करे।

६—विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सुधार हो। विश्वविद्यालयों में विज्ञान तथा कला विज्ञान के योग्य स्नातकों का निर्माण हो। धार्मिक शिक्षा सिर्फ निजी धार्मिक संस्थाओं में हो और सरकार उन्हें सहायता दे।

७—सरकार किसी भी धर्म के रस्मरिवाजों में दखलन्दाजी न करे।

८—देश के बंटवारे के बाद अल्प संख्यक जनता पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान में हिन्दुओं, सिक्खों, ईसाइयों तथा पारसियों के संरक्षण की जिम्मेदारी दोनों देशों के प्रजातंत्रों पर है। यदि कहीं भी साम्प्रदायिक झगड़े हों तो दोनों देशों के उच्चस्थ प्रेसीडेन्ट तथा प्रधान मंत्री स्वतः झगड़े के स्थान पर जाकर जांच करें और इसके जिम्मेदारों को सख्त सजाएं दी जायं।

९—गरीबों के बच्चों को हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा दी जाय।

१०—बेकारों तथा बेरोजगारों को रोजगार का प्रबन्ध किया जाय और ऐसा सम्भव न होने पर बेकारी का भत्ता दिया जाय जो दो पया रोजाना से कम न हो।

११—किसी भी सरकारी मंत्री का वेतन ५०० रुपया से ज्यादा न हो।

———

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२१ पर)

सीतापुर जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रसारित जानकारी प्रतियोगता योजना की रूप रेखा

योजना का उद्देश्य--जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों को उनके क्षेत्र के लोगों से अधिक सम्पर्क स्थापित करा के उनकी समस्याओं से अवगत कराना तथा उनका हल करने का उपाय ढूंढना ।

इस योजना के अनुसार हल्के के कांस्टेबुलों को अपने हल्के के ५ ग्रामों का दौरा करके उक्त ग्रामों की समस्या को वहां की अपराध स्थिति और अन्य बातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर के निबन्ध लिखना है । निबन्ध लिखने के लिये उन्हें ५ दिन समय दिया जाता है ।

उक्त निबन्ध को स्टेशन आफिसर द्वारा सर्किल इंस्पेक्टर को भेजा जाता है जो उसकी जांच कर उस पर नम्बर (marks) देते हैं । योजना के अनुसार सर्वश्रेष्ठ १० निबन्ध लिखने वाले १० कांस्टेबुलों को उनके Character roll में good entry दिये जाने की व्यवस्था है और तीन विशेष उत्तम प्रकार के निबन्ध लेखकों को आर्थिक पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था है । अगर कोई कांस्टेबुल अपने प्रयत्नों में शिथिल पाया जाता है तो उसका नोटिस लिया जाता है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५३६-५३७ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का, — उ० प्र० ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई०।

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खण्ड (ग) के स्पष्टीकरण में शब्द "जो कि माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो और जिसे व्यापारिक चलन के अनुसार अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का प्राधिकार हो" के स्थान पर शब्द "जो कि अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो या जिसके माध्यम से माल बेचा जाता हो" रख दिये जायं। — उ० प्र० ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई० की धारा २ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ८-क की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— — उ० प्र० ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई० की धारा ८-क का संशोधन।

"(२) (क) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं है, उसके द्वारा या उसके माध्यम से की गई किसी बिक्री अथवा खरीद के सम्बन्ध में, किसी व्यक्ति से कोई धनराशि, न तो बिक्री-कर के रूप में और न बिक्री-कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या रूप दे कर वसूल करेगा; और कोई व्यापारी, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड है उसके द्वारा या उसके माध्यम से की गई किसी बिक्री या खरीद के सम्बन्ध में उस व्यक्ति के सिवाय जिसे उसने माल बेचा हो अन्य किसी व्यक्ति से कोई धनराशि न तो बिक्री-कर के रूप में वसूल करेगा और न बिक्री-कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या रूप देकर वसूल करेगा।

(ख) यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा [जिसके अन्तर्गत कमीशन एजेन्ट या धारा २ के खण्ड (ग) के स्पष्टीकरण में उल्लिखित कोई व्यक्ति भी है] किसी विक्रय धन पर बिक्री-कर देय हो तो ऐसा व्यापारी उस व्यक्ति से जिसे उसने चाहे अपनी ओर से या अपने निर्देष्टा की ओर से माल बेचा हो, देय बिक्री-कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूल कर सकता है।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट में, जिस रूप में वह इस समय है उन सभी कमीशन एजेन्टों तथा अन्य व्यापारिक अभिकर्त्ताओं (mercantile agents) पर बिक्री-कर लगाने की व्यवस्था है जो माल के खरीदने या बेचने का व्यापार करते हैं और जिन्हें व्यापारिक चलन के अनुसार अपने निर्देष्टाओं (principals) की ओर से माल खरीदने या बेचने का प्राधिकार प्राप्त है। यह देखा गया है कि बहुत से कमीशन एजेंट कुछ प्रपत्र (forms) छपवाकर यह प्रदर्शित करने के लिये झूठा साक्ष्य तैयार करते हैं कि उन्हें अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का प्राधिकार प्राप्त नहीं है और वे केवल दलाल हैं जो क्रेता और विक्रेता को एक दूसरे के निकट लाते हैं। इस प्रकार वे कर देने के अपने दायित्व से बचे रहने में सफल रहे हैं। इस कदाचार से जहां एक ओर राज्य के राजस्व को बड़ी हानि पहुंच रही है वहीं दूसरी ओर ईमानदार व्यापारियों में बड़ा असंतोष भी पैदा हो रहा है। इसलिये यह प्रस्ताव है कि ऐक्ट की धारा २ के खंड (ग) के स्पष्टीकरण में आये हुए शब्द "जो कि माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो और जिसे व्यापारिक चलन के अनुसार अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का प्राधिकार हो या जिसके माध्यम से बेचा जाता हो" के स्थान पर शब्द "जो कि अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो" रख दिये जायं। इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे सभी कमीशन एजेन्ट और अन्य व्यापारिक अभिकर्ता जो अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का व्यापार करते हों बिक्री-कर के देनदार होंगे। यह संशोधन विधेयक के खंड २ द्वारा करने का विचार है।

इस विधेयक द्वारा ऐक्ट की धारा ८-क में भी संशोधन करने का विचार है। ऐसा करने के दो उद्देश्य हैं। एक तो यह कि सरकार का ध्यान बार-बार इस ओर आकृष्ट किया गया है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट द्वारा किसानों को बिक्री-कर से स्पष्टतः मुक्त किया गया है फिर भी उन्हें इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि जिस कमीशन एजेन्ट को किसान अपनी उपज बेचता है वह किसान को देय मूल्य में से उस कर के बराबर धनराशि काट लेता है जो उस (कमीशन एजेन्ट) को उक्त उपज बेचने के समय देनी होती है। किसान को इस प्रकार जो कठिनाई होती है उसे दूर करने के लिये यह निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है कि कोई भी व्यापारी उस व्यक्ति के सिवाय, जिसे उसने माल बेचा हो, अन्य किसी व्यक्ति से कोई धनराशि न तो बिक्री-कर के रूप में वसूल करेगा और न बिक्री-कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या रूप देकर वसूल करेगा। दूसरे यह कि यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि यदि कमीशन एजेन्ट द्वारा किसी विक्रय धन पर कोई कर देय हो, तो वह उसे उस व्यक्ति से वसूल कर सकता है जिसे उसने अपनी ओर से अथवा अन्य व्यक्तियों की ओर से माल बेचा हो।

अतएव, यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

हरगोविन्दसिंह,
वित्त मंत्री।

उत्तर प्रदेश-बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० (उ० प्र० ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई०) की धारा २ के खण्ड (ग) तथा धारा ८--की उपधारा (२) के उद्धरण

२ (ग) "व्यापारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ से है जो चाहे कमीशन या प्रतिफल के लिये, चाहे अन्यथा, उत्तर प्रदेश में माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता है, और इसमें कोई फर्म या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब तथा कोई सोसाइटी, क्लब या संघ जो अपने सदस्यों को माल बेचता हो, सम्मिलित है, तथा इसमें राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई विभाग जो ऐसा व्यापार करता हो, तथा कोई व्यवसाय संस्था जो बिजली-शक्ति अथवा अन्य किसी प्रकार की चालक शक्ति के उत्पादन अथवा वितरण का कार्य करती हो, भी सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण--कोई मध्यवर्णिक (factor) दलाल, कमीशन एजेन्ट या आढ़ती, परिशोधी, अभिकर्त्ता (Adeleredere agent) नीलाम, करने वाला या अन्य कोई व्यापारिक अभिकर्त्ता (mercantile agent), वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, और चाहे वह ऊपर उल्लिखित अभिधान वाला हो या न हो, जो कि माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो और जिसे व्यापारिक चलन के अनुसार अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का प्राधिकार हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये व्यापारी समझा जायगा ।"

८-क (२) कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं है क्रेता से माल की बिक्री पर कोई भी रकम कर के रूप में वसूल न करेगा ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० १५७ एल० ए०--१९६१--८४५ ।